राजस्थान विधान सभा

तीसरी बैठक, मङ्गलवार, ९ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में प्रातः ८ बज कर ३४ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण

श्री अध्यक्ष—वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, अब ऐसा करेंगे ।

(श्री हजारीलाल शर्मा ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण किया ।)

तारांकित प्रश्नोतर

प्रश्न संख्या ३५

पूर्व कोटा राज्य के पुलिस विभाग की कट अमानत

श्री जुझार सिंह—

Will the Chief Minister be pleased to state :

(1) How much money is deposited with the Government of Rajasthan on behalf of the Police Department of the former Kotah State in the form of "कट जमानत" or "Security Deposits" ?

(2) Why has this amount not been returned to the rightful owners as yet ?

(3) Does the Government intend returning the amount ? If so, when ?

मुख्य मन्त्री (श्री जयनारायण व्यास)

(१) कट अमानत फण्ड का कोई रुपया सरकार के पास नहीं है ।

(२) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(३) यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या रियासत कोटा में कोई कट अमानत जमा पुलिस के आदमियों की सरकार में हुई है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार में कोई ऐसी रकम जमा नहीं हुई थी । कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हुई होगी।

राज श्री हिम्मतसिंह—इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री जयनारायण व्यास—जो रकम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में है वह रकम सुरक्षित है या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री झुँझारसिंह—यह रकम उन व्यक्तियों को वापिस कैसे मिलेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—यह रकम उन व्यक्तियों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कायदे कानून जो बने होंगे उनके अनुसार मिल सकती है या जब वह सोसाइटी चालू होगी और जो फायदा होगा वह उनको मिलेगा ।

श्री झुँझारसिंह—क्या जिस तरह सरकार लोन देती है, उसी तरह से दिया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कायदे-कानून के अनुसार कर्ज के तौर पर भी वह रकम वापिस दी जा सकती है और असल भी कायदे-कानून के माफिक दी जा सकती है ।

श्री झुँझारसिंह—यह मालूम नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से यह रकम वापस मिलेगी या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि उत्तर देने के बाद यह मालूम हो जाना चाहिये कि यह वापिस मिल सकेगी या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३६

कोटा शहर की बस्ती के समीप हड्डी निर्माणशाला

श्री झुँझारसिंह—Will the Minster for Industries be pleased to state :--

(a) Was a bone factory allowed to be erected in a close proximity of the residential quarters at Kotah without any consideration of health and comforts of the inhabitants ?

(b) If so, has this factory not been shifted from its present site inspite of repeated requests from inhabitants of the new colony, Station road, Kotah, yet ?

Page No.3

मुख्यमन्त्री श्री जयनारायण व्यास--(a) The bone factory is not in close proximity to the living quarters at Kotah. The factory is situated at least four furlongs away from the residential quarters. It is not injurious to health and comfort of the inhabitants.

(b) The construction of the factory has cost heavy investment. Since the existence of the factory does not cause any discomfort to the public, its shifting or dismantling of its plant and machinery does not seem necessary. However, Additional District Magistrate, Kotah, had been asked to suggest measures to protect the bones from getting wet and to prevent foul smell from spreading.

श्री झुँझारसिंह—क्या फैक्ट्री कायम करते समय विन्ड डाइरेक्शन का भी ख्याल रखा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जिस समय फैक्ट्री स्थापित की गई थी उस समय यह सब बातें ध्यान में रखी गई होंगी। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि जब भी कोई फैक्ट्री कायम होती है तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से मंजूरी आती है और केन्द्रीय सरकार के सामने सारे फेक्टर रखे जाते हैं।

श्री कँवरलाल—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में हेल्थ ऑफिसर से भी रिपोर्ट ली।

श्री जयनारायण व्यास—इसकी मंजूरी केन्द्रीय सरकार ने दी है, इसलिये उसने सब बातों को उस समय ध्यान में रखा होगा।

श्री कँवरलाल जेलिया—जब केन्द्रीय सरकार ने इस फैक्ट्री की मंजूरी दी है, तो क्या राजस्थान सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे ?

श्री जयनारायण व्यास—केन्द्रीय सरकार ने इसकी मन्जूरी राजस्थान सरकार के लिखने पर ही दी है। उस समय सरकार ने हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट ली होगी।

श्री तनसिंह—आप किस आधार पर कहते हैं कि हेल्थ ऑफिसर से रिपोर्ट ली गई होगी ?

श्री जयनारायण व्यास—(अश्रव्य)

श्री तनसिंह—यह फैक्ट्री कोटा के लोगों के लिये अस्वास्थ्यकर है, अतः इसके लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—यदि यह फैक्ट्री वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद होगी तो गवर्नमेण्ट के सामने इसे पुनः विचार के लिये रखा जावेगा।

Page No.4

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या यहाँ के लोगों ने सरकार के पास रिपोर्ट पेश की है कि यह फैक्ट्री हटा दी जावे ?

श्री जयनारायण व्यास—जिस समय यह फैक्ट्री लगी थी, उस समय रिपोर्ट ली गई होगी।

श्री एच. के. व्यास—क्या यह समझा जावे कि हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट को ध्यान में न रखते हुए भी ऐसा किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि ऐसा समझना ना समझी होगी।

श्री राज हिम्मतसिंह—क्या गवर्नमेंट को यह पता है कि फैक्ट्री से गाँव चार फर्लांग पर नहीं है, बल्कि १०० गज पर ही है ?

श्री जयनारायण व्यास—कौन से गाँव के लिए आप कह रहे हैं ?

श्री राज हिम्मतसिंह—मैंने खतड़ी गांव के लिए अर्ज किया था, जहां से फैक्ट्री १०० यार्ड्स ही दूर है।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने आपको कोटा शहर के लिए अर्ज किया था।

श्री राज हिम्मतसिंह— क्या आपका कोटा शहर से मतलब यह है कि चार फर्लांग पर ही उसकी हद समाप्त हो जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास— मेरा म्युनिसिपल बाउन्डरी से मतलब है।

श्री राज हिम्मतसिंह— तो क्या वह स्टेशन तक एक्स्टेन्ड नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास— कहीं पर होती है और कहीं पर नहीं भी होती है।

श्री राज हिम्मतसिंह— तो क्या म्युनिसिपल लिमिट में यह फेक्ट्री नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास— शहर की जो बस्ती है उससे चार फर्लांग दूर है।

श्री भुंभार सिंह— इस सम्बन्ध में पहले भी हाउस में क्वेश्चन किया जा चुका है।

श्री जयनारायण व्यास— मेरे सामने इस वक्त तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं है।

श्री कानसिंह— चार फर्लांग तक तो बदबू ट्रेवल कर सकती है, तो क्या इस पर फिर से विचार किया जावेगा ?

श्री जयनारायण व्यास— हड्डी जब भीगी हुई होती है तो बदबू ट्रेवल करती है, अन्यथा नहीं।

Page No.5

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा— फेक्ट्री जो बनी हुई है वह गांव से किस दिशा में बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट। ऑर्डर प्लीज ! श्री भोपाल सिंह

प्रश्न संख्या ३७ तथा ३८

श्री अध्यक्ष— श्री भोपाल सिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३९

म्युनिसिपल कमेटी जोधपुर द्वारा चुंगीकर लगाये जाने की इच्छा सम्बन्धी

Will the Minister for Local Self-Government be pleased to answer :-

(a) Has the Rajasthan Government given any directive to the Municipal Committee, Jodhpur, to impose Octroi Duty in the City ?

(b) Is the Government aware that the Jodhpur Municipal Committee has notified its intention to impose Octroi Duty in the City ?

(c) Is the Government aware that the whole question of Octroi Duty in Jaipur City has been deferred pending an enquiry ?

(d) Will the Government institute a proper enquiry into this question for Jodhpur also before according sanction to the imposition of Octroi Duty in Jodhpur ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) नहीं। ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री रामकरण जोशी—आपको सुनना चाहिए।

श्री रामकरण जोशी—(जारी)

(क) नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया।

(ख) नहीं, सरकार जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा ऑक्ट्राय डयुटी शहर में लगाए जाने की विज्ञप्ति के विषय में अनभिज्ञ है।

Page No.6

[श्री रामकरण जोशी]

(ग) हां, जबकि जोधपुर में आक्ट्राय ड्युटी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिए आया ही नहीं तो यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास— तो क्या यह समझा जाय कि प्रस्ताव सरकार के पास आने पर जयपुर की ही तरह जांच कराने के लिए सरकार तैयार हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—No hypothetical question. You can seek information.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Hon'ble Member in charge...

श्री अध्यक्ष—You should seek information.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want information on the intention of the Government.

श्री जयनारायण व्यास—This is. . .

श्री अध्यक्ष—You should ask for information. The question-hour is meant for seeking information. If you put in some conditions and ask what will the Government say, that is not seeking information. You should seek concrete information as to what the Government is doing.

श्री जसवन्तसिंह—श्रीमान्‌जी, अगर 'सी' का यह जवाब है तो क्या जयपुर शहर में ऑक्ट्रॉय कर नहीं लगा है ?

श्री रामकरण जोशी—प्रश्न जोधपुर के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—This question is quite clear.

(**श्री हरिकृष्ण व्यास** प्रश्न पूछने के लिए खड़े होते हैं)

श्री अध्यक्ष—Only one Hon'ble Member should stand at a time. He has put the question.

श्री रामकरण जोशी—यह मामला कमेटी के पास है-और कमेटी उस पर विचार कर रही है। लगेगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री जसवन्तसिंह—मेरा सवाल यह है कि ऑक्ट्रॉय ड्युटी जयपुर शहर में लग रही है या नहीं ? क्या पिछली साल यह नहीं कहा गया था कि सरकार ऑक्ट्रॉय लगावेगी ? क्या मन्त्री महोदय अपने वचन को भूल गए ?

श्री रामकरण जोशी—इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कमेटी बैठी हुई है। उसके फैसले का आपको इन्तजार करना पड़ेगा।

कुं. श्री जसवन्तसिंह—पहले विपक्ष की ओर से सुझाव दिया गया था कि ऑक्ट्रॉय नहीं लगाया जाना चाहिए तो उस समय माननीय मन्त्री जी ने फरमाया था कि हम कमेटी के लिए नहीं ठहर सकते।

श्री रामकरण जोशी—मेरे खयाल से आपको प्रोसिडिंग्स फिर से पढ़नी चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I wish to draw attention to sub-rule 14 of rule 28 on page 12 of the Rules of Procedure which says, "it must not amount in substance to a suggestion for any particular action, but it may ask for a statement of the intentions of Government in respect of a matter on which a question may be aked."

I, therefore, ask for a statement of the intention of the Government as to whether they have any intention of investigating the question of imposing octroi in Jodhpur.

श्री अध्यक्ष—There is no such thing. The language of the sub-rule (8) of rule 28 is quite clear. It states, "It shall not ask for an expression of opinion nor the solution of an abstract legal question nor of a hypothetical proposition." You can not say that if certain things happen then what will be the Government's intention, Such a question should not be raised.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This question should be answered. It is about the intention of the Government...

श्री अध्यक्ष—No, order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then I want to put another supplementary.

श्री अध्यक्ष—I can allow another supplementary, do not waste time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जोधपुर म्युनिसिपल कमेटी ने सब अखबारों में नोटिफिकेशन निकाल कर ऑक्ट्रॉय लगाने की इच्छा जाहिर की?

श्री रामकरण जोशी—मेरे खयाल से जोधपुर म्युनिसिपल कमेटी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए रास्ता निकाला होगा। कमेटी अखबारों में तो क्या, गजट में भी निकाल सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात है या नहीं?

Page No.8

श्री रामकरण जोशी—म्युनिसिपेलिटी सैन्क्शन के लिये जो प्रस्ताव भेजती है तो वह सरकार के ध्यान में जरूर आता है। अखबारों में जो चीजें निकलती हैं उसके लिए यह लाजमी नहीं है कि सरकार ध्यान दे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जोधपुर में इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये थे?

श्री रामकरण जोशी—प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने विचार व्यक्त करे। सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी जवाब दे सकते हैं कि उससे उनका ताल्लुक है या नहीं?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल मुख्य मन्त्रीजी से ही पूछा जाना चाहिए।

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—मुख्य मन्त्रीजी के क्या मन्त्रीजी कलीग (साथी) नहीं है?

श्री रामकरण जोशी—कलीग तो हूँ, किन्तु मुख्य मन्त्रीजी की हर बात मेरे पास नोट रहती हो ऐसी बात नहीं।

एक सदस्य—तो क्या यह बात सरकार के ध्यान में नहीं है कि मुख्य मन्त्रीजी ने क्या कहा?

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर! नैक्स्ट, श्री शिवदानसिंह।

प्रश्न संख्या ४० तथा ४१

श्री शिवदानसिंह (डि० नं० १४०)

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२

बम्बई राज्य की भांति राजस्थान सरकार द्वारा शराब बन्दी के आदेश

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state :--

(a) Do the Government of Rajasthan intend to introduuce prohibition in Rajasthan following the example of Bombay State?

[श्री खेतसिंह]

(b) What is the present income on account of sale of lipuor and opium in this State and what would be the effects of prohibition if it is introduced in Rajasthan ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)-(अ) नहीं।

(ब) अभी शराब और अफीम की आय इस प्रकार है:—

(१) शराब	१, ५३, ००, ०००)
(२) अफीम	७५, ००, ०००)

प्रोहिबिशन का सरकार का इरादा नहीं है क्योंकि इससे सरकार को दो करोड़ तीस लाख रुपयों की हानि होने की सम्भावना है।

श्री खेतसिंह—चूंकि इससे सरकार को हानि होगी तो क्या सरकार यह सोचती है कि सारे राजस्थान को शराबी और अफीमची बना दिया जाय ?

(हंसी)

श्री भोलानाथ—इसकी प्रेरणा का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ४२

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के विषय में सरकार द्वारा योजनायें।

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Education please state :—

(1) Do the Government intend to bring any change in the mode of present system of education in order to turn out useful citizens. ?

(2) If not, when does the Government propose to do it ?

प्रश्न संख्या ४४

Whether the Government intend to make vocational training compulsory ?

If it has already been done what are the experiences gained so far ?

श्री भोलानाथ (शिक्षामन्त्री)—हां ! इसके लिये भारत सरकार ने कमीशन बिठाया है और उसकी सिफारिशों के अनुसार नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट, श्री तेजमल बापना।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सैकिन्ड पार्ट का रिप्लाई नहीं आया है।

श्री भोलानाथ—इसका उत्तर भी प्रश्न संख्या ४३ में आ जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वोकेशनल ट्रेनिंग के सम्बन्ध में उत्तर नहीं आया है।

श्री भोलानाथ—मैं आपको बता चुका हूँ कि नया पाठ्यक्रम तैयार होगा और इसमें यह भी समावेश हो जावेगा।

प्रश्न संख्या ४५

भीलवाड़ा म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा बढ़ाना

श्री तेजमल बापना— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा कितनी है और कब कायम की गई थी।

(ख) उस समय भीलवाड़ा नगर की क्या जन संख्या थी और अब कितनी है?

(ग) क्या यहां की सीमा बढ़ाने की कोई मांग बोर्ड द्वारा की गई है? यदि की गयी है तो अब तक इसकी स्वीकृति नहीं होने का क्या कारण है व अब कब तक इसके स्वीकृत होने की सम्भावना है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)— (क) भीलवाड़ा म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा जो २४-८-४७ को नियत की गई थी, यह है:—

अस्पताल को केन्द्र मानकर डेढ़ मील के अर्द्धव्यास में जो क्षेत्रफल आता है वह म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा नियत की गई थी।

(ख) भीलवाड़ा नगर की जन संख्या १६४१ की जनगणना के अनुसार १५१६६ थी वह अब १६५१ की जनगणना के अनुसार २६, ६६६ है।

(ग) हां, बोर्ड द्वारा सीमा बढ़ाने के लिए दिनांक १२-११-५३ को मांग की गई थी जो अपूर्ण होने के कारण बोर्ड को पूर्ति करने हेतु तथा सीमा का नक्शा भेजने हेतु वापिस कर दी गई थी। वह बोर्ड से अभी तक लौट कर नहीं आयी है। आने पर कलेक्टर की राय के लिए कागजात भेज दिये जायेंगे।

प्रश्न संख्या ४६

तहसील खमनोर में घोड़ा घाटी सड़क के निर्माण के समय लालसिह का रिश्वत लेते पकड़े जाना

श्री शिवदानसिंह—(क) क्या यह सच है कि सन् १९५२ में तहसील खमनोर में घोड़ा घाटी की सड़क बनाते वक्त पी० डब्ल्यू० डी० का कर्मचारी श्री लालसिंह रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया ?

(ख) यदि यह सच है तो पुलिस ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) हां, यह सत्य है।

(ख) अपराधी का कोर्ट में भारतीय दण्ड संग्रह की धारा १६१ में चालान कर दिया गया है, जहां कि मुकदमा जेर समाअत है।

प्रश्न संख्या ४७

मेला मांडकला, तहसील नगर (उनियारा) में पुलिस पार्टी के एक सिपाही द्वारा चोरी करना

श्री सरदारसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २३–११–५३ को मेला मांडकला तहसील नगर (उनियारा) जिला टोंक में रक्षा के निमित्त टोंक हैडक्वार्टर से आये हुए पुलिस पार्टी में से एक पुलिस के सिपाही ने मेले में आई हुई दुकान में चोरी कर ली ?

(२) क्या जाग होने पर दुकानदार ने चोर को मय माल के पकड़ लिया ?

(३) उस कान्स्टेबल का क्या नाम था और माल क्या क्या था ?

(४) क्या यह मुकदमा चालान हो गया है ? अगर हो गया है तो कब और किस अदालत में तथा मामला किस स्टेज पर है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री) १. यह सही है कि दि. २३,११,५३ को मेला मांडकला, तहसील नगर (उनियारा) जिला टोंक में रक्षा के निमित्त टोंक हैडक्वार्टर्स से भेजी गई पुलिस पार्टी के एक सिपाही ने मेले में आई हुई एक तेली की दुकान में चोरी करली।

२. दुकानदार ने दर असल चोर को मय माल के पकड़ लिया।

३. कान्सटेबल का नाम रामेश्वर नं० ४७३ था। चुराये हुए माल में दो पैकेट बीड़ी जिसमें ४० बक्स थे व एक पैकेट माचिस जिसमें १२ बक्स माचिस थे।

४. मुकदका जेर दफा ३७९ आई. पी. सी. कायम किया जाकर ता. २६-११-५३, को अदालत एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी, उनियारा, में चालान किया गया। जहां से अपराधी को ता. ३१-१२-५३ को एक सप्ताह की कैद, दो साल नेकचलनी जमानत व मुचलका तावाजी ५००), ५००) रु० की सजा हुई।

प्रश्न संख्या ४८

शिवगंज हाईस्कूल के गोकुल छात्रावास का छात्रावास की भांति उपयोग

श्री अर्जुनसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) शिवगंज हाईस्कूल के वास्ते जो गोकुल छात्रावास है वह उसके काम क्यों नहीं आता है ?

(ख) अरसा छः साल से वह सिर्फ एक दो आदमियों के कब्जे में क्यों है और इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—यह मकान रामचन्द्र प्रभुलाल की देख-रेख में है, जिन साहबानों ने छात्रावास बनाया है।

सरकार इनको समझा-बुझाकर ही यह मकान ले सकती है क्योंकि यह जमीन ट्रस्टियों की मिल्कियत थी।

प्रश्न संख्या ४६

श्री अध्यक्ष—श्री मंगलसिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५०

चित्तौड़ जिले में नगरपालिकाओं का निर्माण

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) चित्तौड़ जिले में गत वर्ष कहाँ-कहाँ नगरपालिकाओं का निर्माण हुआ ?

(ख) बड़ी सादड़ी में (आवश्यक जनसंख्या होते हुये भी) नगरपालिका का निर्माण नहीं होने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सच है कि छः माह में इसका निर्माण कर चुनाव कराये जाने का आश्वासन दिया गया था जिसे करीब एक वर्ष होने आया है ?

(घ) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी सरकार नये चुनाव नहीं कराकर उन्हीं पुराने सदस्यों से काम ले रही है ?

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) बेगू में।

[श्री रामकरण जोशी]

(ख) वहाँ पहिले से ही एक पंचायत काम कर रही थी। उक्त पंचायत के स्थान में नगरपालिका का स्थापित करना जनता की इच्छा पर निर्भर है। हाल ही में यह प्रश्न सरकार के सामने आया है और इस पर आवश्यक नोटिस प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(ग) तभी से इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

(घ) हाँ।

(ङ) ग्राम पंचायत बड़ी सादड़ी की अवधि १९५३ में समाप्त हुई और पुनः निर्वाचन का कार्यक्रम बना लिया गया था किन्तु जनता द्वारा चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई क्यों कि वह फसल काटने का समय था। दूसरी बार फिर निर्वाचन कार्य-क्रम बना लिया गया किन्तु राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३, के लागू हो जाने तथा इस प्रश्न के निर्णय पर कि वहाँ नगरपालिका हो या पंचायत; अभी चुनाव स्थगित कर दिया गया है।

श्री जगतसिंह झाला—वहाँ पर पंचायतें तो पहले से ही चली आ रही हैं, क्या सरकार पंचायत की जगह नगरपालिका करने के विषय में सोच रही है?

श्री रामकरण जोशी—म्युनिसिपल टाउन की जनसंख्या हो जाने तथा वहाँ की जनता की इच्छा पर ही यह हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब तक इस प्रश्न पर विचार नहीं हो जाता तब तक क्या पुरानी पंचायत का चुनाव नहीं होगा?

श्री रामकरण जोशी—नई पंचायतों के चुनाव के बाद वहाँ की जनता यह तय करेगी कि यहाँ पंचायत होना चाहिये या नगरपालिका।

श्रीभेरूसिंह (दांता रामगढ़)—जनता की राय जानने के लिए सरकार ने कौनसा तरीका अख्त्यार किया है?

श्री रामकरण जोशी—गजट और नोटिफिकेशनों के जरिये जनता की राय जानी जा सकती है।

प्रश्न संख्या ५१

खेड़ा ग्राम तहसील बनेड़ा में दिन दहाड़े डाका

श्री सरदारसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

१. क्या यह सही है कि गाँव खेड़ा तहसील बनेड़ा (उनियारा) जिला टोंक में दिनांक १३ ११-५३ को दिन में डाका पड़ा?

[श्री सरदारसिंह]

२. अगर सही है तो किसका कितना माल लूटा गया ?

३. वहाँ मौके पर पुलिस कब पहुँची और क्या पता चला तथा अब उस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—१. हाँ, यह सही है।

२. इस डाके में गणेश वल्द रामनारायण जाट व लाला वल्द गेंदा जाट के मकान लूटे गये जिसमें गणेश का माल १२६७ रु० ८ आ० का व लाला का माल २२६२ रु० ८ आ० का था।

३. पुलिस को इत्तला होने पर तारीख १४. ११. ५३ को १०. ३० बजे सुबह मौके पर पहुँची। दौराने तफतीश उमरावसिंह डकैत सा० छपराना थाना मालपुरा के गेंग की डकैती कराना मालूम हुआ। जिनमें से कल्याण व बगतावरा, बजरंगसिंह व छीतरसिंह, भँवरसिंह व बिरहसिंह राधाकिशन व बगता व श्योकरना व जीवन को गिरफतार किया गया व उनके कब्जे से ७६४ रु० ११ आ० का माल बरामद हुआ। इनका चालान तारीख ३१. १२. ५३ को अदालत एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी, टोंक में किया गया, जहाँ वह जेर तजवीज अदालत है। उमरावसिंह जो इनका लीडर था अभी तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है।

प्रश्न संख्या ५२

भूतपूर्व सिरोही राज्य की दिल्ली स्थित सम्पत्ति

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) भूतपूर्व सिरोही स्टेट की दिल्ली स्थित अचल जायदाद राजस्थान सरकार को कितनी प्राप्त हुई और उसका विवरण क्या है ?

(ख) इस जायदाद की देख-भाल कौन करता है और भविष्य में कैसे करना निश्चित किया गया है ?

(ग) क्या सरकार इस विषय में जो मुआहदा तहरीरी किया गया वह सदन की मेज पर रखने को तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मन्त्री) (अ) भूतपूर्व सिरोही स्टेट की निम्नलिखित दिल्ली स्थित अचल सम्पत्ति राजस्थान सरकार को मुसम्मात सईदुन्निसा से प्राप्त हुई है......

१. बंगला नं० २४ अलीपुर रोड दिल्ली।

२. बंगला नं० २६ अलीपुर रोड दिल्ली।

Page No.15

[श्री जयनारायण व्यास]

३. बंगला नं० २ राक्वेट कोर्ट रोड दिल्ली।

४. मकान नं० ६६४६४७ वार्ड नं० १४ प्लाट नं० ४०-४१ बस्ती हरफूलसिंह दिल्ली।

इसमें बंगला नं० २६ अलीपुर रोड को भारत सरकार ने सिरोही नरेश की निजी संपत्ति करार दिया है।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित संपत्ति दातव्य ट्रस्ट के निर्माण के लिए मुसम्मात सईदुन्निसा से प्राप्त हुई है :

१. प्लाट नं० १६ ब्लाक नं० ६ वार्ड नं० १६ मकान नं० ६४७।१२७ ए. एम. करौल बाग दिल्ली।

२. प्लाट नं० २० ब्लाक नं० ६ वार्ड नं० १६ मकान नं० ६४७।१२७ ए. एम. करोल बाग दिल्ली।

३. प्लाट नं० ५५ ब्लाक नं० ६ वार्ड नं० १६ मकान नं० ६४७।१३४

४. मकान नं० ६४३६ वार्ड नं० १४ प्लाट नं० १२ कुतुब रोड दिल्ली।

(ब) राजस्थान सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग इनकी देख-भाल करता है और करता रहेगा।

(स) मुआहदे की नकल सदन की मेज पर रखी गई है।

(विवरण अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया है)

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में ट्रस्ट बनाने का निर्णय किया है ?

श्री जयनारायण व्यास—इस संबन्ध में जितनी भी जानकारी है वह मेज पर रख दी गई है।

श्री जवानसिंह—नकल मुझे पहले प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए प्रश्न पैदा किया गया है।

श्री जसवन्तसिंह—प्रश्न-कर्त्ता को स्टेटमेंट की कापी दी जाती है; नहीं दी गई है इसलिये यह प्रश्न किया गया है।

श्री जयनारायण व्यास—उन्होंने प्रश्न पूछा था कि सूची मेज पर रख दी जाय, इसलिए सूची मेज पर रख दी गई।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या इस प्रोपर्टी के लिये किसी ट्रस्टी बनाने का निर्णय सरकार ने किया है ?

Page No.16

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रोपर्टी सरकार के पास आ गई है, इसलिए सरकार खुद इसकी ट्रस्टी है और सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी देख-रेख कर रहा है।

श्री जसवन्तसिंह—यह प्रोपर्टी अभी किस काम में आ रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार की प्रोपर्टी किसी सरकारी काम में ही लाई जा सकती है।

श्री जसवन्तसिंह—इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त वह प्रोपर्टी किस काम आ रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रोपर्टी जिन-जिन लोगों को किराये पर दी गई है, उन्हीं के काम आ रही है। अब जैसी आगे आवश्यकता होगी उसी के आधार पर इसका डिसपोजल होगा।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि इस प्रोपर्टी से जो कुछ आमदनी होगी, वह भूतपूर्व सिरोही राज्य के विद्यार्थियों की टेक्निकल एज्यूकेशन के लिए खर्च की जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस प्रश्न का नोटिस चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(प्रश्न कर्त्ता से) Is it a suggestion by the way or is it a fact ?

श्री मोहब्बतसिंह—It is not a suggestion.

श्री अध्यक्ष—It is out of scope of this question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह प्रोपर्टी भारत सरकार के इस्तैमाल के लिए भी दी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रोपर्टी राजस्थान सरकार की प्रोपर्टी समझनी चाहिये और उसी के इस्तैमाल के लिए है। अगर भारत सरकार को दी जावेगी तो उससे किराया लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पूछना चाहता हूँ कि यह दी गई है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इसकी डिटेल के लिए नोटिस चाहता हूँ।

डिप्टी इन्सपेक्टर, सिरोही, के कार्यालय के हिसाब का ऑडिट किया जाना

प्रश्न संख्या ५३

डिप्टी इन्सपेक्टर सिरोही, के कार्यालय के हिसाब का ऑडिट किया जाना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to answer:—

Whether the accounts of the Office of the Deputy Inspector of Schools, Sirohi, have been audited ever since its integration with Rajasthan ? If not, why not ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—The accounts were inspected by the Deputy Director of Education and his party.

श्री मोहब्बतसिंह—When ?

श्री भोलानाथ—On 23rd October, 1953.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Since when did the Deputy Director start auditing accounts ?

श्री भोलानाथ—I said "inspected".

श्री हरिकृष्ण व्यास—The question relates to auditing.

श्री भोलानाथ—Departmental inspection was done.

श्री मोहब्बतसिंह—कब ?

श्री भोलानाथ—२७ अक्टूबर, १६५३ को।

श्री मोहब्बतसिंह—ऑडिट अभी तक क्यों नहीं हुआ, जब कि सरकार के सामने यह प्रश्न लास्ट दो असेम्बलियों में भी लाया गया था ?

श्री भोलानाथ—यह तो ऑडिट डिपार्टमेन्ट का काम था। सरकार ने तो सिर्फ इन्सपेक्शन किया है।

श्री मोहब्बतसिंह—कितने समय पहले इस सिलसिले में निरीक्षण किया गया ?

श्री अध्यक्ष—(उत्तरदाता को सम्बोधित करते हुए) Can you give the date ?

श्री मोहब्बतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी की राय में इसका ऑडिट होना जरूरी नहीं है ?

श्री भोलानाथ—ऑडिट विभाग इन्डिपेन्डेन्ट बोडी है। यह उसी का काम है कि वह ऑडिट करे।

श्री मोहब्बतसिंह—इसके अकाउन्ट में बहुत कुछ घोटाला है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल।

प्रश्न संख्या ५४

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५

राजस्थान में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की स्थापना

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

[श्री जवानसिंह]

(क) क्या राजस्थान में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का स्थापित होना तय हो गया है ?

(ख) अगर हाँ, तो यह स्टेशन कब तक स्थापित हो जायगा ?

(ग) यह स्टेशन कहाँ स्थापित होगा ?

(घ) इस स्टेशन के रिलेइंग स्टेशन कितने और कहाँ-कहाँ स्थापित किये जाएँगे ?

श्री जयनारायण व्यास—ब्राडकास्टिंग स्टेशन स्थापित करने का विषय केन्द्रीय सरकार का है। यह समझा जाता है कि केन्द्रीय सरकार के पास जयपुर में ऐसा ब्रॉडकास्टिंग का स्टेशन आगामी वर्ष ५४-५५ में खोलने का प्रस्ताव है।

श्री जवानसिंह—और बाकी के प्रश्नों के उत्तर ?

एक सदस्य—जयपुर में किस स्थान पर खोला जावेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—यह विषय केन्द्रीय सरकार का है। खोलने का प्रस्ताव हमको इसलिए मालूम है कि हमसे एक मकान जो खासा कोठी के पास है, पार्क हाउस जिसे कहते हैं, उसको लेने की बातचीत चली थी।

श्री जवानसिंह—क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को पूछे बगैर ही यह सब कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह खोले, इसलिये पूछने न पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता।

एक सदस्य—क्या यह सही नहीं है कि एक अखबार में यह आया था कि वह ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन किशनगढ़ में खोला जावेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे अखबार का पता नहीं, पर हर अखबार की खबर सही ही हो यह मैं नहीं मानता।

श्री रोशनलाल—आपने खुद ने भी यह खबर पढ़ी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

सिरोही जिले के प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टर का सेवा-काल

प्रश्न संख्या ५६

श्री जवानसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जवानसिंह]

(क) सिरोही जिले के मौजूदा प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टर की सर्विस कितनी है ?

(ख) क्या राजस्थान में और कहीं भी ट्रेनिंग समाप्ति पर इसी कदर बिना अनुभव के नये अफसर की नियुक्ति की गई है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) ७ माह ।

(ख) हाँ, की गई है ।

श्री जवानसिंह—७ माह की सर्विस कहाँ की गई है, क्या राजस्थान सरकार में ?

श्री जयनारायण व्यास—जी हाँ ।

श्री जवानसिंह—कौनसे ओहदे पर ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टर के ओहदे पर ।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस बारे में फिर विचार करेंगे कि उन्होंने सात माह डी. आई. जी. के यहाँ काम किया है ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर माननीय सदस्य के पास कुछ इन्फोर्मेशन है, जो मेरे उत्तर से विभिन्न है, तो मैं जाँच करूँगा ।

श्री जवानसिंह—और (ख) में जो आपने बताया है वह कौन-कौन से स्थान से आये हैं ? इसके इन्स्टान्सेज कौन-कौन से हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—पढ़े-लिखे लॉ ग्रेजुएट, प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टरों की कमी होने के कारण पी. टी. एस. स्कूल किशनगढ़ में कोई १० इन्सपेक्टरों को और १० बाहर के लॉ ग्रेजुएटों को तरजीह दी गई थी । इनके अलावा ६ और हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसे अफसरों की कितनी तादाद है राजस्थान में जो बिना अनुभव के हैं ।

श्री अध्यक्ष—Order ! the question does not arise.

प्रश्न संख्या ५७

सिरोही की बालिका प्राथमिक पाठशाला

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) Is there a Girl's Primary School of the Government at Sirohi ?

[श्री मोहब्बतसिंह]

(b) If so, is it under the Deputy Inspectress of Girls' Schools, stationed at Jodhpur ?

(c) If not, why not ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—Yes. There was no separate Girls School previously at Sirohi. Separate Girls Sections were being run in the Boys Primary School with Lady Teachers. This year the Girls, Sections have been separated from that of the boys. But, as these lady teachers are still being paid from the budget of Boys School, their administrative control is with Deputy Inspector of schools. Steps are being taken to convert these Girls Primary Sections of Boys School into full-fledged Girls Primary School and when it is done, it will automatically be transferred under the administrative control of Deputy Inspectress of Girls School, Jodhpur.

श्री मोहब्बतसिंह—When is it expected to be done ?

श्री भोलानाथ—It is being done.

प्रश्न संख्या ५८

भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे से स्टेशन कुँवारिया तक बसों का आवागमन

श्री शम्भूसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे से स्टेशन कुँवारिया तक कितनी मोटर बसें चलती हैं, जिनमें से गंगापुर के नागरिकों की कितनी हैं ?

(ख) क्या गंगापुर के मोटर मालिकों द्वारा विधि के अन्तर्गत एवं समय के भीतर इस लाइन पर मोटर चलाने के वास्ते आवेदन दिया गया था ?

(ग) यदि हाँ, तो किस-किस की ओर से और उनको मोटर चलाने की सुविधा और स्वीकृति क्यों नहीं प्राप्त हुई ?

(घ) ऐसी स्वीकृति व सुविधा देने में क्या अड़चन है और वह कब तक दूर कर दी जावेगी ?

श्री रामकरण जोशी—(क) कांकरोली से गंगापुर वाया कुँवारिया स्टेशन चार बसें, टैक्सी, मोटर एसोसियेशन कांकरोली की चलती हैं। गंगापुर कुँवारिया स्टेशन इस रूट का ही हिस्सा है। इन चार बसों के अलावा अपीलेट, ऑथोरिटी में अपील होने पर दो परमिट गंगापुर के नागरिक

[श्री रामकरण जोशी]

श्री बंसीलाल हजारीलाल को गंगापुर कुंवारिया रूट पर दिये गये मगर अदालत दीवानी के हुक्म (इन्जंक्शन) से ये दोनों बसें बन्द हैं जिसकी निगरानी श्री बंसीलाल हजारीलाल ने जोधपुर हाईकोर्ट में कर रक्खी है।

(ख) आवेदन-पत्र विधि के अन्तर्गत प्रस्तुत हुए थे।

(ग) निम्नलिखित व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(१) बंसीलाल हजारीलाल—गंगापुर।

(२) मोहनलाल भगवानलाल—गंगापुर।

(३) भँवरलाल हजारीलाल—गंगापुर।

अपीलेट ऑथोरिटी की तरफ से दो बसें चलाने की सुविधा दी गई मगर अदालत दीवानी के इन्जंक्शन से बसें चलना बन्द हैं।

(घ) हाईकोर्ट के अन्तिम निर्णय पर निर्भर है।

श्री शम्भूसिंह—अदालत दीवानी का जो निर्णय था वह गवर्नमेंट के खिलाफ था या फरीकेन के खिलाफ ?

श्री रामकरण जोशी—वह तो परमिट कैंसिल कर दिया था। बस चलाने से बन्द कर दिया तो यह फैसला तो बस चलाने वाले के खिलाफ है और असर इसका उसी पर पड़ता है।

श्री शम्भूसिंह—क्या वह फैसला बस मालिक के खिलाफ था ?

श्री रामकरण जोशी—उसी के खिलाफ था और उसी की बसें बन्द हो गईं।

श्री शम्भूसिंह—बस मालिक के खिलाफ था या सरकार के भी खिलाफ था, क्योंकि जो रिट लगा दी कोर्ट ने वह सरकार के भी खिलाफ पड़ती है ?

श्री रामकरण जोशी—अपीलेट ऑथोरिटी ने फैसला किया था उसी का नुकसान आता है और जो असर होता है वह बस ओनर पर ही आता है।

श्री शम्भूसिंह—असर तो सरकार पर भी पड़ता है; क्योंकि उसकी आज्ञा को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो, कोर्ट के ऐसे ऑर्डर के खिलाफ रिलीफ माँगने के लिए राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट को क्यों नहीं एप्रोच किया ?

श्री अध्यक्ष—(उत्तरदाता की ओर से कुछ समय तक कोई उत्तर न आने पर)

I think the Hon'ble member is not himself clear.

Page No.22

श्री शम्भूसिंह—मैं यह प्रश्न करता हूँ कि अगर अदालत का ऑर्डर सरकार और बस ओनर दोनों के खिलाफ था तो गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर के खिलाफ प्रोपर ऑथोरिटी के पास एप्रोच करके रिलीफ हासिल क्यों नहीं की ?

श्री रामकरण जोशी—यह रिलीफ तो बस ओनर को मिलेगी।

श्री शम्भूसिंह—क्या गवर्नमेंट ने एप्रोच किया किसी अपीलेट ऑथोरिटी को ?

श्री रामकरण जोशी—गवर्नमेंट की सहानुभूति है, उस बस ओनर के साथ।

श्री शम्भूसिंह—मैं फिर आपका उत्तर सुन नहीं सका। माननीय मन्त्री जी कृपा करेंगे, इसका ठीक उत्तर देने की कृपा करेंगे।

श्री रामकरण जोशी—इसमें कोई इन्टरेस्ट नहीं है सरकार का।

श्री अध्यक्ष—The Government does not want any relief.

श्री शम्भूसिंह—सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर था वह सरकार के ऑर्डर के खिलाफ था ?

श्री अध्यक्ष—The Government dose not wish to go to the appellate authority that is the reply.

श्री शम्भूसिंह—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके बाद भी गंगापुर के नागरिकों की ओर से और बसें चलाने की दरख्वास्तें पेश की गईं और वे मन्जूर की गईं ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं, और किसी को परमिटें नहीं दी गईं।

प्रश्न संख्या ५६

सरकार द्वारा गंगानगर सुगर मिल्स का पट्टे पर लेना और उसके परिणाम

श्री खेतसिंह—Will the Minister incharge for Commerce and Industries be pleased to state:—

(i) Whether the Government has taken over the Ganganagar Sugar Mill on lease ? If so, on what terms ?

(ii) Is it a fact that the Government will have to pay a sum of Rs. 1 Lac to 3 Lacs on account of lease money to its owners ?

(iii) Was the Government aware of the fact that this Mill was a loosing concern in the hands of its owners when it was taken over ? If so, whether the Government has taken over this Mill knowingly with the expectation of working it economically ?

(iv) Whether the Government would like to take this House in confidence by placing the progress report of the working of the above Mill since its taking over by the State Government on the table of the House ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(i) Yes, the terms are as follows:—

(i) The period of leases shall be one year with option to renew the same for another year.

(ii) Government is to pay to the company the following amouut in consideration of the lease:

(i) Interest on cumulative preferential shares of the Company.

(ii) Nominal lease money, and

(iii) Nominal office allowance of the Managing Agents.

(ii) Actual amount of lease money has not yet been fixed.

(iii) Government was aware of the fact that this concern incurred loss in the year 1950-51 but it showed a profit in the year 1951-52 during the year 1952-53, the factory did not work and, therefore, incurred loss The Government has taken the lease of the factory in the larger interests of cane growers of the Ganganagar districts. The factory did not work during the year 1952-53 and the cane cultivators could not sell their cane and suffered loss. It was feared that the factory did not work this season the cane cultivation in the area would be greatly reduced.

(iv) The factory under the Government management is working very satisfactorily It has crushed 4, 30,000 maunds of cane and has manufactured 33, 852 maunds of sugar upto 28th February, 1954 The latest figures are: It has crushed 5,00 000 maunds of cane upto 7-3-54 and produced 14,600 bags of sugar upto this period.

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि बीकानेर के कमिश्नर भी इस कंपनी के मैनेजर, एजेन्ट या नौकर हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—बीकानेर के कमिश्नर वहाँ के कमिश्नर होने के साथ-साथ इस फैक्ट्री का सुपरविजन भी करते हैं और उनकी इच्छानुसार उनको अन्य अफसर भी दिये गये हैं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या बीकानेर के कमिश्नर एक एजेन्ट के माफिक एक बेग हाथ में लिए घर-घर घूमते हुए सुगर का नमूना दिखाते फिरते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि बीकानेर के कमिश्नर ही नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर भी, लीडर ऑफ अपोजिशन को इस शक्कर का नमूना दिखावें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—वे आवें या न आवें मुझे इसकी जरूरत नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या माननीय चीफ मिनिस्टर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५१-५२ में इस कंपनी ने कितना प्रोफिट शो किया ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह बात सही नहीं है कि केन ग्रोअर्स के इन्ट्रेस्ट के साथ-साथ मिल मालिक के इन्ट्रेस्ट को भी ध्यान में रखा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—केन ग्रोअर्स के साथ मिल में काम रकनेवाले मजदूरों के इन्ट्रेस्ट को और सरकार के जो १६ लाख रुपये लगे थे उसके इन्ट्रेस्ट को भी ध्यान में रखा गया।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही नहीं है कि इसमें खास ख्याल मिल मालिक का रखा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—जी नहीं, यह केवल आपकी कल्पना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कुल सरकार को कितनी रकम इसमें देनी पड़ेगी। क्या इसका हिसाब लगाये बगैर ही फैसला कर दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार लाख दो लाख का घाटा तक देने को तैयार थी लेकिन आशा की जाती है कि अब घाटा नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बात की जाँच की या नहीं कि लोस इन इन्ट्रेस्ट की कितनी रकम देनी पड़ेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—पूरी जाँच करने के बाद सरकार ने इसकी व्यवस्था हाथ में ली है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आप बतायेंगे कि सरकार को कितनी रकम देनी पड़ेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री सन्तोषसिंह—क्या यह सही है कि गंगानगर सुगर मिल के इंजीनियर पार्ट टाइम काम करते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसका मैनेजमेन्ट हाथ में लेने से पहले एक्सपर्ट्स से राय ली गई थी ?

श्री जयनारायण व्यास—जरूर ली गई थी।

श्री हरिकृष्णव्यास—उन्होंने क्या राय दी थी ?

श्री जयनारायण व्यास—नोटिस मिलने पर इस विषय में बताया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री उक्त राय को सदन की मेज पर रखने को तैयार हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—जी हाँ।

श्री गुरदयालसिंह सिन्धुः—(अश्रव्य)

श्री जयनारायण व्यास—यह ध्यान में अब लाया गया है। यदि सही है तो जाँच की जा सकती है।

प्रश्न संख्या ६०

श्री अध्यक्ष—श्री मंगलसिंह (६३)

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१

डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा टेस्ट बुक्स सम्बन्धी गोपनीय सूचना का पता प्रकाशकों को लग जाना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that certain confidential information from the office of the Director of Education regarding the selection of Text Books leaked to interested publishers ?

(b) Has any enquiry been conducted in order to place the responibility for the leakage ?

(c) If so, with what results ?

(d) In view of the leakage, is the Goverment considering the question of commencing the work of selection of Text Books de-novo ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री) (अ) ऐसी सूचना अधिकारियों को मिली थी।

(ब) हाँ।

(स) कुछ जाँच अभी जारी है।

(ड) प्राथमिक रिपोर्ट से प्रकट है कि नये तौर से जाँच करने की आवश्यकता नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी सूचना मिलने के बाद से अब तक कितना समय गुजर चुका है ?

श्री भोलानाथ—पुलिस के पास ३ महीने रही और अब डिपार्टमेन्ट के पास दो महीनों से है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब इत्तला पब्लिसर्स को लीक हो गई थी तो सरकार को कैसे तसल्ली हुई कि बाकी लोगों को भी लीक आउट नहीं हुई ?

श्री भोलानाथ—प्रारम्भिक रिपोर्ट से पता चलता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रारम्भिक रिपोर्ट किसी व्यक्ति ने दी या पुलिस ने ?

श्री भोलानाथ—पुलिस ने।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कुछ इत्तला प्राप्त हो चुकी है, तो क्या सारा का सारा सिलेक्शन गलत नहीं हो जाता है ?

श्री भोलानाथ—सारे सिलेक्शन के गलत होने की बात नहीं है, जिनके खिलाफ रिपोर्ट है, उनकी जाँच कराई गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब पहले से लीक आउट हो गई तो सिलेक्शन भी तो गलत नहीं हो जाता ?

श्री अध्यक्ष—This is a matter of opinion. It is for the public to konw.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What does the Government consider about it ?

श्री अध्यक्ष—Expression of opinion in the question-hour is not desirable. When the information leaks out, what consequences follow; everybody knows.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But if the Government refuses, chooses not to know, I shall ask.

श्री अध्यक्ष—No, no. Another supplementary you can ask. You cannot press for expression of opinion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All right. I will seek another information.

(विराम)

सरकार ने जो जाँच करने का तरीका अख्तियार किया था उसकी सीक्रेसी क्या महत्वपूर्ण बात नहीं थी ?

श्री भोलानाथ—किसकी ?

श्री अध्यक्ष—सीक्रेसी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री भोलानाथ--पुलिस जाँच कर रही थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस जांच के तरीके की सीक्रेसी महत्वपूर्ण बात नहीं थी ?

श्री भोलानाथ—सीक्रेसी की आवश्यकता थी, इसीलिये तो पुलिस को सौंपा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब जब कि सीक्रेसी नहीं रह गई है तो क्या तरीके में फरक नहीं आ गया ?

श्री भोलानाथ—फरक आयगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार कमी करने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—Next Question.

प्रश्न संख्या ६२

दलित वर्ग में से गजेटेड अधिकारियों की नियुक्ति

श्री लालूराम— क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

राजस्थान में सन् ५२-५३ में दलित वर्ग में से कितने गजेटेड ऑफीसर लिए गए और उनकी नियुक्ति किन किन विभागों में कहां कहां की गई ?

श्री जयनारायण व्यास— कहीं नहीं की गई।

श्री कँवरलाल जेलिया— राजस्थान सरकार द्वारा गजट में जो नोटिफिकेशन शाया किया गया उसके अनुसार किस की नियुक्ति की गई ?

श्री जयनारायण व्यास— मैंने कहा था कि कोई नियुक्ति नहीं की गई।

श्री कंवरलाल जेलिया—गजट में नोटिफिकेशन शाया होने के बाद क्या राजस्थान सरकार के पास कोई आवेदन पत्र आया है ?

श्री जयनारायण व्यास-- मैं नहीं कह सकता कि कोई आवेदन-पत्र आया है या नहीं, लेकिन यदि आया है तो उस व्यक्ति को उस पोस्ट के योग्य नहीं समझा गया होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया— क्या सरकार द्वारा निकाले गये नोटिफिकेशन की आप जानकारी नहीं रखते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास— जानकारी रखने नहीं रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री— क्या सेक्रेटेरियट में इस प्रकार के आवेदन पत्रों के लिए कोई रजिस्टर खुला हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास— रजिस्टर खुला हुआ है, परन्तु गजेटेड ऑफिसर की नियुक्ति पी. एस. सी. के सर्टिफिकेट के बाद ही हो सकती है ।

श्री कँवरलाल जेलिया— क्या किसी की नियुक्ति के लिए हम राजस्थान गवर्नमेन्ट से आशा रखें ?

श्री जयनारायण व्यास— जो योग्यता की सीमा में आते हैं उनके लिए आशा हो सकती है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री— यदि ऐसा है तो फिर रजिस्टर क्यों रखा गया ?

श्री जयनारायण व्यास-- जब रजिस्टर भर जायगा तब पी. एस. सी. के पास भेज दिया जायगा ।

श्री रोशनलाल— क्या इनमें जो योग्य व्यक्ति थे वे सदन में आ गये या बाहर भी रहे हैं ?
[हँसी]

प्रश्न संख्या ६३

अर्द्ध सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण व रचनात्मक संस्थाओं के कर्मचारियों पर चुनावों के समय राज्य कर्मचारियों की भाँति प्रतिबन्ध

श्री मुक्तिलाल मोदी— क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) सरकार की ओर से जिन अर्द्ध सरकारी शिक्षण व रचनात्मक संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है और जिन पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों पर म्युनिसिपल, पंचायतें व अन्य चुनाओं में राज्य कर्मचारियों की ही भाँति क्या कोई प्रतिबन्ध है ?

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— (क) जी नहीं ।

(ख) अभी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया है ।

प्रश्न संख्या ६३

श्री मुक्तिलाल मोदी— क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि सरकार के पास इस प्रकार की इत्तला आ जाय कि उन कर्मचारियों ने इलेक्शन में काम किया है तो क्या उनके खिलाफ वह कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास— कोई प्रतिबन्ध ही नहीं है तो कैसे कार्यवाही की जाय ?

श्री मुक्तिलाल मोदी— क्या इस प्रकार के कर्मचारियों पर आगे प्रतिबन्ध लगाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास— अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है। प्रतिबन्ध नहीं लगाने से कोई हानि सिद्ध हुई तो विचार किया जायगा, नहीं तो नहीं।

प्रश्न संख्या ६४

सन् १९५३-५४ में प्राथमिक शिक्षा विस्तार के लिए केन्द्र द्वारा सहायता

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

(a) Did the Rajasthan Government get a special aid from the Centre for extending primary education during the financial year 1953-54 ?

(b) If so, what was the amount so received ?

(c) How many schools were proposed to be opened during the year ?

(d) How many have actually been opened ?

(e) Please furnish the number of schools so opened District-wise.

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)— (अ) हां।

(ब) बीस लाख रुपया।

(स) १३००) रु०।

(ड) १२४७) रु०।

(ई) लिस्ट टेबल पर रख दी गई है। (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एडवान्स कापी मुझे नहीं मिली, मिल जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष—Order ! You can issue a notice for that.

प्रश्न संख्या ६५

जून १६५२ से दिसम्बर १६५३ तक किशनगढ़ में चोरियां

श्री चांदमल मेहता—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) जून सन् १६५२ से आखीर दिसम्बर सन् १६५३ तक किशनगढ़ शहर में कितनी चोरियां हुई और उनमें कितने रुपए का माल चोरी गया ?

(ख) उक्त चोरियों में से कितनी चोरियों का पता लगा और कितने रुपए का माल बरामद कराने में पुलिस सफल रही ?

(ग) क्या यह सही है कि इन चोरियों में कुछ पुलिस अधिकारियों का हाथ था ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)-(क) १८ मास के अरसे का इस सम्बन्ध में जो प्रश्न है, इसमें ५५ मामलों की रिपोर्ट हुई। इन चोरियों की रकम १०२८३) हो जाती है। इन ५५ मामलों में १७ मामले तो १५७ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत थे और जिनकी ६४ के बारे में कोई जाँच नहीं की गई।

(ख) ८१ का पता लग गया और १३६१ रु. ८ आ. बरामद भी हुए। बाकी केसेज़ ट्रेस नहीं हुए, इसलिए बन्द हो गए।

(ग) नहीं।

कु. श्री जसवन्तसिंह— ये चोरियां किशनगढ़ में उपचुनाव हुआ उसके पहले की हैं या बाद की ?

श्री जयनारायण व्यास—ये जून सन् १६५२ से दिसम्बर सन् १६५३ तक के केसेज़ हैं।

कु श्री जसवन्त सिंह—मेरा प्रश्न यह है कि ये केसेज उपचुनाव हुआ उसके पहले के हैं या बाद के ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे उपचुनाव की तारीख याद नहीं है कि कब हुए कृपया बता दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चुनाव के वक्त की चोरियों का पता होगा ?

श्री जयनारायण व्यास—उस वक्त मैं गृह मन्त्री नहीं था।

श्री चाँदमल मेहता—इन चोरियों का पता चलाने के लिए क्या किसी विशेष अफसर की नियुक्ति की गई थी ?

Page No.31

श्री जयनारायण व्यास—नहीं, क्योंकि वहाँ डी. एस. पी., एस. आई. सब मौजूद हैं। चोरियों की इतनी बड़ी रकम नहीं कि किसी विशेष ऑफिसर की नियुक्ति की जाय।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इन चोरियों की जाँच के लिए विशेष ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी और उन चोरियों का पूरा पता लगाने के पहले ही उसे हटा दिया गया।

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है कि कोई रिपोर्ट किसी ऑफिसर के खिलाफ की गई हो और उसके सम्बन्ध में शक पैदा हो गया हो और उसकी गुप्त जांच के लिये या किसी ऑफिसर के बारे में शक भी हो गया हो उसकी जांच के लिये किसी दूसरे विशेष ऑफिसर को भेजा गया हो और उसको रोकने में कोई लाभ नहीं हो तो उसको हटा दिया जा सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—चेयरमेन म्युनिसिपल बोर्ड के यहाँ चोरी हुई और उसकी जाँच के लिये विशेष ऑफिसर की नियुक्ति के लिये मांग की गई?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे म्युनिसिपल चेयरमेन के प्रति सहानुभूति है, पर ऐसी एक एक चोरी की जांच के लिये अलग-अलग ऑफिसर की नियुक्ति की जाय; यह सम्भव नहीं।

एक सदस्य—क्या उन दिनों में प्रश्नकर्ता के यहां भी चोरी हुई थी और अधिक माल गया?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—चोरी के माल की बरामदगी के बारे में राजस्थान सरकार का क्या नियम है कि कितने पर्सेन्ट बरामदगी होनी चाहिये?

श्री जयनारायण व्यास—यह कोई अनिवार्य नहीं है कि चोरी का माल बरामद हो ही जाय। सम्भव है कि चोर अफसर से भी ज्यादा होशियार हो सकता है। किशनगढ़ के लिये तो एक विशेष परिस्थिति है कि वहाँ चोरों के लिये बहुत सुविधाजनक ट्रेनें है। अजमेर से आया और चोरी की और वापिस अजमेर चला गया।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ स्टेट के समय तो इस प्रकार का नियम था कि इतने पर्सेंट तो बरामदगी होनी चाहिये, तो फिर राजस्थान सरकार में इस प्रकार का नियम क्यों नहीं?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा राजस्थान में कोई नियम नहीं है और न संविधान के मुताबिक ऐसा नियम होना उचित ही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६

गंगानगर जिले की पाठशालाओं को फर्नीचर दिया जाना

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः–

(क) गंगानगर जिले के कितने स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा सन् १६५३ में फर्नीचर दिया गया और वह किस किस स्कूल को और कितना कितना ?

(ख) दूसरे इन स्कूलों को फर्नीचर नहीं दिया गया उसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षामंत्री)— (क) गंगानगर जिले में ७६ स्कूलों को फर्नीचर दिया गया उसका विवरण इस प्रकार हैः—

कुर्सी	४१
मेज	४०
ब्लेक बोर्ड	६१
टाटपट्टी	३३८
बाल्टी	४६
वाल फ्रेम	२
स्टूल	५
लोटा	६६

(ख) फर्नीचर का बँटवारा स्कूलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— जिन स्कूलों को फर्नीचर नहीं दिया गया है वे कैसे काम चला रही हैं ?

श्री भोलानाथ— जितना उनके पास है उसी से चला रही हैं।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— लोटा-बाल्टी वगैरह भी फर्नीचर में शुमार हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष—It is a matter of opinion.

प्रश्न संख्या ६७

किशनगढ़ क्षेत्र के उपचुनाव के पश्चात् किशनगढ़ सब डिविजन में डकैतियां

श्री चांदमल मेहता— क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः–

[श्री चांदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव के बाद किशनगढ़ सब डिवीजन में कहां कहां डकैतियां हुईं और उनमें कितना माल डाकू लूट कर ले गये ?

(ख) उक्त डकैतियों में से किन किन का कितना कितना माल बरामद करवाया गया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— (क) किशनगढ़ सब. डि. के उपचुनाव के बाद निम्नलिखित डकैतियां हुईं ।

नं. शु.	मुकाम	ई. नं.	दफा	म.जु.	माल मशरूका.		
					रु.	आ.	पा.
१.	कालानाडा	३६	३६६	१२-६-५२	१७१७		
२.	दसुक	३७	३६५	१८-६-५२	२८५२२	०	०
३.	सांपला	४३	३६६	२६-१०-५२	३३३६२	०	०
४.	जुगलीपुरा	४६	३६५	२२-१२-५२	१२००	०	०
५.	जाजोतो	७	३६५	१४-३-५३	६१४४	०	०

(ख) कलानाडा में ५०० रु० दसुक १३३० रु० सांपला में ० जुगलीपुरा ५०० रु० जाजोता ० ।

श्री चांदमल—क्या इनमें से कोई राजनैतिक दल का भी सदस्य है ?

श्री जयनारायण व्यास—नैनया मीणा और रणजीता आदि कोई राजनैतिक दल के नहीं हैं ।

कु. श्री जसवन्तसिंह—क्या उप चुनावों में जिसके लिये जोर दिया गया था ?

एक सदस्य—किसके लिये ?

एक सदस्य—डकैतियों के लिये ।

श्री जयनारायण व्यास—यह उपचुनावों के बाद की बात है ।

श्री कानसिंह—क्या इन डाकुओं ने उपचुनावों में मदद की थी ?

श्री जयनारायण व्यास—किस की मदद की थी, मुझे कुछ पता नहीं है ।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—चुनाव में उन लोगों ने काम किया ।

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से नहीं किया गया ।

श्री भैंरूसिंह (दाँता रामगढ़)—(अश्रव्य)

श्री जयनारायण व्यास—डकैतियों को पसन्द करने वालों में से नहीं होंगे।

प्रश्न संख्या ६८

राज्यकर्मचारियों में कार्यकुशलता तथा ईमानदारी लाने के लिये सदन में एक अधिनियम की प्रस्तुति

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

क्या राजकीय कर्मचारियों में कार्यकुशलता तथा ईमानदारी लाने के लिए कोई अधिनियम शीघ्र ही सदन के सामने आने वाला है ?

श्री जयनारायण व्यास—आवश्यकता नहीं है। प्रचलित कायदे कानून इस दिशा में काम में लाये जा सकते हैं।

प्रश्न संख्या ६९

पदमपुरा, जिला गंगानगर, के लिये मिडिल स्कूल के लिये अध्यापकों का प्रबन्ध

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) पदमपुरा, जिला गंगानगर, के मिडिल स्कूल में इस समय कितने विद्यार्थी है ?

(ख) वहाँ कितने अध्यापक हैं और उनमें से कितने ऐसे अध्यापक हैं जो छुट्टी पर हैं और कितने समय से हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री) (क) पदमपुरा, जिला गंगानगर, के मिडिल स्कूल में इस समय २९९ विद्यार्थी हैं और ९ अध्यापक हैं। इनमें से एक अध्यापक क्षय-रोग से बीमार होने के कारण लगभग दो वर्ष से छुट्टी पर है।

(ख) छात्रों व कक्षाओं की संख्या को देखते हुये अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—(अश्रव्य)

क्या सरकार अध्यापकों की संख्या..............?

श्री भोलानाथ—(अश्रव्य)

Page No.35

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इसकी जाँच करेगी ?

श्री भोलानाथ—हाँ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जाँच कब तक शुरू हो जावेगी ?

श्री भोलानाथ—आज आपने बताया है, जाँच कल से ही शुरू हो जावेगी।

एक सदस्य—क्या संस्कृत के लिये भी कोई मास्टर है ?

श्री भोलानाथ—इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष—The question-hour is over. Shri Tika Ram Paliwal.

श्री एच० के० व्यास—Before we proceed on to the business, Sir, I will like to make a request under Rule 151.

श्री अध्यक्ष—What about ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—About the notice of the motion of privilege; I have given.

श्री अध्यक्ष—I have given my ruling on that. You have received the intimation about that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My request......

श्री अध्यक्ष—The subject-matter which is not on the order paper cannot be introduced. I refuse to allow that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am making a request under a particular rule.

श्री अध्यक्ष—I do not hear anything against a decision which I have given.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not speaking against the decision at all.

श्री अध्यक्ष—Order!

श्री हरिकृष्ण व्यास—But consequent on the order I have to make a submission which is permissible under the rule.

श्री अध्यक्ष—No, no. Nothing can have priority over the order paper unless it is a point of order and I think the Member will abide by the order. Order !

(विराम)

श्री टीकाराम पालीवाल

अन्तर्सत्र काल के अध्यादेश

श्री टीकाराम पालीवाल (उप मुख्य मंत्री)—Mr. Speaker, Sir, I lay before the Assembly the following Ordinances promulgated after the termination of the last session and before the commencement of the present session :—

1. The Rajasthan Town Municipalities Act (Amendment) Ordinance, 1954, (Ordinance No. I).

2. The Rajasthan Official Language (Amendment) Ordinance, 1954, (Ordinance No .II).

3. The Rajasthan (Protection of Tenants) Amendment Ordinance, 1954, (Ordinance No. III).

4. The Rajasthan Agricultural Rents Control Ordinance, 1954 (Ordinance No. IV).

5. The Municipal Taxes Validation Ordinance, 1954 (Ordinance No. V).

6. The Rajasthan Rent Rates Determination and Validation Ordinance, 1954 (Ordinance No. VI).

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—Now, we come to the discussion on the Rajpramukkh's Address.

रावत श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख ने यहाँ पधार कर जो अपना भाषण दिया उनको धन्यवाद देने के लिये सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और जिसका समर्थन हुआ, इस सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख ने यहाँ पधार कर अपना जो भाषण दिया उसके लिए धन्यवाद देने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता उन्होंने यहाँ पधारने का जो कष्ट उठाया और अपने दर्शन दिये उसके लिये धन्यवाद दिया जा सकता है।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय मथुरादासजी माथुर ने रखा और उस का समर्थन श्री कासलीवालजी ने किया। मैं समझता हूँ कि उनको किसी अंश में धन्यवाद दिया जा सकता है कि उन्होंने उनके भाषण की सब कमियें स्वीकार करके इस बात को स्वीकार कर लिया कि श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने सबसे पहले अपने भाषण में यह बताया कि गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति जो पहले थी उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और इस पर उन्होंने संतोष प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो श्रीमन् राजप्रमुख यह फरमाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज सुधरे हैं और वे अपनी फाइनेन्स की हालत को अच्छी मानते हैं और दूसरी तरफ श्रीमन् राजप्रमुख सदन के सामने सेल्स टैक्स जैसा बिल लाने के लिये अपने भाषण में फरमाते हैं; तो फिर हम कैसे मान लें कि गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो सेल्स टैक्स द्वारा ज्यादा कर क्यों लगाया जा रहा है? ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, जो कैसे मानी जा सकती हैं। जब आर्थिक स्थिति अच्छी है तो फिर सेल्स टैक्स लगा कर जनता को, जो करों से पहले ही काफी दबी हुई है, अनुनेसेसरी बर्डन डालकर, क्यों दबाया जा रहा है? श्रीमन् राजप्रमुख ने यह कह कर, मैं समझता हूँ, अच्छा ही किया कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर गई है; क्योंकि जब सेल्स टैक्स पर बोलने का अवसर आएगा तो उसके लिये यह एक आर्ग्युमेंट के तौर पर कह सकेंगे कि जब आर्थिक स्थिति अच्छी है तो फिर ऐसी हालत में यह सेल्स टैक्स जनता पर क्यों लादा जावे।

(६. ३६ बजे श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद श्रीमन् राजप्रमुख ने कानून और व्यवस्था (लॉ एण्ड ऑर्डर) के सम्बन्ध में सुधार होने की बात अपने भाषण में कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिस स्टेट में इसी साल कई मर्तबा १४४ की धाराएँ लगाई जाएँ और जहाँ पुलिस को बार-बार लाठी चार्ज करना पड़े; क्या यही लॉ एण्ड ऑर्डर में, स्ट्राइकिंग चैंज की मिसाल है।

इस वर्ष कितनी हड़तालें हुईं? जयपुर शहर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, में जो हड़ताल चली क्या वह इस बात की द्योतक नहीं है कि लॉ एण्ड ऑर्डर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ? बीकानेर में फूडग्रेन्स हटाया गया उसके विरोध में बहुत लम्बी हड़ताल चली और विशाल प्रदर्शन हुए। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट और पुलिस की तरफ से जो जो अत्याचार हुए वे आपसे छिपे हुए नहीं नहीं हैं। वहाँ के सम्माननीय नागरिकों पर लाठी प्रहार किया गया, उनके सिर फोड़े गये और उनको हर तरह के बहाने से गिरफ्तार किया गया और जलील किया गया। इसकी वजह केवल यही थी कि उनकी ऐसी माँग थी जिसे जनता का समर्थन प्राप्त था और वह माँग थी "अन्न", जो कि मनुष्य के लिए सबसे अहम माँग है। अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या को, जिसे श्रीमन् राजप्रमुख ने सुधरी हुई बताया, उसके प्रमाण में १४४ धारा का बार बार लागू किया जाना और अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज कराया जाना क्या यह उसके विरोध में स्पष्ट प्रमाण नहीं है? इसके बाद श्रीमन् राजप्रमुख ने पुलिस की तारीफ के पुल बाँधे और बताया कि हमारे पुलिस विभाग की तरक्की हुई है, इस कदर यह हो गया है, इस कदर वह होगया है। क्या पुलिस विभाग की तरक्की इसी पर है कि शान्त नागरिकों

[रावत श्री शम्भूसिंह]

पर अन्धाधुन्ध तरीके से लाठी प्रहार किया जावे और नागरिकों को अन्धाधुन्ध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जावे। भीलवाड़ा में जो हुआ वह आपसे भले ही छिपा हुआ हो, किन्तु वहाँ की जनता से छिपा हुआ नहीं है। श्रीमन् मुख्य मन्त्रीजी का वहाँ पर हॉस्पिटल के शिलान्यास के सिलसिले में पदार्पण हुआ था। हिन्दू महासभा के कुछ सदस्य उस समारोह में सम्मिलित होना चाहते थे। यह कोई अपराध नहीं था और न वहाँ कोई १४४ धारा लगी हुई थी। किन्तु बात यह थी कि उस समारोह में सम्मिलित हो कर हिन्दू महासभा के कुछ सदस्य भीलवाड़ा की स्थानीय समस्याओं को मुख्य मन्त्रीजी के सामने उपस्थित करना चाहते थे। दूसरी राजनैतिक पार्टियों को यह बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि हिन्दू महासभा के सदस्यों द्वारा श्री मुख्य मन्त्रीजी के सामने समस्याओं को उपस्थित किया जावे। अतएव पुलिस को यह बात असहनीय हुई और अन्धाधुन्ध तरीके से पुलिस ने हिन्दू महासभा के सब सदस्यों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाने की कोशिश की। यहाँ यह दूसरी बात है कि वे गलती से छोड़ दिये जाँय अथवा वे निर्दोष हों। तो क्या यह पुलिस के रवैये में इम्प्रूवमेंट होने के प्रमाण हैं?

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद फूड-ग्रेन्स की पोजिशन को स्टेबिलाइज करने के बाबत श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया कि हमारे यहाँ फूड-ग्रेन्स की पोजिशन स्टेबिलाइज हो चुकी है, किन्तु मेरे ख्याल से तो श्रीमन् राजप्रमुख ने बीकानेर में जो आन्दोलन चला और फूड-ग्रेन्स हटाने का जनता ने काफी विरोध किया उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की है और इसी को स्टेबिलाइज्ड फूड-ग्रेन्स की पोजिशन बताया है। हम कैसे मान सकते हैं कि राजस्थान में फूड-ग्रेन्स की पोज़िशन स्टेबिलाइज्ड हो चुकी है जब कि अभी तक बहुत से लोगों को अन्न काफी मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा है और अनाज के भाव भी इतने नीचे नहीं गिरे हैं। ६ फरवरी के गजट में चूरू के जो गवर्नमेंट ने भाव दर्ज किये हैं उसमें १६) रु० मन अन्न का भाव खुद गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, किन्तु फिर भी श्रीमन् राजप्रमुख यह कहते हैं कि फूड-ग्रेन्स की पोज़िशन स्टेबिलाइज हो रही है।

उसके बाद डकैतियों में कमी होने के बारे में श्रीमन् राजप्रमुख ने कहा है कि डकैतियों में ५२ पर्सेन्ट कमी हुई है। हो सकता है कि कमी हुई हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा दूसरे क्षेत्रों में हुआ हो। किन्तु, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में डकैतियों में कमी क्या हुई यह मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में देवगढ़ के पास बगाना नामक गाँव में डकैती हुई है और देवगढ़, जहाँ पर मिलिटरी पुलिस का पहरा लगा हुआ है उस मिलिटरी पुलिस की नाक के ठीक नीचे दिन दहाड़े चोरों ने बगाना गाँव को लूटा, जो केवल दो मील दूर है, मिलिटरी पुलिस जिनको अच्छी तरह से गिरफ्तार कर सकती थी, किन्तु पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। और, जब डाकू वहाँ से चले गये तो पुलिस वहाँ पहुँची। उनको गिरफ्तार करना दूर की बात थी क्योंकि डाकू वहाँ से चले गये थे। एक दूसरे स्थान का उदाहरण और पेश करता हूँ। सहाडा तहसील में उललाई ग्राम है, वहाँ डकैती हुई। डाकुओं को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। रायपुर तहसील में नारा स्थान है। वहाँ पर डकैती हुई। चाहे डाकुओं को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, किन्तु उनको अभी तक कोई उचित दण्ड नहीं मिला है। हालांकि दण्ड देना कोर्ट का बिज़नेस है; किन्तु पुलिस की तरफ से एविडेन्स नहीं पहुँची होगी। कोई न कोई तो कमी है ही इसलिए अभी तक कोर्ट उचित दण्ड नहीं दे पाई है।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

तत्पश्चात् श्रीमन् राजप्रमुख ने......

श्री खेतसिंह—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। उपाध्यक्षजी, मिनिस्टरों में तो यहाँ कोई उपस्थित नहीं है फिर श्रीमन् शंभूसिंहजी अपना भाषण किसको सुना रहे हैं?

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—मिनिस्टर नहीं हैं तो भावी मिनिस्टर तो हैं।

इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो समस्याएं मैं निवेदन कर रहा हूँ उनको मिनिस्टर महोदय सुनने तक का कष्ट नहीं फरमाते।

इसके बाद रिलीफ पर श्रीमान् राजप्रमुख ने प्रकाश डाला और उन्होंने यह फरमाया कि रिलीफ वर्क में ४६ लाख ३० हजार रुपये खर्च किये गये हैं और उन्होंने ४४ हज़ार स्क्वायर एरिया बताया जो कि अकाल ग्रस्त था। आश्चर्य का विषय है कि श्रीमान् राजप्रमुख ने यह नहीं बतलाया कि किस-किस स्थान पर कितना-कितना पैसा खर्च हुआ। जहाँ तक मुझे मालूम है बीकानेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा अकाल का प्रभाव रहा और वहाँ सबसे कम पैसा खर्च हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना पैसा किस-किस क्षेत्र में खर्च हुआ? बीकानेर में जहाँ कि जरूरत थी वह पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर दूसरे गैर जरूरी स्थानों पर इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया गया? इस पर श्रीमान् राजप्रमुख ने कुछ प्रकाश नहीं डाला है।

इसके बाद श्रीमान् राजप्रमुख ने यह फरमाया कि फाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में ५ करोड़ रुपये और बढ़ गये हैं। चम्बल भाखरा प्रोजेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि गवर्नमेन्ट बहुत कुछ कर रही हो किन्तु अब तक हमारी पंचवर्षीय योजना का कोई फल प्रकट नहीं हुआ है।

उसके बाद श्रीमान् राजप्रमुख ने पावर हाउसेज़ की तरक्की के सम्बन्ध में फरमाया। पावर हाउसेज़ के लिए दो करोड़ पचास लाख रुपया सेन्टर से मिल गया है और १६ लाख रुपया इस वर्ष व्यय होने वाला है। (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं केवल पाँच मिनिट और बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—दो मिनिट।

रावत श्री शम्भुसिंह—पॉवर हाउस की तरक्की की बात जो की गई है उसका प्रमाण आप सब को कल ही मिल गया होगा। जब रात को खाना खाने बैठे तो पावर हाउस के इम्प्रूवमेन्ट का नमूना हमारे सामने था।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में फरमाया कि फूड ग्रेन का स्टॉक हमारे राजस्थान में सरप्लस है, लेकिन इसी कारण बीकानेर में अनाज के सिलसिले में आन्दोलन हुआ। भारतीय पार्लियामेन्ट में भी यह बात कही गई थी कि जहाँ अनाज की कमी होगी वहाँ भेजा

[श्री अध्यक्ष]

जायगा, किन्तु हमारी राजस्थान सरकार ने गेहूँ की निकासी की। अगर राजस्थान में गेहूँ ज्यादा मात्रा में था तो किसानों से १२ रुपया मन के भाव से लेकर १६-१६ रु० मन के भाव में पंजाब इत्यादि सरप्लस इलाकों को राजस्थान सरकार ने क्यों दिया ? क्या यह हमारी राजस्थान की फूड पोलिसी के फेल होने का बहुत बड़ा कारण नहीं ; हम राजस्थानी गेहूँ के लिए तरसते हैं, किन्तु दूसरी ओर हमारी सरकार गेहूँ को रोटन (सड़ा हुआ) करार देकर दूसरे सरप्लस प्रान्तों को भेज रही है।

इसके बाद मैं अब शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमारे गंगापुर में जब कि हाई स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार है तो फिर अभी तक वहाँ हाई स्कूल क्यों नहीं खोली जा रही है ? सहाड़ा तहसील में भी आबादी काफी है किन्तु वहाँ भी हाई स्कूल खोलने का सरकार का इरादा नहीं दिखता।

डाक्टरी और दवा की हालत हमारे इलाके में इस प्रकार की है कि जहाँ डाक्टर है तो वहाँ दवा नहीं, मरीजों के लिए वार्ड का इन्तजाम नहीं। फिर भी राजप्रमुख फरमाते हैं कि हमारे राजस्थान में मेडिकल की हालत अच्छी है।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए श्री कासलीवालजी ने कहा कि पाक-अमेरिकन गठबन्धन से हमें काफी सचेत हो जाना चाहिये। वे इसे खतरे की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य और जागीरदारों से अपील की कि वे ऐसे समय सब मतभेदों को भुलाकर सरकार का साथ दें। उनकी यह अपील वाजिब है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता बतलाई कि हमारे यहाँ मिलिटरी स्कूल और मिलिटरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। इसको मैं भी बड़ी अच्छी बात मानता हूँ, लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि इस समय राजस्थान में आर्म्स और एम्युनिशन की यह हालत है कि हम लोगों को, जो बारूद वगैरह चाहते हैं, वह भी नहीं मिलता। हम शिकार आदि खेलकर अभ्यास को कायम रखना चाहते हैं ताकि वक्त आने पर देश की सेवा कर सकें, किन्तु हमें शिकार आदि के लिए भी बारूद आदि नहीं मिलता तो हम किस प्रकार अपने को ऐसी हालत का मुकाबला करने के लिए तैयार रख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि श्रीमान् कासलीवाल जी ने जो मिलिटरी ट्रेनिंग का सुझाव दिया उसपर गवर्नमेन्ट जरूर विचार करेगी।

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, समाचारपत्रों में ऐसा पढ़ने को मिला है कि विरोधी-दल के कुछ सदस्य गवर्नमेन्ट बेन्चेज़ की शोभा बढ़ाने वाले हैं मुझे दुःख है कि इस प्रकार का वक्तव्य निकल जाने के बाद भी विरोधी दल के सदस्य गवर्नमेन्ट बेन्चेज़ की शोभा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं ? मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे गवर्नमेन्ट की शोभा बढ़ाएं तो उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—It is not a point of Order

श्री खेतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आज श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद का दूसरा दिन है। कल हमने विभिन्न पार्टियों के नेताओं की व सदस्यों की तरह-तरह की आलोचनाएं

[श्री खेतसिंह]

सुनीं। किन्तु, मैं उन आलोचनाओं से महज एक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, जो, यह कि उनकी आलोचनाएं केवल आलोचना करने के लिए ही थीं; यानि "Criticism for Criticism's sake" जैसा कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र श्री एच. के. व्यास ने बतलाया कि श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण ऐसे सुन्दर पन्नों पर छपा है कि हाउस आफ पीपल में प्रेसीडेन्ट का अभिभाषण भी ऐसे पन्नों पर नहीं छपा होगा। यह कोई दलील नहीं है। अगर यही अभिभाषण रद्दी पन्नों पर किसी कम्युनिस्ट प्रेस से छपाया गया होता तो माननीय सदस्य यही कहते कि क्या राजस्थान सरकार का दिवालापन है, देखिये कि उनको राजप्रमुख के अभिभाषण को छपाने के लिए पन्ने भी अच्छे नहीं मिलते। कहने का मतलब यह है कि आलोचना केवल आलोचना के लिए नहीं की जानी चाहिये। आपको ऐसी मिसालें बतानी चाहिये ताकि सरकार को नीचा देखना पड़े। मैं तो यह मानता हूँ कि गवर्नमेन्ट ने इस एक वर्ष के समय में जो काम किया है और जिस खूबी से किया है, वह कार्य किसी भी प्रान्त की सरकार नहीं कर सकती है। आप में से अधिकांश सदस्यों ने गत वर्ष, जब राजप्रमुख के भाषण पर बहस हो रही थी, कहा था कि चाहे स्कूलें न खोली जांय, अस्पताल न खोले जांय, कुछ भी हो हमारी सुरक्षा और शान्ति की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। वास्तव में वे दिन ऐसे ही थे। जगह-जगह डकैतियाँ हो रही थीं और हर इन्सान के दिल में एक प्रकार से वह भय घुसा हुआ था कि न मालूम कब उसका जीवन भय में हो जाय। हरेक इन्सान खतरे में था, न मालूम किस वक्त उसको लूट लिया जाय, किस वक्त उसका कत्ल कर दिया जाय। आप उस समय के धौलपुर की हालत को देखिये, जहाँ दिन दहाड़े लूट-मार के केसेज हो जाया करते थे। लोगों में इससे चिन्ता व्याप्त हो रही थी। आज उस धौलपुर की अवस्था देखिये, वहाँ सब तरह से शान्ति है। उस वर्ष से आज के दिनों में वहाँ के शान्ति और व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है? बड़े-बड़े डाकुओं ने जिनमें शंकरा आदि डाकू भी हैं जिनके नाम से वहाँ की जनता काँपती थी आज उनको या तो मार दिया गया या उन्होंने हमारी राजस्थान की पुलिस के सामने हथियार डाल दिये हैं, आत्म-समर्पण कर दिया है। हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ पर डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया है। मेरे ख्याल से अन्य किसी रियासत में इस प्रकार किसी भी डाकू ने आत्मसमर्पण नहीं किया। रेगिस्तान के इलाके में जहाँ उत्तमसिंह, लालपुरी, बलवन्तसिंह आदि डाकुओं ने जिनके नाम से लोग कांपा करते थे आज हमारी राजस्थान की पुलिस के सामने आत्म-समर्पण कर दिया है। कइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार शान्ति और व्यवस्था की हालत को देखते हुए मेरा ही दिल यह नहीं कहता बल्कि विरोधी दल के सदस्यों के दिल भी जानते होंगे कि इन १२ महीनों में पुलिस ने शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने में जो कामयाबी हासिल की है वैसी कामयाबी किसी भी अन्य प्रान्त की पुलिस नहीं दिखा सकती, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अपोजिशन में बैठने वाले यह समझकर क्रिटीसिज्म करते हैं कि उनको क्रिटिसिज्म करना चाहिये। इसके लिये आप कुछ भी कहें किन्तु जो फेक्ट्स हैं उनको छिपाया नहीं जा सकता और न छिपाया जाना चाहिये, यह मेरी मान्यता है।

(श्री मुक्तिलाल मोदी के भाषण देने के लिए खड़े होने पर) मेरा ख्याल है कि इनको भी जोश आ गया है और वे उठकर इधर आने की कोशिश कर रहे हैं।

[श्री खेतसिंह]

इसके अलावा मैं यह जरूरी मानता हूँ कि ऐसे भी कुछ मसले हैं जिनके अभिभाषण में आ जाने से सोने में सुगन्ध हो सकती थी। वे मसले ये हैं कि हम गत दो-तीन अभिभाषणों पर आबू के लिए कुछ न कुछ कहते आये हैं। आबू हमारे राजस्थान का एक अभिन्न अङ्ग है जिसे राजस्थान से अलग नहीं किया जा सकता। आबू राजस्थान का सिर है और बिना सिर के धड़ किसी काम की नहीं होती। आबू की जनता का रहन-सहन राजस्थान के निवासियों से मिलता-जुलता है। वहाँ की बोली चाली हमसे मिलती जुलती है। हमारी राजस्थान सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दे और आबू को राजस्थान में सम्मिलित करने की कोशिश करे। अब तो बाउन्ड्री कमीशन की भी स्थापना हो चुकी है। सरकार इस ओर कोशिश करेगी तो मुझे विश्वास है कि हम हर हालत में आबू को प्राप्त कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं और कुछ बातों की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह कि हमारे प्रान्त में रेगिस्तान दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कम से कम जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो यह प्रोब्लम बहुत अरसे से रहा है और आज तो यह हालत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जो मामूली कटीली हुई झाड़ियाँ हैं वे भी बरबाद हो रही हैं। हमें तो यह चिन्ता है कि कहीं सारा का सारा राजस्थान ही रेगिस्तान में न बदल जाय। मुझे फोरेस्ट डिपार्टमेंट के मन्त्री महोदय से निवेदन करना है, वे तो यहाँ मौजूद नहीं हैं पर जो माननीय मन्त्री यहाँ तशरीफ रख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वे फोरेस्ट विभाग के मन्त्री को इन बातों से सूचित कर दें कि अगर इस प्रकार बढ़ते हुए रेगिस्तान की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह प्रोब्लम बढ़ता जायगा और राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जो इससे प्रभावित है उस पर बहुत बुरा असर होगा। इसलिये रेगिस्तान की ओर हमारी सरकार को अवश्य खयाल करना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं पीने के पानी के सम्बन्ध में, जो कि हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगर मनुष्य को, जो निहायत आवश्यक चीज़ है वह प्राप्त नहीं हो तो इससे ज्यादा बेजा बात और क्या हो सकती है? इसलिये मैं सरकार से अपील करूँगा, जैसा कि डा० काटजू साहब जब जोधपुर पधारे थे, कहा था कि यदि इस काम के लिए सेन्टर से एड मांगी जायगी तो वह एड देने के लिए तैयार है। राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह इस समस्या को हल करने के लिए जितना धन केन्द्र से प्राप्त कर सकती है करे, ताकि जनता को इससे काफी राहत मिल सके।

इसके साथ ही साथ पशु-पालन आदि के मुतल्लिक भी इसमें कोई खास ब्यौरा नहीं दिया गया है जो कि आवश्यक था।

साथ ही घरेलू उद्योग-धन्धों के मुतल्लिक भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। जैसा कि हमारे इधर ऊन की बहुत अच्छी उपज है, इसका उपयोग करने के लिए यदि ऊन की फैक्ट्री खोली जावे और यदि शीप ब्रीडिंग के लिए कोई और उपाय सरकार सोचे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका काफी प्रोब्लम सोल्व हो सकता है।

[श्री खेतसिंह]

फिर भी यह अहमियत की इतनी बात नहीं है जितनी कि सुरक्षा और कानून और व्यवस्था को हम मानते हैं। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से आज जो प्रगति इस सरकार ने की है उसका परिणाम है कि चारों ओर आज अमन और चैन हो गया है। आज हर इन्सान अपने दिल में यह सोचता है कि वह खुले आम कितना भी पैसा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और काफी तादाद में लूट-खसोट का जो डर पहले था वह खतम हो चुका है। इसलिए यह सबसे बड़ी समस्या हल हो चुकी है। तो आपको इस एक ही समस्या के हल पर ध्यान देते हुए इस अभिभाषण पर श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद अवश्य देना चाहिये।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी राजप्रमुख के जिस भाषण पर वाद-विवाद चल रहा है, जिस निराशा के वातावरण का जिक्र किया था वह निराशा का वातावरण तो अब तक भी है, जो उस ओर है।

लेकिन सिर्फ मुझे धन्यवाद जिसे देना था और जो बधाई देनी थी, मुझे अफसोस है कि बधाई देने के पहले ही बधाई के पात्र (श्री खेतसिंह जी की बैठक के स्थान की ओर देखकर) चले गये। शासकीय पक्ष की तरफ से एक भी व्यक्ति खड़ा होकर राजप्रमुख के भाषण का समर्थन करता, तो मैं जानता कि वास्तव में राजप्रमुख का भाषण समर्थन करने योग्य है। मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने यह बतलाया कि उस भाषण पर जितने भी क्रिटिसिज्म किये गये हैं वे इसलिए कि उनको क्रिटिसिज्म करना था। पर, मैं निवेदन करूँ, उन्हीं के शब्दों में, कि उन्होंने यह सपोर्ट इसलिए किया है कि उनको करना था। इसके सिवाय जो बातें बतलाई उनमें कोई तथ्य नहीं था।

मेरे पूर्व वक्ता ने अपने भाषण में यह सबसे बड़ी बात बताई कि आज हमारे यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हो गया है और जो डाके और चोरियाँ होती थीं और जो डाकू, चोर और लुटेरे थे वे बहुत से तो मारे गये और बहुतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और अभी मेरे पूर्व वक्ता ने यह भी बतलाया कि कौन से बड़े-बड़े डाकू थे, जिन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। मैं निवेदन करूँगा कि उनके आत्मसमर्पण करने से सरकार की कोई बहादुरी की बात नहीं लगती, पर यह उन डाकुओं के अन्दर ही अपने प्रति हीनता की भावना के जाग्रत हो जाने की बात हो सकती है। इसी तरह इधर बैठने वाले आज कुछ सदस्य उधर बैठे दिखाई दे रहे हैं व देंगे। तो, इसमें सरकारी सदस्यों की कोई बहादुरी हो ऐसी बात नहीं है, यह तो इधर से उधर बैठने वालों की हीनता की भावना ही हो सकती है। इसलिए यदि बहुत से डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसमें सरकार की कोई प्रशंसा लायक बात नहीं है। यह तो उनके पास साधन नहीं रहे होंगे और हीनता की भावना उनमें आ गई होगी।

अब जो उन्होंने सपोर्ट किया था उसमें भी सिवाय सपोर्ट करने के लिए ही सपोर्ट करना है इसके सिवाय और कुछ नहीं किया।

[श्री तनसिंह]

आपने बतलाया अभी, कि आबू एक मसला था जिसको राजप्रमुख को कहीं न कहीं कहना था। पर, मेरा खयाल है कि आबू का सिवाय एक सेन्टीमेन्टल सम्बन्ध होने के अन्य कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण मसला नहीं कि जो इतना अधिक महत्व पाने योग्य हो।

फिर बतलाया कि रेगिस्तान इतना बढ़ा है और इस तेजी से फैल रहा है कि जिसके लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिये। पर, उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि वनमन्त्री यहाँ नहीं हैं, वरना वे इस बात के पहलू पर ज्यादा रोशनी डालते, पर यदि वे होते तो पूर्व वक्ता यह भी जानते थे कि रेगिस्तान को मिटाने के लिए वन मन्त्री या भारत सरकार की ओर से क्या कार्यवाही वहाँ की जा रही है? मैं निवेदन करूँगा कि रेगिस्तान को समाप्त करने के लिए चालीस मील लम्बी और ४ मील चौड़ी एक लम्बी पट्टी बोर्डर के एरिया के पास, जहाँ रेगिस्तान ज्यादा है, वहाँ उसको सरसब्ज बाग बनाने के लिए सुरक्षित की गई है। बातों में, किताबों में और कागजों में लिखी गई इन बातों से, कहा यह जाता है कि हमें राहत मिलेगी और आराम मिलेगा। पर वह राहत तो कब मिलेगी; वह रेगिस्तान लहलहाता नखलिस्तान कब बनेगा, वहाँ गेहूँ की खेतियाँ कब होंगी, हरे भरे वृक्ष कब लगेंगे और कब लहलहाएंगे? ये सब तो आगे की बातें हैं, चालीस-पचास वर्ष आगे की; पर इसके पहले ही आज जो तकलीफें और कठिनाइयां शुरू हो गई हैं वे सम्भवतः किसी के भी ध्यान में अभी नहीं आई हैं, न पूर्व वक्ताओं के ही ध्यान में आई हैं और न सरकार के ही ध्यान में वे आई हैं और न इस विषय में राजप्रमुख का ही ध्यान गया है। इस चालीस और चार मील के लम्बे-चोड़े टुकड़े में जितने घर आये हैं, झोंपड़ियाँ आई हैं, और खेत वगैरह आये हैं और लोगों के मकान वगैरह आये हैं, चरागाह वगैरह आये हैं वे सब एक्वायर किये जा रहे हैं और उन सबको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। एक ओर तो भूमि की इतनी बड़ी कठिन समस्या हमारे सामने आ रही है और काश्त के लिए खेत नहीं मिल रहे हैं और दूसरी ओर जो आबाद हैं, बसे बसाये हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। इसलिए कि वे रेगिस्तान के रहने वाले हैं, वे राजस्थान सरकार को इतना नहीं दे रहे हैं जितना कि बाहर वाले उन्हें दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस हिस्से पर तो प्रकृति की भी कोपदृष्टि है। ऐसी हालत में क्या सरकार की भी उन पर कोप-दृष्टि शोभनीय है?

जो ४० मील लम्बा और चार मील चोड़ा घेरा वहाँ सरकार के आदमियों ने घेर रक्खा है, वन के लिए, वह चालीस पचास वर्ष में जाकर लाभ देगा। इसकी अपेक्षा उन लोगों को लाभ देना आवश्यक है जो आज बेदखल किये जा रहे हैं।

एक ओर राजस्थान सरकार टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट जारी कर रही है और दूसरी ओर सैकड़ों हजारों को इस क्षेत्र से बेदखल कर रही है? क्या उनकी आवाज जनता की आवाज नहीं है?

इसके बाद अकाल की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास किया है और इसके लिए अकाल तकावियाँ भी दी हैं, पर इसके भी मैं उदाहरण आपको देता हूँ

[श्री तनसिंह]

कि यह कैसी तकावी है। माननीय मन्त्री महोदय ने जिन्होंने यह बात कही उन्हें मैं यहाँ चुनौती देकर कह सकता हूँ कि कम से कम बाडमेर में दस रुपये से अधिक की रिलीफ अगर किसी को दी गई हो तो एक भी ऐसी मिसाल वे इस सदन में उपस्थित करने की कृपा करें। आज की इस आर्थिक दुरावस्था में, आर्थिक संकट में पड़े लोगों को १०) रुपये दे देना और वह भी एक बार दस रुपये देकर सरकार अगर अपने आपको दानवीर घोषित करना चाहे तो यह तो बड़ी भारी विडम्बना है।

और काश्त की जो तकावी दी गई है वह भी ऐसी है कि जिसके लिए मैं चुनौती दे सकता हूँ कि किसी भी काश्तकार को पचास रुपये से अधिक नहीं दिया गया है। यह हाइएस्ट तकावी है और दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह और बीस-पच्चीस रुपये तक भी दी गई है यह तकावी, पर पचास रुपया हाइएस्ट है। इससे अधिक किसी को नहीं दी गई। यह पचास रुपये की तकावी भी किसी किसी गाँव में दी गई है। इससे ज्यादा की किसी को तकावी दी गई हो तो वे मुझे एक भी ऐसी मिसाल बतावें और इसमें भी सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि बाडमेर शहर में रहने वालों को तो दो-दो और ढाई-ढाई सौ रुपये दिये गये पर इससे बाहर रहने वालों को जो गाँव से बाहर काश्त करते हैं दूर दूर देहातों में उनको पन्द्रह बीस और पच्चीस से अधिक नहीं दिया गया। किसी एकाध को पचास रुपये दे दिये गये तो इससे क्या इस तरह से इन तकावियों से क्या राजस्थान की अकाल की समस्या हल हो चुकी है?

इसके अतिरिक्त राजप्रमुख ने अपने भाषण में यह भी कहा कि राजस्थान पंचायत एक्ट और जिला बोर्ड एक्ट भी बन चुके हैं जिनमें से राजस्थान पंचायत एक्ट तो लागू भी कर दिया गया है और जिला बोर्ड कानून भी शीघ्र ही लागू कर दिया जावेगा और इसके बाद हमारे यहाँ पर जनतंत्रीय स्थानीय स्वशासन ठीक तरह से चालू होने लग जावेगा। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जनतान्त्रिक स्वायत्त शासन के नाम पर जो मनमानी आज यहाँ की जा रही है, इसमें हेय और घृणास्पद तरीके, जो काम में लाये जा रहे हैं, वे इस सरकार के इन कारनामों का इतिहास जब आने वाली सरकार या इस शासन के बाद जो भी शासन आवेगा वह जब देखेगा तो यह इस शासन के लिए बड़ी शरम की बात होगी। ये कभी भी इस स्वायत्त शासन के नियमों को सही अर्थों में प्रयोग में नहीं लाना चाहते, पर मनमाने रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। मैं यहाँ तक निवेदन करूंगा कि इन मामलों में इतना पक्षपात किया जाता है कि जहाँ सरकार पर थोड़ा बहुत भी अपना डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करने का अवसर आ जाता है, तो वह हमेशा अपनी सत्ताधारी पार्टी में से ही किसी के पक्ष में होता है। इसके मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ।

एक बार बाड़मेर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन के विरुद्ध चुनाव-याचिका आई। सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि इस प्रकार की चुनाव-याचिका का ट्रायल किसी ज्युडिशियल अधिकारी से कराया जाय। इन्होंने उक्त चुनाव-याचिका का ट्रायल किसी ज्युडिशियल अधिकारी से न कराकर एक एग्जीक्युटिव अधिकारी को सौंपा। फिर भी उस एग्जीक्युटिव अधिकारी ने जो निर्णय उस याचिका पर दिया वह उस चुनाव के विरुद्ध था। लेकिन समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार ने पक्षपात-पूर्वक या उन्हें प्रसन्न करने के लिये यह निर्णय दिया कि उक्त सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट मान्य नहीं

[श्री तनसिंह]

है और उसका निर्णय स्वीकृत नहीं है। यदि ऐसा ही करना था तो इन याचिकाओं की सुनवाई करवाने का कष्ट क्यों किया जाता है और इसके लिये पैसा क्यों बरबाद किया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि जो सरकार के पास डिस्क्रीशनरी पावर्स हैं, रूल्स हैं, अधिनियम हैं, नोमीनेट करने की जो सत्ता उसको दी गई है उसका सदुपयोग नहीं होता और फिर यह कहा जाता है कि जनतंत्रात्मक शासन का प्रयोग कर रहे हैं, यह न्याय-संगत नहीं है। राजप्रमुख महोदय के भाषण का समर्थन यदि समर्थन के तौर पर ही करना है तो करें वर्ना यह समर्थन करने के योग्य नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, राजप्रमुख ने जो भाषण दिया उसमें बताया है कि करीब ३८ डाकुओं ने आत्म-समर्पण कर दिया है। लेकिन, मैं उन महानुभावों को और उन अफसरों से यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने तलवार के बल पर या कलम के बल पर आत्म-समर्पण किया होता तो आज हिन्दुस्तान के ऊपर, राजस्थान के ऊपर जो टेक्स लग रहे हैं, राजस्थान की जनता पर जो इतने टैक्स लग रहे हैं और राजस्थान के गरीब भाइयों पर जो अन्याय हो रहे हैं वह उस अन्याय के बराबर कभी नहीं होगा। यदि ये डाकू हम लोगों का एक ही दिन में सारा धन लूटकर ले गये होते तो, हम लोग उससे भी सन्तुष्ट हो गये होते। लेकिन ये सरकारी लोग धीरे-धीरे हम पर टैक्स लगाकर हमारा सारा धन लूट कर अपने इलेक्शन और ऐश आराम में खर्च करते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता खुश नहीं है और जितने डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया उससे जनता सुखी नहीं हो गई है। यदि ये महानुभाव सोचें-विचारें और गरीब जनता पर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है, वह धन किसी दूसरे अच्छे कामों में खर्च करें तो आज राजस्थान की जनता को किसी तरह का आराम मिल सकता है। लेकिन ये लोग इतना नहीं सोचते हैं। इन डाकुओं ने जैसा आत्म-समर्पण किया है यदि वैसा ही ये लोग सोच कर करें तो हम राजस्थान की जनता को सुख और आराम दे सकते हैं। यदि हम जनता को सुख और आराम देना चाहते हैं तो इस में कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों के पास इतने साधन नहीं हैं जितने मिनिस्टरों, अफसरों और एम. एल. एज. के पास हैं। ये मिनिस्टर, अफसर यह सोचते हैं कि एक वोट के लिए हम चाहे जैसा न्याय-अन्याय करने के लिये हमेशा तैयार रहते हैं। यदि राजस्थान की जनता की भलाई सोचते रहेंगे, गरीब भाइयों के लिये सोचते रहेंगे और उनके प्रति हमदर्दी के साथ राजस्थान का शासन चलाते रहेंगे तो वह हमेशा चलता रहेगा। हम लोग इसके लिए क्रिटिसिज्म करते हैं, आवाज उठाते हैं कि हमारी गरीब जनता पर अन्याय न करें। यदि वे हमदर्दी के साथ शासन चलावें तो एक भी आदमी क्रिटिसिज्म करने को तैयार नहीं होगा; लेकिन वे कब ऐसा करते हैं। इसलिये दूसरे आदमी उनको सुनाते हैं, उन सुनाने वालों पर कितना अत्याचार होता है ? उनके खिलाफ वातावरण बनता है कि वे हमारे दुश्मन हैं। हम लोग इतना चाहते हैं कि हमारी बात को लेकर ग्रहण करें तो राजस्थान की जनता सुख और आराम से रहने लगे।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सड़कें बनाने के लिए राजस्थान के रुपये लगे और इसके लिए सेन्टर से भी रुपये आये उनमें से कितने रुपये इन सड़कों पर खर्च हुए, यह देखने की बात है। ये रुपये करीब २ करोड़ थे। इनमें से करीब डेढ़ करोड़ खर्च हुए होंगे और ५० लाख रुपये किन-

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

किन अफसरों और किन किन महानुभावों के पास चले गये होंगे इसका पता नहीं है । अब देखिये, इन सड़कों की क्या हालत है ? जिस साल सड़कें बनने में रुपये लगते हैं उसके दूसरे ही साल उनकी हालत बिगड़ जाती है और फिर दुबारा और तिबारा उन्हें सुधारा जाता है । इस तरह से राजस्थान में सुधार हो रहे हैं ।

अब आप बिजली का सवाल लीजिये । कई लाख रुपयों का इस विभाग पर ऋण है । इस विभाग के बारे में श्री यादराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट आप देखिये । उसमें बताया गया है कि करीब १४ लाख रुपयों का गबन इस विभाग में हुआ है; पर अफसोस है कि इस रिपोर्ट को देखने वाला एक भी मिनिस्टर नहीं है । सन् ५२-५३ में बिजली का दो करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया है । इस सामान के कमीशन के १५-२० लाख रुपये होते हैं । भारत सरकार का जो सेन्ट्रल स्टोर है उसकी मार्फत सारे भारत की पार्ट बी स्टेटस माल खरीदती हैं । लेकिन केवल राजस्थान में ही अधिकारियों के अपने रिश्तेदारों या अफसरों या दूसरे लोग या जो एम. एल. ए. हैं उनके रिश्तेदारों के टेन्डर लिये जाते हैं और उस टेन्डर में दिखाया गया सामान न लेकर दूसरा ही सामान लिया जाता है और इसमें रुपये उड़ाये जाते हैं। पता नही राजस्थान की ऐसी हालत क्यों है ? फेक्ट्स और फिगर्स तो आपके पास है, गवर्नमेंट के पास हैं । लेकिन इस रिपोर्ट को देखने वाला भी कोई नहीं मिला, यह दुःख की बात है ।

भाषण में खाद्य के बारे में भी बताया गया है । यह भी बताया जाता है कि इन किसानों को सीमेंट तक दी जाती है । पर सीमेन्ट दी जाती है तो एक खाद की बोरी भी दी जाती है, जो २३ रु० की होती है और वह जबर्दस्ती उन लोगों को दी जाती है । मैं यह कह नहीं सकता कि उदयपुर डिविजन में या दूसरे डिविजनों में इस खाद से खेतों को लाभ हुआ हो, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि जयपुर डिविजन में तो इस खाद से खेतों को कोई लाभ नहीं होता है । और वह इतना मँहगा पड़ता है कि जिसे खरीदते हुये काश्तकारों को दुख होता है । यदि १०० बोरी सीमेंट लेनी होगी तो उसे २ बोरी खाद जरूर दिया जायगा और वह ५६ रु० का होगा और यदि ५६ रु० १०० बोरी पर लगेंगे तो आठ आना बोरी तो वैसे ही काश्तकारों को अधिक लग गया । इस तरह की खाद को काम में लाने का उपाय काश्तकारों को बताया जावे और उससे उनको फायदा हो तबतो अलग बात है, पर यहाँ के किसान कहते हैं कि हम को इससे कोई लाभ नहीं है और यह यों ही हमारे सर पर लादी जाती है, इससे हमारा नुकसान होता है । इस खाद से कितना घाटा गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में बताया गया है यह आप देखें तो आपको पता चले । मैंने सुना था कि इससे ८०,०००) रुपये का घाटा है । और जो अनाज बेचा गया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त राजस्थान की बहुत खराब हालत थी उस वक्त जनता को यह अनाज नहीं दिया गया । जिस समय पौने दो सेर या दो सेर के गेहूँ बिकते थे, उस समय जनता को कोई अनाज नही दिया गया । इसका कारण क्या था ? अकाल पड़ रहा था और जगह जगह अकाल पड़ रहा था, लोग अकाल-अकाल चिल्लाते थे । उस समय जो नाज पड़ा हुआ सड़ रहा था उसको उस समय लोगों को बेच नहीं सके क्योंकि राजस्थान में एक ही व्यापारी से माल खरीदा या बेचा जाता था उसको सब तरह का अनाज दिया जाता था । उस व्यापारी का नाम है हरसुख-

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

छोगालाल । उसके लिए अफसरों की सिफारशें आती थीं कि इसका काम जल्दी होना चाहिये । क्या कारण है कि इसी एक आदमी को ट्रान्सपोर्ट का ठेका भी दिया जाता है, इसी को अनाज का ठेका दिया जाता है, इसी को चीनी का ठेका दिया जाता है । चीनी में कितनी मिट्टी होती है यह कोई नहीं देखता ।

('शेम शेम' की ध्वनि)

इस सप्लाई के अन्दर राजस्थान सरकार के करीब डेढ़ करोड़ रुपये का कहीं हिसाब ही नहीं मिल रहा है । यहाँ राजस्थान सरकार के जो ऑफिसर्स थे वह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह और तीसरी जगह से चौथी जगह चले गये, एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए और उन फायलों का, उन डेढ़ करोड़ रुपयों का कहीं भी पता ही नहीं है । अब राजस्थान सरकार इस नाज को, जो कि गरीब किसानों से सस्ते भाव पर लेवी के नाम से लिया गया है, मंहगे भाव से बेचकर दूसरे प्रान्तों में भेज कर, उस डेढ़ करोड़ रुपये को पूरा करना चाहती है । जो रुपया अफसर खा गये उसको राजस्थान सरकार इस तरह से पूरा करना चाहती है । इस तरह से भी क्या कोई गवर्नमेंट चलती है ?

राजस्थान के जितने ऑफिसर्स हैं, जब तक आप अपनी कालिमा को, अपनी आदतों को नहीं सुधारते, तब तक वे अफसर भी नहीं सुधर सकते । आपकी सच्चाई और ईमानदारी का नमूना जब तक जनता के सामने नहीं आयगा, तब तक इन अफसरों की भी सच्चाई और ईमानदारी का नमूना सामने नहीं आने वाला है, यह आप सही मानिए ।

माननीय उपाध्यक्ष, पशुओं के बारे में जो कहा गया है, उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि राजस्थान भर में सिर्फ ४ या ६ साँड सरकार की ओर से पब्लिक को दिए गए हैं । मैं राजस्थान गौ-सेवा संघ की रिपोर्ट के आधार पर कहता हूँ । मैं गलत नहीं कह रहा हूँ । गवर्नमेंट को कोई फायदा होता है या नहीं, यह तो भगवान ही जाने । मेरा तो इसमें क्या है ! राजस्थान गवर्नमेंट के ही फायदे की बात कहता हूँ । जो ६ या ७ साँड बाँटे गए हैं, उनको मेन्टेन करने में जितना रुपया खर्च होता है, उससे चौगुना रुपया तो ऑफिसर्स ही खा गये हैं । यह पशुओं की हालत है जिसके बारे मे इतना श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में कहा गया है ।

गंगानगर की सुगर मिल के बारे में श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में कहा गया है । मैं कह नहीं सकता कि इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हो सकता है ? फाइनेंस की एक रिपोर्ट में तो इस तरह के खयाल प्रकट किए गए थे कि इस मिल को नहीं लिया जाय, गंगानगर की इस मिल को नहीं लिया जाय, जो कि २ साल से बन्द पड़ी थी । १०–१५ वर्ष तक चल जाने के बाद एक मशीन की क्या कीमत हो सकती है, आप सब जानते हैं; कौड़ियों की भी कीमत नहीं रहती । फिर भी इसे लिया गया । तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कुछ महानुभावों का इन्ट्रेस्ट था, इसमें कोई शक नहीं । १००) रुपयों की जगह आज उनके शेयरों के दाम ३०) या ३२) रु. ही हैं । इस गलत तरीके से बाय

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

उठा कर ऐसे पूंजी-पति को प्रोत्साहन दिया जाता है, यह कहाँ तक ठीक कहा जा सकता है। इस तरीके से गवर्नमेन्ट को चलाई जा रही है और पूंजी-पतियों को सपोर्ट किया जा रहा है। इस तरह एक पूंजी-पति को सपोर्ट करना था तो २० लाख रुपये तो दे ही रक्खे हैं, १० लाख और दे देते, पर इस पुरानी मिल को लेने से क्या फायदा ? और फिर देखिये बीकानेर के कमिश्नर को इस मिल का काम सौंप रखा है। उसके पास सारे डिविजन का काम रहता है, फिर भी उसे यह काम और दे दिया गया है।

खेत सिंह जी साहब फरमाते हैं कि हम बुराई करते हैं। सच्ची बातें हैं, वही तो हम कहते हैं। हम कहते हैं, गवर्नमेंट चलाओ पर ठीक ढंग से चलाओ। हमें तो गवर्नमेन्ट नहीं चाहिए। पूंजी-पतियों को मत बढ़ाओ, हम पर टेक्स मत बढ़ाओ।

माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं खानों minos) के बारे में कुछ बातें सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। हमारे पास २०,८०० (बीस हजार आठ सौ) खानें मेजर मिनरल्स की हैं। इन्हीं खानों से १० करोड़ रुपया सालाना की कीमत का पत्थर, कंकर, और पट्टियें मकान और सड़कें आदि बनाने के काम में खर्च होती हैं। इसकी रोयल्टी करीब १,००,००,००० (एक करोड़) रुपया होती है। लेकिन इसकी रोयल्टी का ५० हजार रुपया भी राजस्थान सरकार के पास नहीं आ रहा है।

मेजर मिनरल्स की लगभग सबसे बड़ी खानें राजस्थान में हैं, फिर भी घाटा ही घाटा दिखाई देता है, यह क्या बात है ?

मैं राजस्थान सरकार के काम से बंगाल में गया था, पर्सनल काम से नहीं गया था

एक सदस्य (कांग्रेस)— माननीय सदस्य क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि वे राजस्थान सरकार के किस काम से बंगाल गये थे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी— मैं यह भी बताये देता हूं। राजस्थान सरकार की ओर से वेटरिनेरी की शिक्षा-ग्रहण करने के लिए वहां लड़के जाते हैं, वहां उनसे केपिटल फीस लेते हैं। पार्लियामेंट का केपिटल फीस बन्द करने का आदेश है। इस फीस को बन्द कराने के लिए मैं राजस्थान सरकार के अधिकारियों से मिला, छः महीने तक इन लोगों के पास जाता रहा पर यही जवाब देते रहे कि हमने लिखा है, अभी उत्तर नहीं आया; तो इसके लिए मैं गया।

वहां १५ ही मिनट में सारी फाइलें देखीं, उन्होंने बताया कि हमारे पास राजस्थान सरकार का एक भी लेटर नहीं आया है। हर लड़के को ६००) रुपये सालाना केपिटल फीस के देने पड़ते हैं, यह हर साल का राजस्थान को ही नुकसान होता है।

तो वहाँ मैंने पूछा कि आपके यहां मिनरल्स की क्या हालत है ? उन्होंने कहा कि हमारे यहां मामूली मिनरल्स हैं, फिर भी अच्छी हालत है। राजस्थान में ऐसी मिनरल्स की खानें हैं कि हिन्दुस्तान

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

में कहीं नहीं है तो भी गई साल घाटा दिखाया और भगवान् ने चाहा तो इस साल भी घाटा ही जायेगा । (हंसी)

क्या इस तरह भी कोई गवर्नमेंट चल सकती है ?

मिनिस्टरों को इलेक्शन्स से फुरसत नहीं है । अब तो जागीरदारों पर भी कुंडा डाल दिया है, अब तो काम करें, पर कोई काम नहीं कर रहा है । कोई सुनने वाला ही नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री भैरों सिंह (दाँता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, श्री मथुरादास जी के इस प्रस्ताव पर कि श्रीमन् राजप्रमुख को इस सदन में उनके अभिभाषण के सम्बन्ध में जो कष्ट हुआ है उसके लिए धन्यवाद दिया जाय । मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई पूरे तत्त्व की बातें कहीं जिससे धन्यवाद दिया जाय । किसी तरह इस बात को मान भी लिया कि श्रीमन् राजप्रमुख धन्यवाद के पात्र हैं, तो मुझे तो अंदेशा है कि स्वयं श्रीमन् राजप्रमुख ने इस सदन के विशेष अधिकारों पर, अपना अभिभाषण देते हुए घोर कुठाराघात किया है ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने इसी सदन में अपने पहले भाषण में स्पष्ट कहा था । वे दो लाइनें मैं सदन के सम्मुख पढ़ कर सुनाता हूँ :

"I would like to mention the important legislative measures which have been passed or will come before you during this Session. One of the important enactments already passed during the last Session of the Assembly is the Rajasthan Official Language Act which seeks to provide for the adoption of Hindi in Devnagri script as the language for official purposes of the State "

इसके बाद इस कानून को सरकार ने पास कर दिया और पास करने के पश्चात् राजस्थान में राज्य-भाषा में काम करने के लिए २६ जनवरी निश्चित करके गजट में प्रकाशित करवा दिया ।

मैं समझता हूँ कि यह सारा का सारा काम राजप्रमुख की आज्ञा से हुआ । उन्होंने कानून पर अमल नहीं किया और अपना भाषण अंग्रेजी में दिया । मैं समझता हूँ कि यह न तो श्रीमन् राजप्रमुख के लिए ही शोभाजनक है न सदन के लिए ही शोभाजनक । इसलिए इसी एक बात पर सदन यदि उनके धन्यवाद के प्रस्ताव को टुकरा दे, तो मैं समझता हूँ कि कोई विशेष बात नहीं होगी ।

दूसरी बात जो कहनी है वह यह कि अब तक न मालूम विरोधी दल के सदस्य और गवर्नमेंट के पक्षपाती सदस्य क्यों मौन साधे हुए बैठे हैं, इस बात पर मुझे ताज्जुब हुआ है ? राजप्रमुख ने अपने भाषण में सरकार और जागीरदारों के बीच होने वाली समझौते की बात-चीत का जिक्र किया । वह है पं० जवाहर लाल नेहरू व यू. पी. के मुख्यमन्त्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त के प्रयत्नों के फल-

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

स्वरूप जागीरदारों और कांग्रेस में समझौता होने की बात और उससे जो स्थिति पैदा होगई है उसकी बात।

आप जानते हैं कि राजस्थान जागीरदारी उन्मूलन बिल सन् १९५२ में सरकार ने लागू कर दिया था। क्योंकि राजस्थान के बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं ने इसके लिए आवाज उठाई थी कि काश्तकारों के हित के लिए जागीरदारी प्रथा को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दी जावे, उन्होंने कानून बनाया, लेकिन उनकी यह चाल चलने में कुछ गलती रह गई और उस वजह से वह चली नहीं जा सकी। जागीरदारों ने हाईकोर्ट में रिट की। हाईकोर्ट ने उस हुक्म को रोक दिया। हाईकोर्ट में रिट करने के बाद सरकार ने एड्जार्नमेंट पर एड्जोर्नमेंट लिए और इस बीच में उन्होंने कई लोगों को प्रलोभन दिए और अपनी ओर मिलाया। सरकार का यह रवैया सुधारकों के लिए और राजस्थान की पब्लिक के लिये हितकर नहीं कहा जा सकता। मुझे अफसोस है कि सरकार के प्रोसिक्युटिंग इन्स्पेक्टर ने बार-बार एड्जार्नमेंट लिया और अब वह स्टेज आ गई है कि सरकार ने जिस कानून के सुधार के लिए अवसर चाहा था वह अवसर उन्हें मिल गया। आज जो लोग राजस्थान में गरीबों के पेट पर छुरी चला कर, पैसा इकट्ठा करके शक्तिशाली शासन बनाए रखने का ढोंग कर रहे हैं, उनके सारे स्वप्न सच्चे होते जाते हैं। राजप्रमुख के सामने सरकार को यह सब बातें साफ तौर से रखनी चाहिए थीं, मगर चूंकि ये सारी बातें उनके सामने नहीं रखी गई और अगर रखी जाती तो शायद वे इस बात को अपने भाषण में नहीं कहते।

आज जगह-जगह बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता और दूसरे लोग जो कांग्रेस में मिल गए हैं, मिल कर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में लड़ाई होने वाली है, इसलिए जागीरदारी ५ सालों के बाद समाप्त होगी। जागीरदारी ५ साल तक खत्म नहीं करने के लिए प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि जागीरदारी ५ साल तक समाप्त नहीं की जावे। इस बात को सभी जगह काफी मान्यता दी जा रही है। बड़े-बड़े लोग राजपूतों और भौमियों को विवश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर उन्हें अपनी जमीन रखनी है तो उनके साथ रहें। मेरे पास कई उन लोगों की दरख्वास्तें आई हैं, उनमें से एक को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। राजपूत सभा के पास २० दरख्वास्तें आई हैं। मगर, कल विरोधी दल में बैठने वाले जो आज-कल प्रलोभन में आकर कांग्रेस के स्थानों की शोभा बढ़ा रहे हैं उनकी कोई परवाह नहीं करते। सब लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई होने वाली है, इसलिए सबको मिलकर कांग्रेस की मदद करनी चाहिए और कांग्रेस जो जागीरदारी प्रथा को खत्म करने जा रही थी उसने भी अपना वह विरोध प्रायः समाप्त-सा कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज हमारे पास दरख्वास्तें आ रही हैं। मैं दरख्वास्त को पढ़ कर आपको सुनाता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ स्पष्ट हो जावेगी।

श्री जवानसिंह--क्या इसको पढ़ने के लिये माननीय सदस्य ने पहले से सरकार से इजाजत हासिल कर ली है?

श्री भैंरू सिंह—(वि० सं० १६) इसके लिये पहले से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री भैंरूसिंह द्वारा पढ़ने का उपक्रम करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—Shri Bhairon Singh will confine himelf to the Audress and will not bring in other subjects

श्री भैंरू सिंह—"सेवामें निवेदन है कि इन दिनों श्रीमान् मंडावर कंवर साहेब श्री देवीसिंहजी और उनके आदमी हमारे दांवों में आये और कहा कि अमेरिका की मदद से पाकिस्तान हिन्दुस्तान पर हमला करने वाला है। हिन्दुस्तान के पास इनका मुकाबला करने के लिये फौजी ताकत नहीं है। नेहरूजी ने कहा कि यदि जागीरदार और राजपूत कॉंग्रेस में शामिल हो जायें तो उनकी मदद से हिन्दुस्तान की फौजी ताकत बढ़ाई जा सकती है और उनकी एवज में उनकी जागीर पांच साल तक खतम नहीं करेगी·····

एक सदस्य—ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, क्या सदन में यह झूंटा प्रचार नहीं किया जा रहा है?

एक सदस्य—ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह बहस के बाहर का विषय है।

श्री भैंरू सिंह—मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है और इस पर लोगों के दस्तखत मौजूद हैं, यदि कोई देखना चाहें तो देख सकते हैं।

राजा मानसिंह—The Honble Member is quoting and not reading a speech. He should be permitted to go with the article.

श्री उपाध्यक्ष—आप इन्स्टान्स देते हैं, दे सकते हैं।

श्री भैंरू सिंह—मैं इन्सटॉन्स ही दे रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप कोई इन्फॉरमेशन चाहते हैं तो सवाल के रूप में पूछ सकते हैं।

श्री भैंरू सिंह—मैं आपके द्वारा सदन को यह बात बतलाना चाहता हूँ·········

श्री खेतसिंह—माननीय सदस्य खुद २४ प्रकार के दस्तखत कर सकते हैं।

श्री भैंरू सिंह—माननीय सदस्य ने पहले दस्तखत दूसरी तरफ किये थे और अब दूसरी तरह के दस्तखत कर दिये हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि दस्तखत एक चीज पर हो सकते हैं।

श्री खेतसिंह—बिल्कुल गलत।

श्री भैंरू सिंह—जो कुछ मैं पढ़ कर सुना रहा हूँ वे सिर्फ १० लाइनें ही है, उसमें से कुछ मैंने पढ़ लिया है। (पुनः पढ़ने का प्रयास करने लगे)

श्री भोलानाथ—यह एप्लीकेशन कोई डोक्यूमेंट नही है। यह लिख कर लाये हैं।

श्री भैंरूसिंह—माननीय मन्त्री महोदय को यह कहते हुए शर्म आनी चाहिये कि लिख कर लाये हैं। इस पर लोगों के दस्तखत मौजूद हैं।

एक सदस्य—यह बात कि "शर्म आनी चाहिये" अनपार्लियामेंटरी है।

श्री उपाध्यक्ष—You should withdraw these words. You should not have told those words.

श्री भैंरूसिंह—बिना जाँच किये हुए ही मन्त्री महोदय ने यह कह दिया कि झूठा है, लिखकर लाया है। पहले इनको ये शब्द वापिस लेने के लिये कहा जाय, बाद में मैं अपने शब्द वापिस लूंगा।

श्री भोलानाथ—मैंने यह नहीं कहा कि झूठा है।

श्री उपाध्यक्ष —(श्री भोलानाथ की तरफ सम्बोधित करते हुए)आपने यह कहा कि लिख कर लाया है।

(विराम)

(श्री भैंरूसिंह की ओर संकेत करके) You should confine yourself to the subject.

श्री भैंरूसिंह—राज प्रमुख के भाषण के दौरान में ही इसका उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ी, इसी लिए कहना पड़ा है।

मुझे अफसोस है कि कॉंग्रेस की शोभा बढ़ाने वाले वे सदस्य जो कुछ दिन पहले विरोधी दल में बैठते थे मेरे इस कहने पर आपत्ति उठा रहे हैं, लेकिन बीकानेर, जयपुर आदि में पब्लिक पर चलाई गई गोलियां को न भूलें आज वे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई की बात कह कर गुमराह न करें। उनके लिये करोड़ों को तादाद में जनता पुलिस और फौज का शिकार होने के लिये तैयार हो जाए, इस प्रकार की जागृति फैलाई जा रही है।

श्री कंवरलाल—राजप्रमुख के धन्यवाद के सम्बन्ध में माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

श्री भैंरूसिंह— शायद माननीय सदस्य को यह ध्यान नहीं है कि मैं श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण से सम्बन्धित बातों पर ही बोल रहा हूँ।

श्री मथुरादास--मुझे इस बात का खेद है कि किसी खास पार्टी पर या किसी व्यक्ति विशेष पर चार्ज लगाया जाना इस हाउस की परम्परा के खिलाफ है।

श्री **जसवन्तसिह**—मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रलोभन दिया है, जिससे इस पक्ष के कुछ सदस्य उधर गये हैं। कृपा करके यह भी बतला दिया जावे तो ठीक होगा।

श्री **भैंरूसिंह** मुझे बड़ी खुशी है कि जिस विषय को बन्द करने की आवाज उठाई जा रही थी। उस पर बोलने को कहा जा रहा है।

श्री **उपाध्यक्ष**--इस पर रेगूलर स्पीच की बात नहीं है। (श्री भैरोंसिंह को संकेत करके) आपको राजप्रमुख के धन्यवाद पर ही भाषण देना चहिये।

श्री **भैंरूसिंह**--(**दांता रामगढ़**) श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में यह फरमाया है :—

"The negotiations between representatives of Government and of the Jagirdars in regard to certain clauses of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act have borne fruit. We are grateful for the sympathy and assistance which we have received from Pandit Jawaharlal Nehru and Pandit Govind Ballabh Pant in this matter. Government will place before this Assembly a bill to give effect to the agreements arrived at."

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में इस जिक्र के कारण, श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह अधिकार है कि मैं इस सम्बन्धित कारणों पर और इससे जो परिणाम निकलने वाले हैं उन पर सदन में अपनी राय रखदूं। जो अभी तक मैंने कहा है मैंने उन्हीं के परिणामों के आधार पर कुछ कहा है। मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों के सदस्य यह बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं और उनकी बेचैनी को महसूस करते हुए मैं इस बात को कहते हुए अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। यदि विरोधी दल के सदस्यों को और क्षत्रिय महा सभा और राजपूत सभाके सदस्यों को यह पहले ही मालूम होता कि हमें उधर मिलने से अधिकाधिक मुआवजा मिलेगा, और जैसा कि ये आज डटे हुए हैं, चाहे वे अपने सिद्धान्त ही खो दें, तो वे कई दिनों पहले ही कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर लेते। किन्तु उस वक्त ऐसा नहीं किया गया। उस वक्त तो वे कहीं चले गये।

श्री **कानसिंह**—ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर सर, जिस विषय की बहस को घुसेड़ा जा रहा है वह मेरे खयाल से श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण से सम्बन्धित नहीं है। जो कॉंग्रेस के सदस्य होने जा रहे हैं उन पर भी एक तरह का आरोप लगाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को कह देना चाहता हूँ कि जो कॉंग्रेस-जागीरदार गठबन्धन के लिए कहा जा रहा है वह ठीक तरह से लागू नहीं होता है, और अनुचित है। सबके सब जो कॉंग्रेस के सदस्य होने जा रहे हैं वे सबके सब जागीरदार नहीं हैं। यह भी अनुचित है कि वे मुआवजा अधिक मिलने के प्रलोभन की वजह से जा रहे हैं।

(घंटी)

श्री **भैंरूसिंह**—(**दांता रामगढ**) क्या माननीय सदस्य सबक दे रहे हैं अथवा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोल रहे हैं।

(घंटी तथा हंसी)

श्री उपाध्यक्ष (श्री कानसिंह को संकेत करके) You are not to reply. You are only to raise a Point of order.

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़) माननीय उपाध्यक्षजी...........

(श्री कानसिंह खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष--(श्री कानसिंह को संकेत करके) No Debate.

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़) शायद माननीय सदस्य ने यह बुरा समझा हो कि वे खुद कांग्रेस की बेन्च पर नहीं रहेंगे और यहां बैठने के लिए राजी हैं तो मैं उनका आभारी हूँ।

श्रीकानसिंह--ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, आपने जो कुछ कहा वह ठीक नहीं है, मैं यही अर्ज कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—No Debate.

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)— उपाध्यक्ष महोदय, जागीरदारों को जो मुआवजा देने की नीति अपनाई गई है मैं अब उसका विरोध करूंगा। सन् १६५२ के बाद जब यह कानून लागू किया गया कि जागीरदारी प्रथा को १० साल का मुआवजा देकर समाप्त किया जाना चाहिए तो उसको अविलम्ब ही लागू किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। उसके पश्चात् राजस्थान में ६ फसलें हुई हैं। सन् १६५२ की दो, सन् १६५३ की दो और अब सन् १६५४ की दो इस प्रकार ६ फसलें हो जाती हैं। अगर इन छः फसलों की आमदनी को ठीक तरह से केल्क्युलेट किया जाय तो वह १० साल की आमदनी के मुकाबले में हो जाती है। अब चूंकि जागिरदारों के कांग्रेस में मिल जाने से ६ फसलों की आमदनी का मुआवजा, जो कि दस साल के मुआवजे के मुकावले में होता है उन्हें यों ही मिल जाता है और जब कि यह कानून सन् १६५४ से लागू किया जा रहा है तो इस हिसाब से दस साल का मुआवजा और छः फसलों की आमदनी दोनों मिलाकर १६ वर्ष का मुआवजा मिल जाता है। यही प्रलोभन है कि सदस्य उधर (कांग्रेस) की ओर मिल रहे हैं।

कुंवर श्री जसवन्त सिंह— बिलकुल नहीं।

श्री भैंरू सिंह— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि वातावरण अच्छा नहीं है, कांग्रेस में बैठना भी गलत है और मुआवजा लेना भी गलत है। नेताओं की ओर से अपीलें निकल रही हैं कि हिन्दुस्तान में पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा एड (मदद) देने से विषम परिस्थिति पैदा हो गई है और उसका मुकाबला करने के लिए सबको तैयार हो जाना चाहिए। अगर वह विषम परिस्थिति कांग्रेस में मिलने से हल हो सकती है तो उसका एक हल यह भी हो सकता है कि जागीरदारी प्रथा बिना मुआवजा दिये ही खत्म करदी जाय।

[श्री भैंरूसिंह]

(राज्य पक्ष द्वारा "हियर हियर" की आवाज़)

हिन्दुस्तान को संगठित किया जाय और दुश्मन से मुकाबला करने की तैयारी की जाय। किन्तु तयारी करने के स्थान पर पूंजीपतियों को तैयार किया जा रहा हैं, गरीबों का शोषण किया जा रहा है और गरीबों का खून पिया जा रहा है। इसी पहलू को लेकर आज हम सबके सब बेचैन बैठे हैं, किन्तु जागीरदार उसको छोड़ना नहीं चाहते।

श्री **उपाध्यक्ष**—Time is over.

श्री **भैंरूसिंह**— एक बात और है।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनिट तक तो इन्टरप्शन ही हो गया हैं।

श्री **उपाध्यक्ष**—I allowed you more then 15 minutes. Two minutes more.

श्री **भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)**— डकैतों के बारे में इधर से और उधर से काफी कहा गया है। मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया कि डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं तो कहूँगा कि डाकुओं के सामने गवर्नमेन्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया। यदि सरकार आत्मसमर्पण नहीं करती तो सबके सब डाकू आज जेल में होते और जालोर में और परबतसर में डाकू कांग्रेस के पक्ष में चुनाव में नहीं जाते। डाकुओं को शुरू में आत्मसमर्पण की जो आजादी दी गई उससे साफ जाहिर है कि राजस्थान सरकार ने डाकुओं के सामने आत्मसमर्पण किया। जिन डाकुओं को सजा दी गई उनकी ठीक प्रकार से जांच नहीं कराई गई और आत्मसमर्पण करने वाले सबके सब डाकू आजाद हैं। काश्तकारों और गरीब जनता को लूट खसोट कर धन इकट्ठा करने वाले आज सबके सब आजाद हैं, जब कि कहा जाता है कि उन्होंने गवर्नमेन्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अब परिस्थिति ठीक हो गई। किन्तु गवर्नमेन्ट द्वारा इस प्रकार की छूट दी जाना उसकी कमज़ोरी ही है। आज के क्वश्चन आवर के वक्त किशनगढ़ उपचुनाव के माननीय सदस्य ने इस बात को साबित कर दिया कि मुख्य मन्त्री की कॉन्स्टिचुएन्सी में किस प्रकार से चोरियें और डकैतियें हुई हैं।

(घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष**—(श्री भैरोंसिंह को संकेत करके) No further time. Raja Mansingh.

राजा श्री मानसिंह—Mr. Deputy Speaker Sir, I was unfortunate not to be in the House on the day of the Address by His Highness the Rajpramukh. However I sent for the copy of the Address, Sir. and read the contents. Apart from one or two words referring to Rajasthan, it was difficult to understand whether this Address be-

Page No.57

[राजा श्री मानसिंह]

longed to this Province or not. Eventually I looked on the cover on which was written 'Rajasthan Legislative Assembly'. Therefore, I saw this Address refers to the Rajasthan Province. There are many points, Sir, which His Highness the Rajpramukh has left out from his Address. These points I would like to bring up one by one.

We have, Sir, a very stable Government in Rajasthan now-a-days. The stability of the Government, of course, depends on no less than 25 or 30 non-Congress Members who are directly or indirectly supporting the Government. But stability as such does not change the fact that in Rajasthan we have a very bad Government headed by one of the gratest 'revel-masters' that Rajasthan has known. I am sorry to say, Sir, that this Government is not strong enough to control the administration of the State in the interests of the people. The Government passed the Jagir Resumption Act prior to the elections in 1951-52, but it did not have the strength to encourage, to enforce that Act in the interests of the people. They have, in the meanwhile, been a party to certain negotiation to which I shall refer later on. The Government, Sir, has not been able to control certain communally minded persons, who belong to the Muslim community from indulging in propaganda against the Country. The Government, Sir, has not been able to prevent interference in the administration by what I term the 'Parallel Government of Rajasthan', in other words, the Congress Party. To each of these points I would like to refer in brief.

The Jagir Resumption Act, Sir, it is very unfortunate that in this House, the Members will not be able to discuss the whole Act as such. His Highness the Rajpramukh has mentioned in his Address that the Government proposes to bring a certain amendment, but, Sir, this House will only be able to discuss those clauses to which the amendment refers. I have always been, Sir, of the opinion that what was being given according to the Act was far too much in the interests of the 'landed-class' as against the interests of the cultivators. However, according to the Constitution of India, some compensation has to be arranged. It is very sad, Sir, that after all the propaganda that the Congress Party has done amongst the people, that they should break their pledges now, after two years of participating in the Democratic Government, in the interests of the 'landed-class' against the interests of cultivators. The negotiations as such were not surprising. Looking towards history, it is a historic fact that all the Jagirdars of Rajasthan have always followed an appeasement policy. During the Moghul period the daughters were always required to negotiate...

कुं. श्री जसवन्त सिंह—On a point of order, Sir, is it a relevant point ? I have to say something. If the Rajputs' daughters have negotiated,

[श्री जसवन्तसिंह]

the daughters of other communities also negotiated I will have this fact realised whether this thing ..

श्री उपाध्यक्ष—You should not go too far.

राजा श्री मानसिंह—I w'ont, Sir. The only difference being that to-day we have their sons for the negotiations.

About the communally minded persons, Sir, recently an Honourable Member, from the Kaman constituency in Bharatpur District, when he was taking part in certain deliberations, under the Chairmanship of the Collector of Bharatpur, with certain refugees, he was pleased to say that, "the day is not very far when temples and gurudwaras would be erased to the ground and mosques erected in their place". The Government is in the knowledge of this fact, Sir. Such traitors to the Country, who spread communal feelings amongst the people of India, whether Hindu or Muslim must be...

एक माननीय सदस्य— I think the Ho'nable Member is speaking on a communal point.

राजा श्री मानसिंह— There was recently a meeting in Pahari Tehsil of Bharatpur District in which muslims only attended, and the fact stressed there was that of unity amongst muslims. The speakers included the Hon'ble Member from the Kaman constituency, who said that the saviours of muslims would soon attack India. I would request, Sir, that the Government should take action, if they are able to do so, against such persons.

Then, Sir, I make reference to this 'parallel government'. It is very unfortunate that the Members sitting on the Treasury Benches are unable to use their discretionary powers. In every sphere of the Administration this 'parallel government' uses its influence and coercion to run a farce of the State. This 'parallel government' is run, Sir, by one of the most unscrupulous and irresponsible characters I have ever known, viz., the President of the Rajasthan Congress Committee. This gentleman was...

श्री भोगीलाल पंडया—He is not present, Sir, and, therefore, reference should not be made.

राजा श्री मानसिंह—He has no right to be present here, Sir. At the most he can sit in the strangers galleries.

श्री उपाध्यक्ष—No special reference.

राजा श्री मानसिंह— I am not referring to the individual but to the office.

This gentleman was recently involved in a case, where in the Alwar Educational Unit, there was to be a selection for teachers' posts. He recommended 22 congressmen to become teachers, with the result that in this particular unit we shall have the Congress gospel being taught, at the same time at the expense of the public, where as the appointment of teachers from the younger generation who wish to make the profession a career, is disregarded altogether. This head of the 'parallel government', Sir, is supported by one of his lieutenants, who comes under the category of the President of Bharatpur Congress Committee. This lieutenant has, Sir, stated in front of a minister, the Commissioner and in front of the lower court at that time the S. D. M that the Government must run its affairs irrespective of the law. These remarks have been attached to a particular case pending in the High Court, which can be seen by the Ministers if they require. The arrogance of this lieutenant does not remain there. He has further caused to be published in one of the congress newspapers a statement in which he states that the Collector is not carrying on his duties properly as he does not consult the Congress Committee. I fail to understand, Sir, how the Government of Rajasthan can put up with such insults to the Administration without any heed to this 'parallel government'. Such disloyalty to this 'parallel government' causes hardships and transfers of the Government Officers though through their courage they have shown their loyalty to the people of Rajasthan.

We have in this province a farce called the Public Service Commission. I will give here one example of the way in which this 'parallel government' influences this Commission aswell. There was an advertisment sometime back for the posts of Assistant Regional Transport Officers of which there were four vacancies. Temporarily for a period of 8 months these four posts were held by either sons relations or friends of top-ranking treasury benchers. When applications were demanded from the public, upto August, 1953, some 3000 applications had been received. Each applicant was required to pay Rs. 3/- as fee and Rs.- /8/- for the form. You can imagine, Sir, how much expense the public was put to. It was not surprising, Sir, to hear that those appointed temporarily were confirmed on those posts, because of their nearness to the treasury benches, and thus the public was put to a huge expense There are many such similar cases.

Recently, we had a firing by the Police at Bedham village, Deeg Tehsil in Bharatpur District, where the tobacco excise was being collected Whether or not the police were justified in firing, that is not the question, but the very wrong propaganda that has been done by the Ministers and by the Congress Party is responsible for misleading people not to adhere to the rules and regula-

[राजा श्री मानसिंह]

tions of the Central Government. During the last elections, Sir, a most misleading pamphlet was issued by the propaganda committee of the Congress Party in favour of their candidates by the names of Shri Raj Bahadur and Shri Amritlal Yadav, who now occupies a seat in the treasury benches. On the 31st May, last year a pamphlet concerning a meeting was distributed by the head of the, 'parallel government', in other words the President of the Rajasthan Congress committee, to the people of Bharatpur, in which he wished to discuss "तम्बाकू की नाजायज़ टेक्स वसूली" and there were two ministers of the Rajasthan Government named therein who were present at the meeting, namely, Shri Ram Karan Joshi and Shri Bhogilal Pandaya, where they discussed the tobacco excise tax against the policies of the Congress Government at the Centre, I invite the ministers to resign their offices and take up the fight against the Congress Government with the people.

I would like to say a little of the corruption amongst the officers. The remedy that the Rajasthan Government has found for corrupt officers is to transfer them to the Indo-Pakistan border, usually Jaisalmer. This, Sir, is not a remedy. The Jaisalmer people are as good citizens as any one of us. These corrupt officers should be tried in the Courts. By transfers of these corrupt officers we only spoil the good atmosphere prevailing in the places where these officers are transferred. I, at one time, could not understand why the Government had not the courage to look into the matter and appoint commissions to inquire into the affairs of these officers and take severe action, to jail them if necessary. But on my meeting several of my friends it has come to my knowledge that most of these corrupt officers were involved in corrupt practices during the last elections, and that they pay a subsidy to the congress committee fund.

Apart from the corruption that is prevalent in the lower courts of Tehsildars and Naib-Tehsildars etc., one of the most corrupt courts is the Revenue Board, which is presided over by an officer who is very much congress-minded. There is no hope for anyone to receive any justice from this court unless he is a congressman or a chamar.

We find, Sir, especially in the Bharatpur District, from amongst the three Congress Members of this House, that one of them takes pleasure in insulting the Courts snd Officers of the District. The Hon'ble Leader of the House was pleased to issue a circular to all the Members of the House marked confidential, but which he released to the press two days before he sent it to us, that the practice of influencing officers by Member is deplorable and should cease. I am quite certain that the opposition Members have not been

[राजा श्री मानसिंह]

guilty of such an offence, and hope, Sir, they will not be guilty in the future. Why, Sir, did not the Leader of the House have the courage to direct this letter to the.........

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sir, on a point of information, probably the speaker may feel that the opposition has sat silent over this circular letter of the Chief Minister on behalf of the opposition side I myself have addressed that it is not applicable to the oppsoition. It is applicable only to the Congress M. L. As. (करतल ध्वनि)

राजा श्री मानसिंह—All officers, Sir, must realise to train themselves in becoming professional neutrals to all special interests, pressure, groups and political parties. Until this comes about, we will never have a good administration.

However, I should like to quote—and I am not reading from my own note-book—from a printed article by an eminent Sanator of the American Congress not the Congress party as in America, the Congress is the name for the Assembly there. This quotation is very befitting for Rajasthan in the present circumstances.

"Politics is played as if there were no uncertainty in the nation. Get-rich-quick parasites are at work. Officers grow wealthy on bribes, Internal-revenue officials take graft to influence cases. Racketeers move in good middle-class society as friends of politicians. The people elect to high office men who have served prison terms, and weaklings controlled by corrupt advisors: they have not disapproved men who pocket kickbacks and bribes, and have some times re-elected such officials".

This, Sir, is the summary of the Rajasthan Government.

Finally, Sir, referring to the Pakistan-American Arms Pact, I would like to remind the Members that I sounded a note of warning in this House precisely one year ago that the Rajasthan Government would have to deal with certain crises,: which the Government may take years to prepare to cope with. At that time the Leader of the House was very much pleased to dub me as a war-monger. However, recently, Sir, we have seen that a crisis has cropped up in the shape of the Arms Pact. The Congress President, who is our worthy Prime-Minister, has issued a most courageous and historic statement in the House of the People at Delhi. Now my Hon'ble friend, Sir, who called me a war-monger after hearing that historic statement in the House of the People, has stated that

[राजा श्री मानसिंह]

the people of Rajasthan will always defend their frontiers. Sir, in no uncertain terms I should like to draw a simile according to which the "jackal walks in the footsteps of the tiger."

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—उपाध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख के अभिभाषण पर मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बहस सुनी। इस बारे में मैं भी अपने कुछ विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। राजप्रमुख ने अपने भाषण में अपराधों की कमी के बारे में काफी कुछ २-३ पेराग्राफ में कहा है। इसके मुतआल्लिक मैं एक दो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ अर्से पहले माननीय मुख्य मन्त्रीजी सोजत सिटी में भाषण दे रहे थे। उसमें आपने फरमाया था कि लॉ एन्ड ऑर्डर का काफी प्रबन्ध हो गया है और अब गाँववालों के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है, बहुत से डकैतों को पकड़ लिया गया है। भाषण खत्म होने के तुरन्त बाद ही वहीं पर उनको एक तार मिला जिसमें लिखा था कि चार डाकुओं ने एक जगह पर डाका डाला और काफी माल ले गये। इसलिए लॉ एन्ड ऑर्डर का प्रबन्ध किया जाय यह खबर उनके सामने उसी वक्त पेश होती है जब कि वे भाषण में यह कहते हैं कि डाकुओं को पकड़ लिया गया है। राजप्रमुख ने भी अपने भाषण में ५. ३. ५४ को लॉ एण्ड ऑर्डर का जिक्र किया है पर इसके दूसरे ही दिन यानी ६. ३. ५४ को देवली के पास आने वाले किसी पुलिस विभाग के तो नहीं; लेकिन पुलिस के लिए काम करने वाले व्यक्ति आ रहे थे, उनके साथ १३ आदमी थे; पर उन्हें ६ आदमियों ने लूट लिया और जो उनके पास पैसा वगैरह था, वह ले गये।

इसके बाद श्रीमन् राजप्रमुख ने बेकारी दूर करने के बारे में कोई बात नहीं कही है ? लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने जोधपुर में एक उद्योग एवं कृषि-प्रदर्शनी का आयोजन किया था; उसके मुतआल्लिक हमारी सरकार ने वहाँ के नागरिकों को यह प्रदर्शनी बनाने का भार सौंपा। इसके संयोजक श्री मदनगोपाल काबरा थे। इस प्रदर्शनी के लिए करीब ५०-६० लोग इस कमेटी के मेम्बर बने और तीन-चार महीनों में यह बनकर तैयार हुई। जब यह बनकर तैयार हो गई तब उन्होंने कहा कि जितने मेम्बर इसको बनाने वाले हैं वे यदि ५) रु० प्रत्येक फीस नहीं देंगे तो वे नहीं आ सकेंगे। वह प्रदर्शनी शिक्षा विभाग की ज़मीन के ऊपर यानी गोशाला में हुई और शिक्षा विभाग ने ज़मीन देने के लिये एक पैसा भी एवज़ाना के रूप में नहीं माँगा। पर प्रदर्शनी वालों ने करीब ५० हजार रुपया किराये के तौर पर वसूल किया इसके उपरान्त जब मेम्बरों ने हिसाब की जाँच की माँग की तो हिसाब बताने से इन्कार कर दिया। सरकार ने किसी राजकर्मचारी को समिति का मेम्बर न रखकर एक भारी भूल की है। इसका नाम उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी रखा गया था और राज्य के उद्योग विभाग की तरफ से दो स्टाल रखे गये थे; इसके अलावा उद्योग सम्बन्धी कोई दूसरा प्रदर्शन नहीं था। बड़ी-बड़ी दुकानों में टीक वुड बहुत था। व्हाइट आइल के बहुत से ड्रम भरकर आये और जोधपुर में जितने कपड़े के व्यापारी थे उनको बाहर से आने वालों ने एलान कर दिया कि तुम अपनी बिल्टियें हमको दो, हम कस्टम की छूट के कारण ५० प्रतिशत कमी में तुम्हारा माल छुड़ायेंगे। इस तरह से कस्टम न देने का दुरुपयोग हुआ। कस्टम की रियायत उनको दी गई थी, उसका दुरुपयोग हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रदर्शनी प्राइवेट बतलाई जाती है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह प्राइवेट नहीं थी। इसमें सरकार ने दो-ढाई लाख रुपये लगाये थे, इसलिए सदन की जानकारी के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो इसमें ५० रु० दुकान का किराया और १० रु० बिजली पानी का खर्चा यह रेट छपी हुई थी। फिर भी सँयोजकों ने दुकानदारों से १०-१० रुपये और वसूल किये और हरेक दुकानदार को इस तरह तँग किया कि आपकी दुकान पानी गर्म करने का लिखा था इसलिए आप यहाँ चाय नहीं बना सकते। और टी स्टाल वालों को कहने लगे कि आपके लिए टी का लिखा है इसलिए आप यहाँ समोसे-कचौरी नहीं बना सकते, इसलिए आप २५ रु० और दीजिए। इस तरह से वहाँ पर व्यापारियों को और जनता को बुरी तरह तँग किया गया और सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वहाँ पर पहलवानों की कुश्ती का आयोजन भी किया गया। इश्तिहारों में नाम कुछ औरों के बताये गये और काम उनमें से एक दो ने दिखाये। इस पर पब्लिक ने काफी हो-हल्ला किया। इसके अलावा जानवरों की कुश्ती का भी आयोजन किया गया। वन विभाग के मन्त्री जी ने शेर-चीते भेजे। पिंजरे कई आये। एक आवेदन पत्र भी दिया गया......

श्री उपाध्यक्ष—You are narrating one story.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—ये सब प्रदर्शनी में आ जाते हैं, इसलिए मैंने अर्ज किया। इस बात से मेरा मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने प्रदर्शनी में लाखों रुपये खर्च किये फिर भी टिकटों का जो पैसा आया है वह प्राइवेट फण्ड में गया और गवर्नमेंट ने एक पैसा भी वसूल नहीं किया और पब्लिक के लोगों को हिसाब नहीं बताया इसलिए आयन्दा जब कभी ऐसा अयोजन हो तो सरकार उसे अपने हाथ में जरूर रखे और ऐसे लोगों को नहीं दे जो रुपये उड़ा दें।

इसके बाद में शिक्षा विभाग के बारे में कुछ कहूँगा। इस बारे में मेरी अर्ज यह है कि बहुत से मेरे प्रश्न कन्या पाठशालाओं के बारे में आये हैं, पर मुझे उनके उत्तर सन्तोषजनक नहीं मिले। इसलिए मुझे कहना है कि यदि कन्याओं की पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, उनकी फीस आदि माफ करेंगे तो राजस्थान में जो अराजकता फैल रही है और जो बुरे काम हो रहे हैं वे कम होंगे और लड़कियें पढ़ जायेंगी तो उनकी जो संतान होगी वह अच्छी होगी। आज अनपढ़ होने के कारण सारे काम बिगड़ते नज़र आ रहे हैं और गवर्नमेंट को जो मुसीबत भुगतनी पड़ रही है वह दूर हो जायगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार जितना रुपया पढ़ाई में खर्च कर रही है यानी युनिवर्सिटीज़ कालेजेज़ आदि के लिये सरकार का लाखों रुपयों का बजट है जो फौरन सेंक्शन कर दिया जाता है, लेकिन जब कन्याओं की पढ़ाई का प्रश्न आता है तो बताया जाता है कि आर्थिक कठिनाई है, पैसा नहीं है, यह कहना बहुत बुरी बात है।

इस तरह से गाँवों की पाठशालाओं के लिये जब कभी भी माँग की जाती है तो हमारे माननीय मन्त्री हर वक्त यही कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, ५० परसेंट अगर गाँव वाले दें तो हम खोलने को तैयार हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि यही प्रश्न शहरों के लिये क्यों नहीं उठाया जाता? शहरों में तो इस काम के लिये ५०-६० लाख रुपये मन्जूर करते हैं तो फिर यहां पर भी ५० परसेंट

[श्री सन्तोषसिंह]

होना चाहिये। गाँवों में तो जहाँ छोटी-छोटी स्कूलें खोलने की मांग की जाती है तो ५० पर्सेन्ट का प्रश्न उठाया जाता है और शहरों में लाखों रुपये दिये जाते हैं और ५० पर्सेन्ट का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता, यह अन्याय की बात नहीं तो क्या है ?

इसके बाद मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में अर्ज करना चाहूँगा। हमारे जोधपुर में जो स्टाफ है वह तो बहुत अच्छा है परन्तु उनके पास दवाइयें नहीं हैं। जब भी जाते हैं तो पानी घोल कर पिला देते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें हमारे पास दवाइयें नहीं हैं। इसके अलावा मरीज़ के कम्पेनियन को जो कि बाहर गाँवों से आते हैं, ढाई रोटी दी जाती है जिससे वे धापते नहीं हैं। बाहर गाँव के आवें उनको पूरी खुराक मिलनी चाहिये। इसके बारे में मैंने सदन में कई दफा कहा है कि पेशेन्ट के साथ रहने वाले कम्पेनियन को पूरी खुराक मिलनी चाहिये।

पशु-धन के लिये श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में काफी कुछ कहा गया है, परन्तु इसके लिये मैं कहूँगा कि जब तक सरकार मादीन जानवरों की निकासी नहीं रोकेगी तब तक गवर्नमेन्ट को करीब-करीब ढाई करोड़ का घाटा होता रहेगा।

इसके लिये मैं यह कहता हूँ कि हमारे यहाँ शीप एण्ड वूल विभाग के एक उच्च अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने बिलाड़ा में भाषण दिया कि कुल भेड़ों की संख्या का पांचवां भाग मारवाड़ के बाहर जाता है। डेढ़ करोड़ मन ऊन और ४ लाख भेड़ें बाहर जाती हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि करीब १० लाख भेड़ें स्थानीय बूचरखानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये काम में आती हैं। यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। अगर मादीन जानवरों की निकासी को रोक दिया जावे तो सरकार की आमदनी बढ़ सकती है।

पशु-धन के सुधार के लिये जो प्रदर्शनी बिलाड़ा में हुई थी उसके अध्यक्ष माणकरामजी महाराज ने अपने विचार बताये कि निकासी के कारण राजस्थान सरकार को कितना घाटा होता है :

"मारवाड़ सूं हर साल ६ लाख घेटा व बकरा बाहर जावे उणांरी ऊन रा २ लाख रूपया, मजूरी रा ३ लाख ८ हजार रूपया, ऊन और जट १२ लाख री कीमत री, मजूरी गांठां बंधाई रा ३६ हजार रूपया, बुनाई २४ लाख हुई,

इसके मेन्योर खात का........"

एक सदस्य—आपके यह पढ़ कर सुनाने से समय व्यर्थ खर्च हो रहा है। आप इसे बांट देते तो अच्छा था।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—तो इस तरह से जोड़ लगाई है कि सिर्फ भेड़ें और बकरे बाहर जाने से २ करोड़ ८ लाख २० हजार रुपये का घाटा सरकार को होता है। जब तक मादीन जानवरों की निकासी.........

Page No.65

एक सदस्य (कांग्रेस)—क्या मादीन जानवरों की भी निकासी होती है ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—हाँ, यह सही बात है। यह गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है भेड़ ....

एक सदस्य—भेड़ों में नर भेड़ें भी हो सकती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Under Rule 65, I would make a submission. I had raised a motion of privilege in as much as the Chief Minister had not placed the Report of the Rajasthan Public Service Commission on the floor of this House. Though permission was refused (श्री उपाध्यक्ष द्वारा घन्टी) I don't want to go into the question of refusal of the permission There was some incident in the House and, therefore, under Rule 65 I seek your permission to make statement of personal explanation because the privilege motion was given notice of and there was some incident. Have I your permission, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will finish within 3 minutes.

श्री उपाध्यक्ष—No.

श्री ब्रज सुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन में प्रस्तुत श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह नहीं चाहता कि वे किसी बहकावे में आकर या किसी तरह से ज़ोर-ज़ोर से बोलने के आधार पर या और किसी आधार पर और सोचे-समझे इस प्रस्ताव का समर्थन करें या इसके खिलाफ जायं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वास्तविक तथ्य हमारे सामने भी हों जिनके आधार पर हम श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद दें। यदि वास्तविक तथ्यों पर नहीं जायेंगे तो हम भूल करेंगे।

हम देखते हैं कि राजस्थान की हालत आज कितनी अच्छी होती जा रही है, किस तरह हम तरक्की कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि राजस्थान की जनता में जोश है, स्फूर्ति है और जागृति है। सड़कें बनाई जा रही हैं, बांध बनाये जा रहे हैं तथा चंबल और भाखरा की योजनायें हमारे सामने हैं। आगे आने वाले कुछ ही महीनों में भाखरा की योजना से हमें फायदा भी होने लग जायगा।

इस तरह हर स्फियर में सड़कों के स्फियर में, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के स्फियर आदि सारे के सारे मदों में हम तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजों को लेकर, कुछ खराबियों को लेकर हम उन सारी अच्छी बातों को भुला दें, यह कोई अच्छी बात नहीं। हम अगर यह देखें कि हम जहाँ थे उससे कितने आगे बढ़े हैं तभी हम उसका मूल्य समझ पायेंगे। यदि हमने इसको नहीं समझा तो हम गलती करेंगे।

[श्री ब्रज सुन्दर शर्मा]

मैं इस बात को मानता हूँ कि जितना हमें करना चाहिये था उतना नहीं कर पाये और जो कुछ होना चाहिये था उस हद तक हम पहुँच नहीं पाये। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कारणों में जाना आपका और हमारा काम होगा और वास्तव में कारण सच्चे हों और उसमें जो रुकावटें आती हैं उस पर हमें सरकार की मदद करनी चाहिये। खास तरह से हम उसका तरक भी करेंगे और रास्ता भी बतलाएँगे। यह आपका और हमारा काम है। हम यहाँ पर वास्तव में इसलिये नहीं हैं कि यदि सरकार गलती करती है तो भी हम रांणे और भाटों की तरह उनकी तारीफ करते रहें। हम तो उन लोगों में से हैं जो पब्लिक की सेवा करने के लिये यहाँ आये हैं।

अब मैं राजा मानसिंह ने अपने भाषण में जो बातें थोड़ी देर पहले कहीं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा मानसिंह ने फरमाया था कि कांग्रेस के अनुशासन में भी, कांग्रेस पार्टी के लोग भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने मन्त्रियों के बारे में कहा कि एक साइज़ के बारे में इन लोगों ने भरतपुर में बात-चीत की और सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट की पोलिसी के सम्बन्ध में सलाह-मशविरा किया। मुझे मालूम हुआ कि पान्ड्या साहब वहाँ गये ही नहीं और यदि गये भी हों और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की किसी नीति के बारे में वे कुछ लोगों से बात-चीत करना मुनासिब समझते हों, तो कांग्रेसमैन के नाते उनका फर्ज हो जाता है कि वे उन्हें उचित मार्ग दिखावें। कांग्रेसमैन के नाते उनका कर्त्तव्य है और इस नाते यदि उन्होंने एक्साइज़ के बारे में भरतपुर में जाकर कुछ कहा तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं तो यहाँ तक मालूम कर सका हूँ कि सेन्टर गवर्नमेन्ट ने वहाँ की जानता की मांगों को माना है और वहाँ की जनता को एक्साइज़ के बारे में कुछ·······

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आपको मालूम है कि इसके लिये चार आदमियों की जानें गई थीं, तब यह सुझाव माना गया है?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—मैं इस प्रश्न पर आने वाला था और इसके बारे में भी कहूँगा।

कोई भी चीज़ उठती है और इसमें जाना भी पड़ता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वास्तव में बात यह जानने की होती है कि वह चीज उठती कैसे है? हाल ही में बीकानेर के अनाज के आन्दोलन के बारे में बहुत कुछ कहा गया कि आन्दोलन बहुत सच्चा था, लेकिन मैं यह आपसे अर्ज करूँगा कि आन्दोलन करने के तरीकों में बहुत फर्क होता है। आज आप राजस्थान के लोगों में देखेंगे कि राजस्थान में जो खाद्य-नीती बर्ती जा रही है उससे सब लोगों को संतोष है। मैं कोटा डिविजन की तरफ से कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो नीति बरती है उससे काश्तकारों को लाखों रुपयों का फायदा हुआ है। सरकार यदि इस नीति को काम में नहीं लाती तो उन लोगों को फायदा होता जो नाज खरीद कर अभी रख लेते हैं और फिर १०-१२ महीने बाद लोगों को मंहगे भाव से उसे बेचते हैं। इससे उन लोगों को फायदा होता जो मालदार हैं। इससे किसानों को नुकसान होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह गलत बात है।

श्री भैरूंसिंह—यदि आप आन्दोलन करने वालों से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि हम लोगों को नुकसान हुआ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—आन्दोलन सस्ती नेतागिरी हासल करने के लिये और कांग्रेस के प्रति जनता में असंतोष पैदा करके कांग्रेस के लोगों को नजरों में गिरायें तो नेतागिरी कायम हो जावे, इसलिये था।

श्री जसवन्तसिंह—मैं भी इस आन्दोलन में शामिल था। मुझे तो कोई नेतागिरी नहीं चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या गंगानगर से जत्थे आये थे वे किसान नहीं थे?

श्री गुरुदयालसिंह सिंधु—वे किसान नहीं थे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं निवेदन करूँगा कि मैं तो तथ्य की बात कहता हूँ कि वास्तविकता क्या थी और क्या होनी चाहिये। यदि यह आन्दोलन बीकानेर शहर के लोगों के फायदे के लिये न होता तो वह गाँव-गाँव में हो जाता, लेकिन वह शहर के लोगों के फायदे के लिये ही था इसलिये वहीं हो कर खत्म हो गया और वह इस बुरी तरह से खत्म हुआ कि आगे कभी उठ नहीं सकता। मैं यह निवेदन कर रहा था कि वास्तव में अगर सरकार कोई गलती करती है या कोई बात ऐसी है जो सही है और वह उसके दिमाग में नहीं आती है तो उसको सुझाना और सही रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। हम जानते हैं कि कोम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक्स्टेन्शन ब्लोक्स भी काफी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना यह है कि उनके कार्यों में किस तरह रुकावट आती है। मैंने भी कुछ जगह जहाँ कोम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक्सटेन्शन ब्लोक्स के काम हो रहे हैं, देखा है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से काम हो रहा है वह वास्तव में आशाजनक नहीं है। हमारे ऑफिसर जो काम करते हैं अभी तक जन-सम्पर्क में आये नहीं इसलिये हो सकता है कि वे इस हद तक काम नहीं कर पाये हैं और मैं समझता हूँ कि आगे भी वे इस सम्बन्ध में काम नहीं कर पायेंगे, यदि हमने अपनी नीति को नहीं बदला। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें उन लोगों को जिनके हाथों में वह काम है, उनके मौजूदा मानस को बदलना होगा और जल्दी से जल्दी जनता के फायदे के लिये हमें ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो वास्तव में कुर्सियों पर न बैठ कर मशिनरी की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें पब्लिक के सम्पर्क में आना है।

इसी तरह से कोओपरेटिव में बहुत काम हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देने के लिये वास्तव में हमें नीति निर्धारित करनी चाहिये जिससे वास्तव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जल्दी से जल्दी प्रोत्साहन दिया जावे। आज हम देखते हैं कि ट्रेफिक डिपार्टमेंट वाले किसी व्यक्ति को ज्यादा अच्छा समझते हैं और बस चलाने की इजाजत देते हैं और जो बस चलाते हैं उनको इजाजत नहीं देते। हमें हमारी नीति उन तक पहुँचानी पड़ेगी।

मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और यदि यह चीज़ श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में होती तो बहुत अच्छा होता।

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

इस बारे में कोई जिक्र नहीं है कि जुडीशिअरी और एग्ज़िक्युटिव को सेपरेट किया जावे या नहीं, कोन्सटीट्यूशन में हालाँकि यह है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पुरानी रियासतों के जमाने में इस चीज़ को अपनाया भी गया था और वहाँ पर अच्छी तरह से काम चल रहा था। लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इस नीति को अपनाना ठीक नहीं समझा जाय। लेकिन जब कि आज सारे हिन्दुस्तान की यह आवाज है तो मैं यह चाहूँगा कि श्रीमन् राजप्रमुख और सरकार इस बारे में ध्यान दें और आगे होने वाले भाषण में इस बात को भी समझाए, ताकि धन्यवाद के साथ चार चाँद और लग जावें।

एक सदस्य—पुरानी रियासतों में इसको चलाया था मगर कोई फायदा हुआ नहीं।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—यह तो उन लोगों से पूछिये जिन्होंने इसे चलाया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप जरा जोर से कहें तो फायदा हो जावेगा।

श्री वृजसुन्दर शर्मा—इसके अलावा मैं और दो बातों पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सवालों में यह आया कि अच्छे काम करने वालों को इनाम मिले और जो खराब काम करने वाले हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। इसके बारे में भी राजप्रमुख के भाषण में कुछ होना जरूरी था। और वह इसलिए जरूरी है कि आपके और हमारे जो रूल्स और कायदे बने हुए हैं उनमें इस बात के लिए कोई भी स्थान नहीं है कि अगर कोई अफसर गैरजिम्मेदाराना काम करता है, मामूली नेग्लीजेन्स करता है तो बगैर कोई ज्युडिशियल इन्क्वायरी हुये ही कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इससे सर्विसेज की मनोवृत्ति में एकदम परिवर्तन यह आ जाता है कि उनका कोई बुरा नहीं कर सकता है। यदि इस अभिभाषण में यह समावेश होता कि हम एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जिसके जरिये अगर किसी अफसर की गलती पाई जाय या उसके बारे में शिकायतें हों तो कम से कम ऐसे अफसर की गलतियों की ऊँचे दर्जे के अफसर या किसी ऐसे दर्जे के अफसर के बगैर इन्क्वायरी किये ही, डिपार्टमेन्ट के हैड्स के कहने पर ही तब्दील करने या अच्छा काम करने की वजह से उसको अच्छा हक दिया जाय तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं केवल ट्रान्सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता था जिसमें हमारी सरकार की नीति अगर यह होती कि ट्रान्सपोर्ट को नेशनेलाइज करें तो अच्छा था। अब तक की जैसी नीति है उससे ट्रान्सपोट के बारे में कोई तरक्की नहीं हो सकती है। अभी आप और हम देखते हैं कि कोटा और जयपुर के बीच में कोई डाइरेक्ट सर्विस नहीं है। जोधपुर और जयपुर के बीच में कोई सर्विस नहीं है, जयपुर और अजमेर के बीच में भी नहीं है। इनको नेशनेलाइज करना जरूरी था तथा इसमें खासी आमदनी होती और मैं समझता हूँ कि आगे जो समय आ रहा है उसको देखते हुए सरकार यह नीति बनाएगी तो यह नीति भी राजस्थान की उन्नति में सहायक होगी। इतना ही कह कर मैं अनुरोध करूँगा कि छोटी-छोटी बातों को छोड़ दीजिए। आपको बड़े मुद्दों को आगे रखना है। वस्तुतः

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

हम तरक्की कर रहे हैं और आपके दिमाग में यही होना चाहिये कि वास्तव में हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय अध्यक्ष, आज दो दिन से राजप्रमुख के भाषण पर बहस चल रही है। सदन के सामने दो शब्द कहने का मैंने साहस किया है। राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के बजाय, माननीय अध्यक्ष, उसके पहले मैं उस जनता को धन्यवाद देना उचित समझती हूँ जिस जनता ने गत तीन वर्ष से भयानक भुखमरी का सामना किया है और अपने दुध-मुँह बच्चों को नंगे और भूखे तड़फते हुए देखा है और माँस के टुकड़े और टाड़ों के पत्ते और पेड़ों की छाल खाकर और खिलाकर जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को जिन्दा रखा है। इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते हुए भी अपनी मां और बहिनों ने पुलिस के अत्याचारों से बे-इज्जती बर्दाश्त की। क्या वह जनता धन्यवाद की पात्र नहीं है कि इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद भी इस राजस्थान सरकार को कलंक से बचाने की कोशिश करती रही? अगर वही जनता भयंकर भुखमरी से तंग आकर उलट पड़ती तो राजस्थान सरकार, मैं मानती हूँ माननीय अध्यक्ष, और राजप्रमुख कैसे धन्यवाद के पात्र हो सकते थे? अतः जनता को धन्यवाद दिया जाय कि जनता ने भुखमरी के वक्त में भी इस राज्य को सुरक्षित रूप में रखा है।

(विपक्ष द्वारा "हियर हियर" की आवाज़)

दूसरी बात श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में पुलिस की जो तारीफ लिखी गई है वह कहां तक सत्य मानी जा सकती है यह तो उसी पुलिस विभाग से जिसने राजस्थान की राजधानी जयपुर की रक्षा की हो या श्रीमन् राजप्रमुख के पास अगर सही रिपोर्ट भेजी हो तो पूछा जा सकता है। राजस्थान के अलग-अलग डिविजनों से अगर सही रिपोर्ट आती तो, माननीय अध्यक्ष, मैं तो यहाँ तक विश्वास करती हूँ कि श्रीमन् राजप्रमुख इस पुलिस विभाग की तारीफ हरगिज नहीं करते।

(विपक्ष "द्वारा हियर, हियर")

आज इस राजस्थान के पड़ौस में जो बांसवाड़ा जिला है उसमें मैंने अपनी आँखों देखी घटनाएँ देखी हैं, माननीय अध्यक्ष, कि जहाँ अंग्रेजी राज्य के समय में भी ऐसे अत्याचार नहीं हुये थे। लगान वसूली के वक्त पुलिस भेजी जाय और हजारों रुपया बर्बाद किया जाय इस राजस्थान का, जब कि वहाँ हुआ क्या था। जनता तीन वर्ष से भूखी तो थी ही। इस वर्ष अन्न पका था तो जनता ने यह नहीं कहा था कि वे लगान नहीं देना चाहते। फिर भी उन हमारे माननीय मन्त्री लोगों ने पुलिस के रिश्वतखोर जिन पदाधिकारियों ने हमारे शासन को सही स्थिति से वंचित रखा, सहारा लिया और हजारों मिलिट्री और पुलिस के लोगों को गाँवों में खटमलों की तरह से बिखेर दिया और उन्होंने खूब भत्ता कमाया और अपनी तनख्वाहों को सुरक्षित रखा। माननीय अध्यक्ष, यह सही घटना है और अगर चाहें तो इसकी जाँच करवाई जा सकती है। वे गाँवों में गये, उन्होंने लाठियाँ बरसाईं, बहिनों और बेटियों की इज्जत ली।

/

[श्रीमती यशोदा देवी]

(विपक्ष द्वारा "शेम-शेम" की आवाज़)

और उनके घरों से मुर्गी और अन्डे खाये और अगर नहीं देते तो गालियां की, पुलिस के डंडों की वर्षा होती थी और मासूम बच्चों को भूखा तड़पते देखते हुए भी पुलिस वालों ने घी और दूध गरीब किसानों से छीन-छीन कर खाया और अगर इसकी रिपोर्ट पदाधिकारियों के पास ले जाते तो वे पहले ही रिपोर्ट कर देते कि भील कौम बदमास है, किसान बदमास हैं, ये तो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आये थे। हजारों बहिनों की रिपोर्ट लिखी जाती थी। क्या कहूँ माननीय अध्यक्ष, क्या महिलाएं इन पुलिस वालों का सामना कर सकती थीं और यह है भी कहाँ तक सही कि उन पुलिस वालों की इस प्रकार की रिपोर्ट हो। हजारों बहिनों पर पदाधिकारियों ने वारन्ट निकाले और उनको वहां ले जाया गया। यह है इस वर्तमान पुलिस, हकूमत का चित्र, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया।

इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। स्वास्थ्य के लिए अगर, माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख अलग-अलग डिविजनों के हिसाब से बताते कि कहां-कहां कितने अस्पताल खुले हैं और कितने खुलने वाले हैं तो मुझे संतोष होता। आदिवासी क्षेत्र में, माननीय अध्यक्ष, कहीं औषधालय नहीं खोला गया, कहीं अस्पताल नहीं खोला गया। उस क्षेत्र में हजारों माताएँ, बहिनें और बच्चे बिना दवाई के तड़प-तड़प कर मर जाते हैं।

कई मर्तबा इसकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दी गई और यह कहते हुए आज मुझे शर्म अनुभव हो रही है कि वहाँ पर हमारी बहिनें प्रसूति अवस्था में तड़फ-तड़फ कर प्राण दे देती हैं। उनका नग्न चित्र मुझे आपके सामने रखना पड़ता है। वहाँ कोई नर्स का प्रबन्ध नहीं, दवाइयों का प्रबन्ध नहीं। वहाँ के निवासी यह भी नहीं जानते कि नर्सें डिलीवरी कराती हैं। इस बात को वहाँ के बहिन-भाई नहीं समझते। वहाँ तो यह समझते हैं, हमारी जो परम्परा चली आ रही है, पुरुष डिलीवरी कराते हैं वही ठीक है। एक लड़की जब मायके ले जाई जाती है, जब उसकी डिलीवरी का समय आता है तब उसका पिता, भाई या उसका बहनोई होता है, उसको अपने हाथों से डिलीवरी करानी पड़ती है वह डिलीवरी ढोरों की तरह होती है। हजारों बहनें इस प्रकार की तकलीफों से मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। कई बहिनों की तो बाँसवाड़ा अस्पताल में लाते वक्त बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी बहिनों को मैंने अपने हाथों से दफनाया है। यह नग्न चित्र है हमारी राजस्थान की सरकार का, जो कि मैंने आपके सामने रखा है।

शिक्षा के विषय में मेरा कहना यह है कि अगर इन आदिवासियों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध होता और बोर्डिङ्ग हाउस खोले जाते तो इनको कुछ न कुछ मामूली शिक्षा प्राप्त हो सकती थी और इसके साथ साथ नर्सिङ्ग का थोड़ा बहुत अभ्यास कराया जाता तो वहाँ की बहिनें इसके लिए तैयार हो सकती थी और आज जो घटनायें हमें देखने को मिल रही हैं, नहीं मिलतीं और न हमारे सामने आतीं। शिक्षा के विषय में भी राजप्रमुख के भाषण में कुछ नहीं कहा गया है। स्वास्थ्य के बारे में भी आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ भी राजप्रमुख ने अपने भाषण में जिक्र नहीं किया। मैंने इन शब्दों में

[श्रीमती यशोदा देवी]

आदिवासी क्षेत्र का नग्न चित्र आपके सामने रखा, इसलिए फिर मैं एक बार निवेदन करती हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि राजप्रमुख को इस अभिभाषण के लिए धन्यवाद नहीं दिया जाना चाहिए। वास्तव में धन्यवाद की पात्र तो वहाँ की जनता है जिसने कि इतनी तकलीफों का सामना किया।

श्री भैरूसिंह (बाली देसूरी)—माननीय उपाध्यक्ष, आज दो दिन से इस सदन में राजप्रमुख को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो रहा है। इस पर काफी सदस्यों ने रोशनी डाली है। मेरे पास भी थोड़ा बहुत मसाला है। मैं भी कुछ बातों पर प्रकाश डालूँगा। मैं मिसाल के रूप में अर्ज करूँगा। मुझे सबसे बड़ा दुःख यह होता है कि पिछले अभिभाषण के सिलसिले में सरकार ने यह मन्जूर फरमाया था कि श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण हिन्दी में होगा लेकिन राजप्रमुख ने अपना भाषण अङ्गरेजी में पढ़ना शुरू किया। यह मैं भी मानता हूँ कि हमारे राजप्रमुख की शिक्षा-दीक्षा इङ्गलैंड में हुई, लेकिन उनके लिए सरल हिन्दी का पढ़ना मेरी समझ में कोई मुश्किल बात नहीं थी अगर वे हिन्दी में फरमाते तो यह सोने में सुगन्ध होती। आगे हम ऐसी आशा करते हैं कि राजप्रमुख हिन्दी में अपना भाषण देंगे।

दूसरी बात मेरे सामने यह आई है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने शांति और व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं है। क्या वे अपने कमरों में बैठे हुए कार्यवाही सुन रहे हैं, यह उनकी लापरवाही है। यह हमारे लिए असन्तोष का विषय है कि हाउस की कार्यवाही चलती रहे और कोई भी मन्त्री-महोदय अपनी जगह पर न हों। क्या उन्होंने इस हाउस को तमाशा या नाटक समझ रखा है कि मन-चाहा जब आ गये या चले गए। कृपया आप इस बात को साफ करें। यहाँ क्या पोजीशन है ? क्या यह असेम्बली भवन है या नाटक-घर है कि जो चाहा जब टिकट देने पर आ सकते हैं ? अगर आप इस बात का खुलासा कर दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री मोतीलाल चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस है न कि नाटक घर।

श्री गोपीलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, अगर मन्त्री महोदय यहाँ नहीं आ सकते और सदन की कार्यवाही में गैर हाज़िर रहना चाहते हैं तो हाउस को एड्जॉर्न कर देना चाहिये। They must come.

श्री उपाध्यक्ष—मिनिस्टरों में से किसी न किसी को यहाँ अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।

श्री भैरूसिंह (बाली देसूरी)—(अपना भाषण जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष जी, राजप्रमुख ने दूसरी बात यह फरमाई कि हमारे यहाँ राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मैं यह मानता हूँ कि कुछ अंश तक स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है फिर भी मुझे दुख के साथ इस सदन के सामने कहना पड़ता है कि बाली जिले में जो कि अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ है

[श्री भैरूंसिंह]

वहाँ हर महिने में पाँच-सात डकैतियाँ हो जाया करती हैं। अभी कुछ रोज पहले वहाँ भयंकर डकैती हुई। वहाँ मूंडाड़ा नामक कस्बा है, वहाँ डाका पड़ा। वहाँ हर रोज जिले में चोरियों का डर बना रहता है पर उस ओर सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं जा रहा है। वहाँ पर यहाँ तक हो रहा है कि उस जिले में कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट में काफी प्रचार किया कि वहाँ लोगों की जानें रोज खतरे में रहती हैं।

तीसरी बात का जिक्र श्रीमन् राजप्रमुख ने यह भी किया कि वहाँ की जनता ने डकैतों को पकड़वाने में सरकार की सहायता की। यह ठीक है, किन्तु राजस्थान की जनता और खास तौर से बाली-देसूरी की जनता ने सरकार के सामने कई दफा यह मांग रखी कि हमें आधुनिक हथियार दिये जायं ताकि हम डाकुओं का मुकाबला कर सकें, किन्तु सरकार ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया। हमने यह भी कहा कि हमें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाय। सरकार ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि हमारे पास कोई हथियार या शस्त्र नहीं हैं, फिर भी हम डाकुओं का मुकाबिला करते हैं। आशा है सरकार इस ओर भी अवश्य ध्यान देगी।

राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में पंचवर्षीय योजना का भी जिक्र किया है। योजना के मुतल्लिक मैं यह कह सकता हूँ कि जब से राजस्थान का जन्म हुआ है तभी से योजना नाम की चीज़ पैदा हो गई है। राजस्थान और हमारी योजना का जन्म साथ-साथ ही हुआ। बाली-देसूरी जिले में इस योजना के अन्दर कोई भी कार्य नहीं किया गया है, हालाँकि वहां इम्प्रूवमेन्ट की काफी गुंजाइश है। वहां सिंचाई के साधन बढ़ाये जा सकते हैं, सड़कें बनायी जा सकती हैं, बड़े-बड़े तालाब हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया और न दे रही है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करने पर भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया गया।

पिछले अक्टूबर मास से हमें एक विकास योजना के नाम से नई योजना का पाला पड़ा है। वह अक्टूबर से शुरू हुई थी और अब मार्च चल रहा है, अभी तक उसके बजट का पता नहीं; किन्तु ऐसा सुना गया है कि इसके लिए ५७॥ लाख रुपया रखा गया है जिसमें से डेढ़ लाख रुपये की कमी कर दी गई है। विकास के लिए जो रुपया रखा गया है उसमें से डेढ़ लाख रुपया काटकर जनता को निराश किया गया है तथा उसके साथ अन्याय किया गया है।

अब मुझे यातायात के सम्बन्ध में कुछ कहना है। राजप्रमुख महोदय फरमाते हैं कि सड़कों के विकास के लिए जो राशि दी गई थी वह अब ४०० लाख से बढ़ाकर ५०० लाख कर दी गई है। कितनी ही लाख कर दी जाय पर बाली जिले में किसी भी नयी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आज राजस्थान बने पांच साल हो गये किन्तु इन पाँच वर्षों में वहां एक भी नयी सड़क नहीं बन पाई है, पुरानी सड़कों की हालत को सुधारना दूर रहा। इसके लिए हमने प्रश्न भी किये, मन्त्री महोदय से भी मिले; किन्तु उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। राणकपुर का मार्ग, जहां गत साल लाखों आदमी एकत्र हुए थे, सड़क ठीक न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है; पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

[श्री भैंरूसिंह]

राजप्रमुख महोदय ने तकावी के बारे में भी कहा कि गरीब किसानों को तकावी देकर लाभ पहुँचाया गया है। किन्तु जो तकावी बांटी गई है वह अपने मित्रों को और धनाढ्य आदमियों को बाँटी गई है। इससे जिन व्यक्तियों को तकावी मिलनी चाहिये थी, नहीं मिल पाई है। इससे किसानों को काफी नुक्सान हुआ है।

राजप्रमुख ने फरमाया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बाली में खोली है, श्रम कल्याण केन्द्र के रूप में पाली और जयपुर में भी ये खोली गयी हैं। मैं इस विषय में आश्वासन दिलाता हूँ और चेलेन्ज करता हूँ कि पाली में इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। एक आदमी आया बैठा है, पर न उसके पास ऑफिस है न कोई चीज़ है। उससे पूछा गया तो कहता है वह कि मुझे तो यहाँ भेजा गया है इसलिए आ गया हूँ और अब बैठा हूँ, पर काम कुछ होना नहीं है। सरकार की इस प्रणाली में सुधार होना चाहिये।

मैंने दो साल पहले सरकार के सामने प्रस्ताव रक्खा था कि पशुओं की नस्ल में भी सुधार होना चाहिये और इसके लिए सरकार की ओर से समय-समय पर स्थान-स्थान पर पशु मेलों का आयोजन किया जाना चाहिये। इस विषय में मन्त्री महोदय को भी जनता की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई थीं पर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि आज जनता अपने आप मेले भरा रही है और इस तरह से सरकार को जो कुछ आय मिलने वाली थी, इन मेलों के द्वारा, वह भी नहीं मिल सकी। और अब नस्ल सुधारने का जहाँ तक सवाल है उसके लिए गोचर भूमि का इन्तजाम करके नस्ल सुधारने का प्रयास किया जावेगा तो अति उत्तम होगा। (एक सदस्य "किसकी नस्ल)" ?

अब मुझे थोड़ा अर्ज करना है सेटलमेन्ट के सम्बन्ध में। इस सेटलमेन्ट विभाग में इतना जोर का भ्रष्टचार है कि इसका हरेक किसान को बुरी तरह से सामना करना पड़ता है। खास कर पाली जिले में किसान इससे इतने तबाह हो रहे हैं कि उनकी कहीं सुनवाई तक नहीं हो रही है।

बाली तहसील में हाई स्कूल होते हुए भी वहाँ पर प्राइमरी स्कूलें नहीं हैं और जो शिक्षा का ढंग है इससे जनता का कोई भी फायदा नहीं हो सकता क्यों कि किसी आदमी ने हिन्दी पास करली तो गाँव का क्या फायदा हुआ। इसके बजाय तो ऐसी शिक्षा दी जावे जिससे गाँव का कल्याण हो सके; जैसे टेक्निकल शिक्षा, दस्तकारी की शिक्षा। यह ऐसी शिक्षा है जिससे गाँव का फायदा होगा। आज तो सरकार खाली स्कूलें खोल रही है और इसमें यह दिक्कत आती है कि सरकार यह कहती है कि इसके लिए मकान गाँव वाले बनाएँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ गाँव में लोगों के स्वयं के घर नहीं हैं, छोटे-छोटे से झोंपड़ों में रहते हैं तो इस कारण से एक गाँव एक मकान बनाकर कैसे दे सकता है। इस बारे में मैं बाबू रवीन्द्रनाथ का उदाहरण रखना चाहता हूँ। उन्होंने किस प्रकार शिक्षा प्रसार किया, शिक्षा का कैसा प्रचार किया था ? सरकार को चाहिये कि इस पर अमल करे और इस मामले को इस रूप में देखे।

मुझे सरकार का ध्यान दवाई और डाक्टरों की ओर भी खींचना है सरकार का एक ध्येय होना चाहिये कि गाँवों में सफाई कैसे रक्खी जावे; इसका अधिक प्रचार किया जाना चाहिये।

[श्री भैंरूसिंह]

आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां भी जरूर आप अधिक संख्या में खोलें। एक बात इस भाषण में यह भी कही गई कि मलेरिया पर काफी काबू कर लिया गया है। पर मैं कहता हूँ, यह दावा सरकार का ठीक नहीं है। आज भी इससे और माता की बीमारी से, जो देहातों में चल रही हैं, हजारों की तादाद में बच्चे मर रहे हैं। सरकार कहती है कि सिर्फ पचास ही बच्चे मरे हैं। पर मुझे दुख होता है इस सरकार की जानकारी पर! आज पचास नहीं हजारों ही बच्चे मर रहे हैं और राजस्थान सरकार कहती है कि पचास ही मरे हैं और सबसे ज्यादा दुख यह है कि हमारे राजप्रमुख महोदय ने टी. बी. के मुतल्लिक कुछ नहीं फरमाया। यह बहुत जरूरी विषय है क्योंकि इसका आजकल काफी असर होने लग गया है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने जो भी अर्ज किया है, महज इसी भावना से अर्ज किया है कि कुछ काम पाली जिले में अवश्य हो पर मुझे दुख के साथ यह अर्ज करना पड़ता है कि आज सरकार की निगाह इस ओर नहीं है या है तो बहुत कम। आशा है अब आप कुछ निगाह डालेंगे।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से माननीय राजप्रमुख के अभिभाषण के ऊपर विवाद चल रहा है। जहाँ तक इस विवाद का सवाल है हम इसके विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं। अब मुझे बहुत ज्यादा नह कहना है।

जहाँ तक हमारी नीति का सवाल है कइयों ने अपने कई बहुमूल्य सुझाव दिये हैं और कइयों ने सरकार की कई बातों के बारे में आलोचना भी की है।

जहां तक राजप्रमुख के भाषण का सवाल है, राजप्रमुख का भाषण कई विषयों में अपूर्ण भी हो सकता है क्योंकि न तो यह शासन की कोई रिपोर्ट है और न यह भाषण शासन की पूरी की पूरी मशीनरी के बारे में रोशनी डालने वाला हो सकता है। इसमें कई चीजें बढ़ाई भी जा सकती हैं और कई चीजें घटाई भी जा सकतीं हैं मगर क्योंकि यह राजप्रमुख का भाषण है इसलिए राजप्रमुख और सरकार इस बारे में सोच सकते हैं कि किस चीज को इसमें रखना चाहिये था और किसको छोड़ देना चाहिये था।

किन्तु एक चीज़ जो वास्तव में अखरने वाली है, वह है राजप्रमुख के भाषण का अंग्रेजी में होना; जब कि राजस्थान की भाषा को और व्यवहार की भाषा को हिन्दी का स्वरूप दिया जा चुका है। तब आज उनके भाषण का अंग्रेजी में होना अखरता है।

मुझे याद है जब सरदार बल्लभभाई पटेल ने राजस्थान का उद्घाटन किया था उस समय श्रीमन् राजप्रमुख ने हिन्दी में भाषण दिया था। पर यह ऐसी कैसी बात है कि आज इतने समय के बाद में और जब कि राजस्थान की राजभाषा हिन्दी घोषित कर दी गई फिर भी वे अंग्रजी में बोलने लगे और खास करके इस सरकार की उस नीति-निर्धारण के बाद।

इस सम्बन्ध में राजप्रमुख ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ऐसा खयाल है कि राजस्थान के मन्त्री महोदय और सरकार के अधिकारी

[श्री हरिदेव जोशी]

भी सरकार द्वारा नीति-निर्धारण के बाद और उस आदेश के निकल जाने के बाद में भी अंग्रेजी में लिखते और बोलते रहते हैं। इस व्याख्यान की चर्चा के अन्दर वे अंग्रेजी में बोले; मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी यह दिमागी गुलामी है कि हम एक चीज़ को, एक नीति को स्वीकार करते हैं, मगर उसको अमल में नहीं आने देते। इसलिए जहां हम जनता से यह उम्मीद करते हैं कि वह सरकार के बनाये नियमों का पालन करे वहां हम ही उनकी अवहेलना करें, यह हमारी दिमागी गुलामी का प्रत्यक्ष नमूना नहीं तो और क्या है? यह कहा जाता है कि इसके लिए उनके पास साधन-सुविधा नहीं है, टाइप राइटर्स नहीं हैं, स्टेनों नहीं हैं। हो सकता है यह भी कुछ दिक्कत हो, पर ऐसे भी उदाहरण हैं कि कई लोग, सेक्रेट्रीगण अफसर और मिनिस्टर लोग भी अपने हाथ से जो नोट आदि लिखते हैं वे तक भी अंग्रेजी में लिखते हैं जिनमें साधनों की दुहाई नहीं दी जा सकती और आश्चर्य यह कि इनमें अच्छे हिन्दी के लेखक भी हैं, पर फिर भी यह मानसिक गुलामी उनकी छूट नहीं पा रही है। तो या तो इस आदेश को जारी नहीं किया जाना चाहिये था और जब जारी किया है तो जैसा कि दूसरे आदेशों से जनता से हम उम्मीद करते हैं और दूसरे लोगों को आगाह करते हैं कि वे सरकार के आदेशों का पालन ईमानदारी से करें उसी तरह से इस आदेश का भी पालन हर हालत में ईमानदारी से किया जाना चाहिये, फिर चाहे वह श्रीमन् राजप्रमुख हों, हमारे मिनिस्टर लोग हों या सरकारी अधिकारीगण या कर्मचारीगण हों, कोई हों। यह मेरा नम्र निवेदन है।

मैंने कुछ भाषण सुने हमारे मित्रों के, सरकारी पक्ष के और विरोधी पक्ष के भी।

अभी एक मित्र बता रहे थे, उन्हें एतराज है इस बात में कि कुछ सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी को जोइन किया है, कुछ लोगों को इस बात से एतराज है कि किसी एक आदमी ने किसी जगह कुछ साम्प्रदायिकता भड़काने वाली बातें कही हैं और कुछ लोगों को ऐसा मालूम हुआ है कि कोई पेरेलल गवर्नमेन्ट राजस्थान के अन्दर चल रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ और नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप से मैं यह बता देना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस की सरकार है और इसका अर्थ यह होता है कि उन लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। जबकि पेरेलल गवर्नमेन्ट का मानी होता है अन्य लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार कि जिनका शासन में हाथ नहीं है। तो मैं यह समझता हूँ कि उन्होंने अपने बदले में किसी का नाम ले लिया है, उनके लोगों में उनके द्वारा अथवा उनके किन्हीं मित्रों द्वारा ऐसा किया जाता होगा, जिनका इल्जाम उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है। मैं मानता हूँ कि साम्प्रदायिकता अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है और यही चीज़ है जिसने अब तक हिन्दुस्तान को गिराया है और अगर कोई चीज़ आगे भी गिरावेगी तो इसमें साम्प्रदायिकता भी एक चीज़ होगी। लेकिन उन लोगों के मुंह से, जिनके कि हाथ खून से रंगे हुए हैं ऐसे उपदेश सुनते हुए दिमाग के अन्दर थोड़ी परेशानी महसूस होती है। मुझे याद आते हैं सन् ४७ के दिन जब भरतपुर में मां-बहिनों की अस्मत लूटी गई थी, उन पर तलवार चलाई गई थी और आज अफसोस होता है परोपदेशे पांडित्य बघारते देखते हुए। मुझे कहावत याद आती है सौ-सौ चूहे खाकर बिलैया चली हज को। अध्यक्ष महोदय, एक सिद्धान्त है इस राजस्थान में कि जो सत्य है उसे स्वीकार नहीं करना।

[श्री हरिदेव जोशी]

जहाँ तक राजप्रमुख के भाषण का सवाल है, उसमें उन्होंने कई बातें कही हैं: पुलिस के बारे में भी कही हैं, शासन के बारे में भी कही हैं और दूसरी चीजों के बारे में भी कही हैं। पुलिस के बारे में कई भाइयों ने चोरियों और डकैतियों के बारे में कहा है। अभी यशोदा बहिन ने भी कुछ चीजें बताई हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता, बल्कि स्वीकार करता हूँ कि राजस्थान की पुलिस में कई प्रकार की खराबियाँ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर हम राजस्थान को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं तो पुलिस के शासन और विभाग में जो कमजोरियां हैं, वे इसे लोक कल्याणकारी राज्य नहीं बनने देंगी। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि असलियत को छिपाया नहीं जाना चाहिये। जो नहीं है उसका विरोध किया जाना चाहिये तथा सुझाव देने चाहिये। मगर कुछ मित्रों की आवाज़ से ऐसा मालूम होता है कि जो चीज़ हुई है उसे आंकना नहीं चाहते, उसको सही कीमत नहीं देना चाहते। इससे ऐसा मालूम होता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में हम ईमानदारीपूर्वक समझने की कोशिश नहीं करने पाये हैं। राजस्थान में क्या कोई यह कह सकता है कि राजस्थान में डकैतियों की कमी नहीं हुई है? राजप्रमुख ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि पुलिस ने कुछ डकैतियां पकड़ी हैं, कुछ डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है: यह सही है और उनके ऊपर अमुक परीक्षण किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है और डाकू जिस ढंग से आये हैं उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है उसके ऊपर दो रायें हो सकती हैं। सरकार इस बारे में एक विशेष प्रकार की राय रखती है। वह परीक्षण कर रही है। बहुत संभव है वह परीक्षण में फेल हो जाय। संभव है वह परीक्षण सफल होगा। तो, न केवल राजस्थान के लिये वह अच्छा होगा बल्कि तमाम देश के लिए एक उदाहरण होगा। आज यह परीक्षण सफल होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता और यह असफल होगा ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेसजनों द्वारा शासन में हस्तक्षेप करने के बारे में मेरे मित्र ने कुछ उदाहरण दिये थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा थोड़ा सा कि उन्होंने जो कहा है उसे सोचने की कोशिश करें। उन्होंने कहा उदाहरण के अन्दर कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेन्ट ने एक परचा निकाला है जिसमें बेज़ा ढंग से वसूल होने वाले तकावी टेक्स को रोकने या पुनर्निर्धारण करने या उस पर कोशिश करने के लिए एक सम्मेलन हो रहा है और उसके अन्दर श्री भोगीलालजी पंड्या और शायद कई दूसरे लोग भी जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या ऐतराज है। क्या कांग्रेस का यह अधिकार नहीं है कि वह कहे कि कहीं पर गवर्नमेंट बेजा ढंग से टेक्स वसूल करती है, वह तरीका ठीक नहीं है? या जब हम जानते हैं कि इस तरह की कोशिश करने के लिए एक सम्मेलन हो रहा है तो कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट या कोई मिनिस्टर सम्मेलन में जांय तो उसमें क्या गलती है? तम्बाखू-टेक्स वसूल होता था, उसके बारे में कांग्रेस का प्रयत्न सफल हुआ है। भरतपुर के लोग अधिक परेशान थे। उनके लिये जो कोशिश की गई उसका गहरा असर पड़ा। कांग्रेस कोशिश करके, केन्द्रीय मंत्रियों को वहां लाई, उनको समझाया और उन्होंने स्वीकार किया कि यह बात बेजा थी। अब तो उस एक्ट में संशोधन हो गया है। मनुष्य के नाते भी हमको अधिकार है तो एक राजनैतिक दल के नाते तो हमको पूरा अधिकार है कि हम जनता की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। यदि कोई मिनिस्टर कुछ और तरह की कार्यवाही कर रहे हैं और हमारी

[श्री हरिदेव जोशी]

समझ में आता है कि वह काम दूसरी तरह से होना चाहिये जिससे कि लोगों का भला हो तो हमें उसके लिये कोशिश करनी चाहिये ।

हमारी बहिन ने बांसवाड़ा में लगान वसूल करने के बारे में कुछ बातें कही हैं । इस बारे में मैं मौन रहना चाहता था मगर इस बारे में कुछ विशेष जानकारी मेरी है इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ । पिछले उपचुनाव के सिलसिले में सोशलिस्ट पार्टी ने एक नारा बुलन्द किया है ।

श्रीमती यशोदा देवी—यह गलत है ।

श्री हरिदेव जोशी— यह सही है । मेरे पास प्रमाण मौजूद हैं कि ऐसा नारा बुलन्द किया गया है । वहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं उनमें उत्तेजना पैदा की गई है । मैं नहीं कह सकता कि एकमात्र यही कारण था कि जिससे वहां पर चुनाव का परिणाम दूसरा आया । दूसरे और भी कारण हो सकते हैं । जो बहिन ने कहा उस पर हमें अपने आपको रखना चाहिये । लोगों को यह कहा गया कि निश्चितरूप से लोगों को लगान नहीं देना पड़ेगा । लगान वसूली के समय लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि हमको वोट दोगे तो लगान नहीं देना पड़ेगा और अब क्यों देना पड़ रहा है; तो उन लोगों की विषम स्थिति हो गई । तब उन्होंने एक तरकीब निकाली और लोगों से कहा कि जो कोई पटवारी या गिरदावर गांव में लगान वसूली के लिये जाय तो उनको गांव का गांव खाली मिलना चाहिये । वहां लगान वसूल कैसे हो ? और बांसवाड़ा के नज़दीक करीब दो मील दूर घंटा गांव के अन्दर तो बांसवाड़ा तहसील के नायब-तहसीलदार को भी पीटा गया, उसके कपड़े छीन लिये गये और उसको बेबसी की हालत में बांसवाड़ा आना पड़ा । जब शान्ति हुई तो सरकार ने दस्तन्दाजी की । कई लोगों के चालान हुए । उनमें से कई ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल इनसेन्ट थे । मुझे शक नहीं है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं, मैं जब पिछली दफे वहाँ गया था तो मेरे सामने ८-१० आदमी आये थे जिन्होंने कहा कि हम कसूरवार नहीं थे, हम तो यों ही तमाशा देख रहे थे और पुलिस ने हमारा चालान कर लिया । ऐसे लोग भी मेरे पास आये थे । मैं यह मानता हूँ कि कोई इन्नोसेन्ट आदमी भी पकड़ लिया गया हो ! वहाँ पर पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया गया, रेवन्यु के अधिकारियों पर हमला किया गया, उनके कपड़े छीन लिये गये और लगान नहीं दिया गया । वहाँ पर एक नया तरीका जो अब तक कहीं नहीं हुआ शुरू हुआ । लोगों को प्रजा-समाजवादियों ने समझाया कि पटवारियों को लगान मत दो, मगर मनीऑर्डर के ज़रिये लगान भेज दो । सरकार ने कई मनीऑर्डर तो स्वीकार किये पर कइयों पर भेजने वालों का पता नोट नहीं किया हुआ था और कई में तो ऐसा हुआ कि लड़के के नाम से मनीऑर्डर भेजा गया और बाप का नाम खाते में दर्ज था । इस प्रकार की कठिनाइयें सरकार के सामने पैदा हुईं तो उसने मनीऑर्डर लेने बन्द कर दिये । स्थिति यह हुई कि ऐसे लोगों ने, जो सरकार के प्रति लोगों में तिरस्कार की भावना पैदा करना चाहते थे, लोगों को उत्तेजना गलत तरीके से दी ऐसे लोग जो समझते थे कि गलत नारों के कारण स्थिति खराब हो गई थी उन लोगों को गुमराह किया गया । इस स्थिति के कारण बांसवाड़ा के लोगों को परेशान होना पड़ा । एक तरफ लोगों के हजारों रुपये मनीऑर्डर के कारण पोस्टऑफिस में पड़े थे और सरकार ने मनीऑर्डर लेने से इन्कार कर

[श्री हरिदेव जोशी]

दिया था और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगान वसूल करने की कोशिश की जा रही थी। इस गलत तरीके के कारण कई लोगों को तो अपने चोपाये तक बेचने पड़े। मगर इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर नहीं हो सकती। गैर जिम्मेदार लोगों ने, जिन्होंने कि आन्दोलन शुरू किया, वे ही इसके लिये जिम्मेदार थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ऐसा गलत काम किया गया जो नहीं होना चाहिये था। इस घटना को घटवाने की स्थिति पैदा करने की उन लोगों पर जिम्मेदारी है जिन्होंने यह सब काम किया। हमारी बहिन ने आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और व्यवस्था के बारे में भी कहा है। मुझे सहानुभूति है महिला-समाज के साथ में और मैं चाहता हूँ कि महिला-समाज की जो विशेष स्थिति है, उनकी जो विशेष प्रकार की आवश्यकता है दूसरी सारी आवश्यकताओं को ताक पर रख कर भी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिये। मगर मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बहिन जो शायद मध्य भारत से आई हुई हैं उनको यह मालूम नहीं है कि भीलों को दफनाया नहीं जाता बल्कि उनको जलाया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ बहिनों को दफनाया है। मेरा ख्याल है कि भीलों के अन्दर सारे क्षेत्र में, कबीर पंथियों को छोड़कर किसी भी तबके या ग्रुप के भीलों के अन्दर किसी भील को गाड़ा नहीं जाता, उनको जलाया जाता है।

भीलों के अन्दर जो साधु नहीं है उनको जलाया जाता है साधुओं में भी कुछ आध्यात्मिक लोगों को छोड़ कर जलाया जाता है आदमियों को गाड़ा जाता है, मगर स्त्रियों को तो गाड़ा ही नहीं जाता। माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज कर दूं शायद किसी आवेश में ऐसा कह गई हों, यह बात हो सकती है।

अलबत्ता मैं यह स्वीकार करता हूँ कि शायद अकेले बाँसवाड़ा में क्या, भील क्षेत्र में कहीं भी ऐसी डिस्पेन्सरीज नहीं हैं जहाँ मिडवाइफरी की व्यवस्था हो। फिर भी मैंने निवेदन किया कि जो सुविधा उनको दी जा सकती है वह निश्चितरूप से दी जानी चाहिये।

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारत सरकार ट्राइबल एरिया को विशेष प्रकार की सुविधा दे रही है उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी दे। हमारे संविधान के अनुसार हमारी विशेष जिम्मेदारी है इस सम्बन्ध में और हम जो जातियाँ पिछड़ी हुई है; उनको १० वर्ष में समान स्तर पर लाना चाहते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस सम्बन्ध में जितना प्रयत्न किया जाना चाहिये उतना नहीं किया जा रहा है। यहाँ अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि अमुक क्षेत्र को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपका एक बीमार क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसको भारत सरकार ने ट्राइबल एरिया स्वीकार किया है उस क्षेत्र पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस जाति के लोग जो दूसरे इलाकों में चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा सिरोही आदि में बसे हुए हैं तथा पाली और दूसरे क्षेत्रों में भी बसे हुए हैं उनको भी ट्राइबल मान कर, स्वीकार करके, उसकी ही सहायता देनी चाहिये और भी जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको सुविधायें देने की

[श्री हरिदेव जोशी]

आवश्यकता है; नहीं तो मुझे डर है कि उन लोगों को जो पिछड़े हुऐ हैं जिनके लिये हमने संविधान के जरिये वादा किया है कि हम उनकी तरक्की करेंगे वह वादा हम पूरा नहीं कर सकेंगे।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमन् राजप्रमुख को हर पैरेग्राफ के बारे में जो शायद एक डिपार्टमेंट को एक पैरेग्राफ दिया गया है उसके लिए यह नहीं समझना चाहिये कि वह बगैर कुछ लिखे हुए यों ही खाली रख दिया जाना चाहिये था।

श्रीमन् राजप्रमुख ने जो कुछ कहा है उसके आगे भी बहुत कुछ कहने की और करने की ज़रूरत है। कई कमजोरियां हैं, कई खामियां हैं; पर इसके माने यह नहीं कि हम लोक-कल्याणकारी राज्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। इसके माने यह नहीं हैं कि आज को पोपुलर गवर्नमेंट को आम लोगों का सपोर्ट प्राप्त नहीं है अगर कोई ऐसा कहता है तो वह गलत है इसका सबूत राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं वह है, जिनसे राजस्थान की कांग्रेस-पार्टी कसौटी में कामयाब हुई है और यह बताया है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं उनसे जनता प्रभावित हुई है, केवल जनता ही प्रभावित नहीं हुई है बल्कि वे लोग भी प्रभावित हुए हैं जो कल तक कांग्रेस के खिलाफ थे।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कांग्रेस के संगठन के साथ मिलना चाहते हैं। जो मिलते हैं वे ठीक हैं पर जो नहीं मिल पाकर फिकराकसी करते हैं वह गलत चीज़ है। मैं आपके जरिये सदन को यह निवेदन करना चाहूँगा कि अभी कौन्सिल ऑफ स्टेट्स के चुनाव के सिलसिल में कांग्रेस टिकट नहीं मिल पाने के बाद में ऐसी फिकराकसी की जाती है जिससे जरा संकुचितपन जाहिर होता है। एक आदमी व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहता है और जाहिरा तौर पर कुछ और कहता है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसके लिए सदन से मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको स्वीकार किया जाना चाहिये। साथ ही मैं सरकार से भी यह निवेदन करूंगा कि जो सुझाव और खामियां बतायी गयी हैं उनका भी सुधार किया जाना चाहिये।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—कौन्सिल ऑफ स्टेट के चुनाव के बारे में जिन साहब का जिक्र किया गया है वह शायद रामनाथजी पोद्दार थे क्या ?

श्री **हरिदेव जोशी**—मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री ईश्वरी सिंह— बहुत देर सूं मैं उम्मीदवार हो। राजप्रमुख ने धन्यवाद देवणरी बड़ी कोशिश हो रही है वीं के खिलाफ मैं खड़ो हुयो हूँ।

चम्बल और भाखरा की बहुत बड़ी बातां केयी गयी है; गुणगान सराहना की है, वीं को धन्यवाद तो गंगासिंह राजा ले सके है जो व्यक्तिगत राजा होतो हुयो भी बीकानेर में गंगानहर लायो। अब २२ रजवाड़ा अठे भेला हुया है, २२ नहरां ले आता जटा तांई तो गुणगान की कोई बात ही नहीं ही।

[श्री ईश्वरी सिंह]

राजा गंगासिंह धन्यवाद को पातर (पात्र) है, राजप्रमुख धन्यवाद को कोई पातर (पात्र) नहीं।

एक सदस्य (कांग्रेस)— गंगासिंह का भाखरा बंध से क्या ताल्लुक है ?

एक सदस्य (विरोधी दल)— यह उन्हीं की योजना है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— महराज श्री गंगासिंह आज रहते तो भाखरा बंध बन कर नहरें आ जातीं ।

श्री ईश्वरी सिंह— एक माता के चार लड़का होवे बां के साथ वा न्यारो न्यारो बरताव करे, रद्दोबदल करे, तो बीं माता ने धन्यवाद नहीं दियो जा सके । मैं सीकर को बासिन्दो हूं, शुरू सूं लेर दांता तांई ७५ मील को फासलो है । ई ७५ मील में आज तांई न तो कोई योजना बनी । खोड़ इलाको है बठे हर बगत काल पड़ता रेवे, छठी साल गांव बसे और बर्बाद हो जावे । बठे कीं राजप्रमुख की महरबानी नहीं हुई । के बठे भी कोई पाणी को, कुआ बगैरह को इन्तजाम कियो जावे ।

केयो गयो के डकैती को बहुत बड़ो इन्तजाम हुओ, ई बजे सूं धन्यवाद को पातर (पात्र) है, पुलिस बहुत इन्तजाम करियो । पुलिस को आज तांई जो ढंग देखियो है, बां में करीब अठे जादा आदमियां सूं उमर में बड़ो हूँ । आ पुलिस कांई कर राखियो है, सरकार तो ले रही है छट्टो बांटो उपज को और पुलिस ले रहीं है चोथो जोरी सूं । राजप्रमुख क्यों के पुलिस रे वास्ते घर मकान बणाया जावेला ।

राजप्रमुख आपणा भाषण में आ कही पुलिस के लिए इन्तजाम बहुत अच्छो है । इन्तजाम तो सब तरह रो हुवे है और सब तरह सूं कियो जावे । पुलिस अपने मद को इन्तजाम कर रही है । हर एक खेत में हर एक ढाणी में कोटला हुया करे है जिण में १।४ बाटां को हिस्सो कोटले में डाल दो बस पुलिस रो इन्तजाम हो चुको । इण सूं ज्यादा पुलिस रो इन्तजाम कई हो सके है । इण इन्तजाम के लिए राजप्रमुख धन्यवाद के पात्र हैं । जो कुछ हो रहा है होने दियो जावे तो के है । बड़े-बड़े ऑफिसर ५००), ७००) रुपया तनखा रा पावे वे भी रिश्वत ले रिया है । ऐड़ी बात देखण में आई हैं के पहले एक आदमी ने ५००) रिश्वत रा जमा करा दिया और पीछे उनोने ६००) कोई दूसरो दें दिया तो उणरा ५००) पाछा लौटा दिया । इसलिए में समझूं के राजप्रमुख कोई धन्यवाद रा पात्र नहीं हैं । कुणसी बात को धन्यवाद ? तमाम दुनिया में होता आया है । कांग्रेस रो राज्य है खाणा-पीणा में के बात है । पहले अंग्रेजों भी राज्य कियो लेकिन एडी रिश्वतखोरी और मनमानी नहीं हुई । जागीरदारी खत्म करण के बारे में एक भाई सवाल उठायो और उण पर वे बोलता तो उसने बोलण ही नहीं दियो गयो । जागीरदारी ५ साल में खत्म हो जावेगी मगर जागीरदारी खत्म करण को तरीको कांई है । जागीरदारी खत्म करनी हो तो मेरी कांकड़ में है वहां आड़त लगा दे और उस जागीरदार को कहदे की ३ दिन में जो कुछ तुमसे ले जाया जावे ले जावे । लेकिन आज जागीर के लिए राजप्रमुख कुछ नहीं कह रिया हैं वे भी या सोचे है कि जागीरदार सब भाई है, जणडे भाई को फायदो होगा अपनो भी फायदो होगो । मतलब की बात दुनियां में पहले हुवे है ।

राजस्थान री भूमि बहुत बड़ी है। २२ रियासतां है। लगान लोगां ने समझायश करने लगाया करे है। पहले भी लगान लगतो हो। तमाम दुनियां जाणे है कि जिण तरह स्त्री, रे आदमी होवे है उणी तरह जमीन को लगान हुवे है। अब मैं ज्यादा नहीं के ने इतनो ही कहणों चाहूँ हूँ कि राजप्रमुख धन्यवाद रो पातर (पात्र) नहीं है। मेरा कहा मानें या न मानें।

उपाध्यक्ष— आज का समय हो गया है। सदन का आज का अधिवेशन बुधवार, दिनांक १०-३-५४ के ८--३० बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही १२--३८ बजे मध्यान्ह को, दिनांक १० मार्च, १९५४ के ८--३० बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ९ मार्च, १९५४,

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।